खण्ड-455, अंक-3
बुधवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1927
(20 जुलाई, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2005)

खण्ड 455 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
अनुसूचित जाति के छात्रों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास ...	1
प्रश्नोत्तर	1-60
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्रीमती अशरफ इमाम, श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री महातम प्रसाद तिवारी, श्रीमती पार्वती देवी, श्री रूपेन्द्र विक्रम सिंह, श्री छांगुर राम, श्री कृपा दयाल, श्री बलराम यादव तथा श्री ऊदल के निधन पर शोकोद्गार	60-63
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार ...	63-70
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	70-71
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा नगर निगम, झांसी के मौजापिछौर की कतिपय राजस्व भूमियों के अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु शासन को भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
माह मार्च-अप्रैल, 2005 में पी0 सी0 एफ0 द्वारा लाही (तिलहन) की खरीद में बड़े पैमाने पर कथित धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछली बाजार, कटरा, इलाहाबाद को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा की कतिपय ग्राम सभाओं का सर्वेक्षण कराकर ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल समस्या के निदान हेतु समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत बेसो एवं मगई नदियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
रायबरेली के ग्राम सभा धीरनपुर में विगत कई वर्षों से खराब नलकूप को संचालित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
लखनऊ जनपद के मलिहाबाद माल एवं काकोरी में पुरानी विद्युत लाइनों के तार बदलवाने व कटे हुए विद्युत तारों को जुड़वाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74-75

विषय	पृष्ठ-संख्या
बलिया के सिकन्दरपुर एवं बांसडीह तहसील को घाघरा नदी की कटान से बचाने हेतु टी0 एस0 बन्धा के तटबन्ध की सुरक्षा के लिये धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
मेरठ महानगर के नालों की सफाई का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत व्यायाम शाला स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
श्री रामसूरत यादव (मृतक) स्वास्थ्य निरीक्षक, आजमगढ़ के मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित को समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राधे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
वाराणसी शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	77-78
सनग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित 10-10 ग्रामों में सभी योजनाओं को संतृप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	78-79
लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79-82
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के नगरा पचखोरा ढडवा मार्ग के लिये स्वीकृत धन को अन्य मार्ग पर खर्च किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये वक्तव्य के अनुरूप कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	83-84
शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर 25 लाख रुपये के विद्युत कार्य कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	84-85
जनपद रायबरेली की न्याय पंचायत ऊंचाहार में पानी की टंकी तथा पाइप लाइन होने के बावजूद जलापूर्ति प्रारम्भ न किये जाने जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	85-86
ताजमहल के स्वामित्व को लेकर मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों के भिन्न-भिन्न विचार होने से शासन का अभिमत स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	86-87
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़े जाने सम्बन्धी घोषणा को लागू न किये जाने जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	87-89

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया)	89
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया)	89
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 (सिविल) (सदन के पटल पर रखा गया)	89
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे 2003-2004 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2003-2004 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	89
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 92वां (बानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	89
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 93वां (तिरानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 94वां (चौरानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 95वां (पंचानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 96वां (छियानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 97वां (सत्तानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 98वां (अट्ठानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 99वां (निन्यानवेवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 100वां (सौवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91-92
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	92-93
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	93
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	94-108

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज), श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री शिव चरण प्रजापति, चौधरी धूराम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0के0 सिंह पटेल, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमीता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा दी गई सूचनाओं पर जारी एक घण्टे की चर्चा (जारी) ...	108-109
बांदा जिले की केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री इन्द्रदेव सिंह, डा0 विनोद तिवारी एवं कुंवर भारतेन्द्र सिंह, द्वारा दी गई सूचनाओं पर डेढ़ घण्टे की चर्चा (जारी)	109-127
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	127-129
नत्थियां	131-148

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-338

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
श्री अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर

कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कार्शीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददूद प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वशीर चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामशंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात

नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	ज़ौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर

सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूचित जाति के छात्रों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष, जी मैंने एक सूचना दी है। यह अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर हो जाने दें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उस पर केन्द्र सरकार ने रोक लगा दी है। मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी नियम-56 में सूचना दी है। प्रश्न प्रहर हो जाने दें। जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि अधिकारी नियमों का पालन नहीं करते। प्रश्न प्रहर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

इस पैसे से अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को किताबें मिलती हैं पैसे पर रोक लगा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता, विरोधी दल इनको समझा दीजिये। आपके गुरु जो सिखा कर भेजते हैं, वह मैं सब समझता हूं। गौतम जी बैठ जायं। प्रश्न प्रहर चलने दीजिये। यह अच्छी बात नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं। जब समय आयेगा तब अपनी बात कहियेगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, बड़ी भयंकर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिये। जब "जीरो आवर" आयेगा तब कहियेगा। आप लोग इतने सीनियर विधायक हैं। नियमों से नहीं चलेंगे, जब क्षेत्र में जाते हैं तो अधिकारियों को नियमों से कैसे चला पायेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया बैठ जायं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित बापू भवन में अल्ट्रासाउण्ड मशीन के संचालन हेतु कर्मचारी की नियुक्ति की मांग

*1-डा0 अजय कुमार

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के इलाज हेतु सचिवालय स्थित बापू भवन में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की गयी है ? क्या उक्त

चिकित्सालय द्वारा सचिवालय कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपचार हेतु दवा, जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड कराने की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि वर्तमान में अल्ट्रासाउन्ड मशीन के संचालन हेतु किसी कर्मचारी की नियुक्ति न होने के कारण अल्ट्रासाउन्ड जांच नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो अल्ट्रासाउन्ड मशीन के संचालन हेतु किसी कर्मचारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि इस चिकित्सालय में जो अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे मशीन है उसको आपरेट करने के लिये एक विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्त होता है। क्या रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक यहां पर नियुक्त हैं ? यदि नियुक्त हैं, तो कब नियुक्त हुये ? दूसरा प्रश्न यह है कि यहां पर जो सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं, उनको जो सुविधायें अनुमन्य हैं उनको देने में डाक्टर हीलाहवाली करते हैं। क्या सरकार इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है ...

श्री अध्यक्ष-

एक-एक सवाल कर लीजिये।

श्री जयवीर सिंह-

पहला आपका प्रश्न यह था कि विशेषज्ञ डाक्टर की पोस्टिंग कब हुयी तो मैं बताना चाहता हूं कि डाक्टर वी0 पी0 पान्डे जो वरिष्ट चिकित्साधिकारी हैं और रेडियोलोजिस्ट हैं उनकी 18-7-05 को वहां पर पोस्टिंग हुयी है। जहां तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के निःशुल्क उपचार का प्रश्न है उसके लिये शासनादेश है और समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा करायी जा रही है।

डा0 अजय कुमार-

अब परसों नरसों डाक्टर नियुक्त किया गया है। पहले नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत तीन माह में जब डाक्टर नहीं था तो कितने मरीजों का अल्ट्रासाउण्ड किया गया ?

श्री अध्यक्ष-

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जयवीर सिंह-

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सचिवालय डिस्पेंसरी में अलग से कोई पद सृजित नहीं है। हम सिविल हास्पिटल व विभिन्न अस्पतालों के डाक्टरों से इन पदों पर सेवायोजित करके काम लेते हैं। हम समय-समय पर डाक्टरों की पोस्टिंग करते रहते हैं। इसी व्यवस्था के तहत रेडियोलोजिस्ट तैनात कर दिया है। अलग से डाक्टर की व्यवस्था बापू भवन डिस्पेंसरी के लिये नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मूल प्रश्न के पैराग्राफ दो में है क्या उक्त चिकित्सालय द्वारा सचिवालय कैडर के सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपचार हेतु दवा, जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड कराने की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है ? इसका उत्तर दिया है जी हां, तो पिछले एक वर्ष में कितने लोगों को एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड की निःशुल्क सुविधा दी गई ?

श्री जयवीर सिंह-

जितने लोग आये होंगे, उन सभी को सुविधा दी गई होगी। अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं सूचना भिजवा दूंगा।

उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को जलपान गृह कर्मचारियों की भांति नियमित वेतन के भुगतान की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को जलपान गृह कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वेतन भुगतान करने का कोई आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन करते हुए कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

घाटे वाले डिपो कर्मचारियों का नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश को समाप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है। आदेश के विरुद्ध विशेष अपील भी की गयी है तो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि वेतन न मिलने से कार्य क्षमता प्रभावित होती है व गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कर्मचारी कल्याण निगम डिपो के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है कि हम जूडिशियरी के आदेश का पालन करते है। वह आदेश तब तक प्रभावित रहता है, जब तक इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, मैं इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में दो बातें जानना चाहता हूं नम्बर एक माननीय उच्च न्यायालय ने इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक करने का निर्देश दिया है ? दूसरे कितने वेतन का भुगतान किया जाना है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भइया'-

कर्मचारी कल्याण निगम के 10 कर्मचारी न्यायालय में गये जहां से उनके वेतन के भुगतान का आदेश हुआ है। यदि सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करते हैं, तो 1712 लाख रुपये का एरियर और 850 लाख रुपये का वेतन बनता है। जो न्यायालय का आदेश है, उसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में गये हैं, जहां यह मामला विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि निगम की परिकल्पना इसलिये नहीं की गई थी कि सरकार निगम के

कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करे। बल्कि इसलिये की गई थी कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर धन अर्जित करें और उससे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करे। जो कर्मचारी कल्याण निगम का टिपो है, इसमें हम सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं, जिससे इसकी स्थिति सुदृढ़ बन सके और यह अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में स्वीकार किया कि जो कर्मचारी कल्याण निगम है, यह घाटे में है और इसके सुधार के लिये उपाय वह कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी कल्याण निगम घाटे से उबर सके। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कौन-कौन से उपाय किये हैं तथा इन उपायों के परिणाम कब तक आ जायेंगे ? दूसरे यदि इस सुधार के उपायों के बावजूद कर्मचारी कल्याण निगम घाटे से नहीं उबरता है तो क्या इसमें वी0 आर0 एस0 स्कीम लागू करेंगे ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

माननीय अध्यक्ष जी, पाल साहब के प्रश्न के उत्तर में मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि अनेक योजनाएं हैं, अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। साइकिल की बिक्री से 40 लाख रुपये, हिन्दुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स की बिक्री से 10 लाख रुपये, मदर डेरी के प्रोडक्ट से 60 लाख रुपये, लेवर्ड इंडिया से 50 लाख रुपये। इस तरह की और भी योजनायें हैं, जिनसे लाभ मिलेगा। जहां तक वी0 आर0 एस0 का प्रश्न है, निगमों की बैठक में यह पारित किया गया है कि वी0 आर0 एस0 को दिया जाना चाहिये। सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है। 100 कर्मचारियों ने अभी तक वी0 आर0 एस0 के लिये आवेदन किया है। उम्मीद है कि 100 के बाद और भी कर्मचारी वी0 आर0 एस0 के लिये आवेदन करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

घाटा कितना है ? और जो योजनाएं लागू करेंगे, उनसे लाभ कितना अर्जित होगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है। आप बैठ जायं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एस0 एल0 पी0 दायर की लेकिन उसका स्थगन आदेश अभी तक नहीं है। अगर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो इस सरकार का क्या औचित्य है ? हम लोगों के यहां बने रहने का क्या औचित्य है ? बहुत जायज प्रश्न मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि सरकार की योजना के तहत निगम गठित होते हैं। यह सही है कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निगम के कार्यों का संरक्षण करे और देखें कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। उसके खर्चे जो नाजायज तरीके से खर्च किये जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाये। यह किसकी जिम्मेदारी है ? यह घाटे के निगम हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, कह देना उचित नहीं है। जहां तक न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बात है तो यह कब तक उसका अनुपालन करा देंगे और कितने रुपये इन लोगों के ऊपर बकाया हैं ?

श्री अध्यक्ष-

रुपया तो बता दिया।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अवगत करा चुका हूं कि कितना बकाया है, अगर फिर जानना चाहते हैं तो बता देता हूं। 1712 लाख रुपये एरियर के मद में और 850 लाख रुपये मूल वेतन के मद में बकाया है। जहां तक श्रीमन्, घाटे का प्रश्न है, हमारे प्रदेश में लगभग 60 निगम हैं और बहुत कम निगम ऐसे हैं जो फायदे में चल रहे हैं। मान्यवर, जब यह लोग सत्ता पक्ष में थे यह तब की कहानी है। तब भी यही हाल था। आपका आशय है कि हम एक निगम के कर्मचारियों को पैसा दें तो सारे के सारे निगम खड़े हो जायेंगे और सरकार की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जायेगी। निगम के कर्मचारियों के वेतन का दायित्व सरकार का नहीं है। निगम का गठन उसके बारे में एक कल्पना की गई थी कि यह अपने पैरों पर खड़े होकर स्वतः अपना वेतन अर्जित करें। इस विषय में सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं। वी0 आर0 एस0 स्कीम भी लागू की गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिस समय हम सरकार में थे, माननीय मंत्री जी उस समय सरकार में नहीं थे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

आप लोगों ने कहीं और भेज रखा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसका अनुपालन न होना संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है। इसका स्थगन आदेश एस0 एल0 पी0 में नहीं दिया गया है। अगर स्थगन आदेश हो जाता है तो ठीक है लेकिन जो आदेश हैं उसका अनुपालन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होने पर न्यायालय खुद सक्षम है कि वह उसका अनुपालन कराये। आप बैठ जायं। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में कैंसर एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सरकारी खर्चे से इलाज कराने की योजना

*3-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में कैंसर एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज सरकारी खर्चे से कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को (सफेद राशन कार्ड धारक) निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह-

अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने ऐसा प्रश्न रखा है जो आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा है। वेसिकली जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। आज हृदय की बाइपास सर्जरी करानी हो, कैंसर की दवा करानी हो तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह थोड़े दिन के लिये अपनी जिन्दगी बचा सकें। ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह व्यवहारिक

नहीं है। बाइपास सर्जरी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कहां कराई जाती है ? प्रदेश में कितने कैंसर और हृदय के रोगी हैं ? कितने हृदय रोगियों की किन-किन अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा कराई गई है, यह बताने का कष्ट करें ताकि और रोगी भी इसका लाभ ले सकें ? पीड़ितों को बताया जा सके कि सरकार द्वारा यहां मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी सूचना हो तो बतायें ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जनपद चिकित्सालय जो हैं उन सभी में शल्य क्रिया के लिये व्यवस्था है। कार्डियोलाजिस्ट बैठते हैं। सर्जन बैठते हैं। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट है, जे0 के0 इंस्टीट्यूट कानपुर है, पी0 जी0 आई0 लखनऊ में व्यवस्था है, कोटद्वार अस्पताल है और मेडिकल कालेज में यह सुविधायें उपलब्ध हैं। यहां प्राथमिक उपचार और शल्य क्रिया की व्यवस्था है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कैंसर के बारे में उनसे पूछना चाहता हूं बनारस में कैंसर से पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिये निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध बनारस में किस अस्पताल में है ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रश्न रिपीट कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

वाराणसी जिले से संबंधित जानना चाहता हूं कैंसर से पीड़ित जो रोगी गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध कहां है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी माननीय हरीश जी का कहना है कि वाराणसी में किस अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कैंसर के रोगियों की है ?

श्री जयवीर सिंह-

जे0 के0 इंस्टीट्यूट कानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट कानपुर में है वाराणसी में नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

वाराणसी में हो तो बता दें।

श्री जयवीर सिंह-

प्रार्थना-पत्र दे दें निःशुल्क चिकित्सा हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

आप मरीज का पता दे दें। निःशुल्क व्यवस्था हो जाएगी।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कहा-कहां जिला चिकित्सालयों में बाईपास सर्जरी की जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष-

सारे लोग भिज्ञ हैं, बाइपास सर्जरी कहां होती है ?

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

उत्तर में कहा गया है।

श्री अध्यक्ष-

जब रोगी जिला चिकित्सालयों में जाते हैं, वहां डा0 उनको रिफर करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

यह प्रश्न कैंसर और हृदय रोगियों के बारे में पूछा गया है। जो सफेद राशन कार्ड धारक हैं उनके लिये निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का प्राविधान है जैसा कि उत्तर में लिखा गया है। जो कैंसर और हृदय रोग पीड़ित हैं जिला इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया है यदि विलो पावर्टी लाइन या सफेद कार्डधारक, कोई गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति कैंसर या हार्ट के इलाज के लिये जाता है तो उसके लिये राज्य सरकार ने कितना पैसा देने का प्राविधान कर रखा है जिससे उसकी सर्जरी वहां निःशुल्क हो सके क्योंकि बाईपास सर्जरी का खर्च एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपये से कम नहीं आता है। इन मरीजों के लिये जो निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की बात आपने स्वीकार की है तो राज्य सरकार ने उसके लिये क्या प्राविधान किया है ?

श्री जयवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा तो हम कर ही रहे हैं, जहां इस तरह के केस आते हैं वहां मुख्य मंत्री कोष से भी अलग से देने के लिये व्यवस्था की गई है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुख्य मंत्री कोष से हजारों-हजार लोगों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, सफेद कार्डधारकों के लिये जो हृदय और कैंसर रोग से पीड़ित हैं, मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इस पर कई प्रश्न आये, मान्यवर, उत्तर आप स्वयं न दें, माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलायें कि प्रदेश के किस चिकित्सालय में ऐसी व्यवस्था है जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है ? मंत्री जी ने पी0 जी0 आई0 का नाम लिया, वहां पर किसी भी रोग के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो उत्तर स्वयं दे दिया।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मंत्री जी ने कुछ अस्पतालों और इंस्टीट्यूट के नाम लिये है। इलाहाबाद के कमला नेहरू इंस्टीट्यूट और पी0 जी0 आई0 का नाम लिया है। मैं भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा हूं, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में ऐसे मरीजो के लिये निःशुल्क व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि कोई मंत्री भी हो, मैं भी वहां एडमिट रहा हूं और मुझे भी भुगतान करना पड़ा है। कमला नेहरू कैंसर इंस्टीट्यूट में भी बिना पैसा काम नहीं होता है। मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे मरीजों के लिये मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा मिलता है तो जो पहुंच वाले लोग हैं, उनको तो वहां से अनुदान मिल जाता है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे वालों को अनुदान नही मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, सम्पूर्ण सदन की भावनाओं से आप अवगत हो गये होंगे। सबका कथन है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के इस प्रकार के मरीज हैं, सरकार की तरफ से उनके लिये कोई निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिये, इस पर आप विचार कर लेंगे।

अब प्रश्न संख्या-4 लेते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, मैंने आप सबकी भावनाओं को मंत्री जी से कह दिया है, बता भी दिया है, अब यह हो गया। राम इकबाल जी आप ऐसा करिये, आप नियम-49 में लिखकर दे दीजिये, मैं चर्चा करा दूंगा।

एम0 बी0 बी0 एस0 चिकित्सकों के सेवारत होने के उपरान्त चिकित्सा पद्धति के विस्तार एवं सुधार योजना को लागू किया जाना

*4-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के सेवारत होने के उपरान्त चिकित्सा पद्धति के विस्तार एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार द्वारा सेवारत डा0 हेतु अद्यतन चिकित्सीय ज्ञान की अभिवृद्धि की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उस योजना की क्या रूपरेखा है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उक्त योजना को लागू करेगी ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के एम0 बी0 बी0 एस0 चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न विशिष्टता विषयों में ज्ञानवर्धन हेतु सेवा में रहते हुये दो वर्षीय स्नातकोत्तर (डिप्लोमा) डी0 पी0 एच0 अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष भेजा जाता है।

इसके अतिरिक्त चिकित्साधिकारियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में अल्प अवधि प्रशिक्षणों में नई तकनीकी ज्ञान हेतु भेजा जाता है। यू0 पी0 एच0 एस0 डी0 पी0 के माध्यम से भी चिकित्सा अधिकारियों को नई तकनीक ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग और एम0 बी0 बी0 एस0 चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न विशिष्टता विषयों में ज्ञानवर्धन हेतु सेवा में रहते हुये दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डी0 पी0 एच0 अध्ययन हेतु प्रति वर्ष भेजा जाता है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष कितने चिकित्साधिकारियों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भेजा जाता है और यह आरक्षित है या कम्पलसरी है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, वर्ष 2004-05 में 80, वर्ष 2005-06 में 97 चिकित्साधिकारियों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भेजा गया है।

प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिये उपाय किये जाने की मांग

*5-श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में रोग वाहक मच्छरों से बचाव एवं नियंत्रण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अवशेषी छिड़काव डी0 डी0 टी0, मैलाथियान, सिन्थेटिक पायरीथ्राइड कीटनाशकों का छिड़काव कराया जाता है; नगरीय क्षेत्रों में लार्वानाशक रसायनों टेमोफांस एव फेन्थियान का छिडकाव आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिये छिड़काव कब हुआ ? जहां तक मेरी जानकारी है गांवों में देहात क्षेत्र में कहीं भी छिड़काव नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो यह छिड़काव किन-किन जनपदों में हुआ है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता है जिन क्षेत्रों से रिपोर्ट आती है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कराकर उन क्षेत्रों में छिड़काव कराते है। यह छिड़काव मई से अक्टूबर के बीच चिन्हित क्षेत्रों में कराया जाता है। मच्छरों के काटने से मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, पी0 टी0 मलेरिया अलग-अलग तरह के मच्छरों को काटने से होता है उसी के अनुसार छिड़काव कराया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

जिन जिन जगहों पर आपने इन कीटाणुओं को चिन्हित किया है क्या वहां पर आपने छिड़काव कराया है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश मे में किन-किन जनपदों में ऐसे मच्छर पाये गये उन जगहों को चिन्हित किया गया ? इसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह इतना विस्तृत सवाल है। माननीय मंत्री जी सूचना होगी आपके पास तो आप इनको लिखकर बता दें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

उपभोक्ताओं को एल0 पी0 जी0 गैस सिलेण्डरों का निर्धारित वजन एवं गुणवत्तायुक्त वितरण

*6-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि अर्ध शा0 पत्र संख्या-715/29-7-2004-2-ए0क्यू0/2004, दि0 24 मई, 2004 जो सही वजन एवं गुणवत्तायुक्त सिलेण्डर आपूर्ति किये जाने

नोटः-तारांकित प्रश्न संख्या-5, प्रश्न संख्या-13 के उपरान्त लिया गया।

तारांकित प्रश्न सं0 5, जो तारांकित प्रश्न सं0 13 के उपरान्त लिया गया था, के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

विषयक है, द्वारा उपभोक्ताओं को एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों को निर्धारित वजन एवं गुणवत्तायुक्त वितरण सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या गैस सिलेण्डर देते समय उपभोक्ताओं को तौल कर दिये जाने हेतु की गयी व्यवस्था अनिवार्य रूप से अपनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ "राजा भइया"-

जी नहीं, उक्त पत्र द्वारा मा0 सदस्य को उनके द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना के संदर्भ में वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। शासन द्वारा एल0 पी0 जी0 सिलेण्डर की होम डिलेवरी किये जाने पर उपभोक्ताओं को स्प्रिंग बैलेन्स से सिलेण्डर तौलकर दिये जाने के लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश दिनांक 01-04-98 द्वारा समुचित निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासन के रेडियोग्राम दिनांक 19-01-2005 द्वारा उपभोक्ताओं को एल0 पी0 जी0 सिलेण्डर स्प्रिंग बैलेन्स से तौलकर दिये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि इस संबंध में कहीं से किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच विधिक माप विज्ञान एवं संबंधित तेल कम्पनी तथा जिला प्रशासन द्वारा की जाती है और दोषी पाये जाने पर संबंधित गैस एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाती है।

जी हां, इस संबंध में पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियन चलाया गया जिसमें कुल 1492 गैस एजेन्सियों एवं हाकरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 290 चालान किये गये और 107 घटतौली के मामले पकड़े गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे बिना बिजली के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आज के आधुनिक युग में बिना ईंधन गैस के जीवन की कल्पना करना असंभव है और इसका दाम भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें भ्रष्टाचार भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिये मैंने पिछले दिनों भी इस पर प्रश्न किया था। सरकार ने आश्वासन भी दिया था और आज भी कुछ कहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतने कड़े निर्देशों का आदेशों का वास्तविक रूप में कहां अनुपालन हो रहा है ? और अगर हो रहा है तो कम मात्रा में हो रहा है। आज भी इस भ्रष्टाचार का मूल कारण यह है कि जो गैस सिलेण्डर के डिलीवरी मैन हैं उनको एजेन्सी द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जाता। मैं अधिकृत रूप से बता रहा हूं कि उन्हें छूट दी गयी है कि जैसे निगम को अपना वेतन अर्जित करना होता है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी अपना वेतन अर्जित करने के लिये कहा जाता है और वह प्रति गैस सिलेण्डर से 2, 3, 4, 5 किलो गैस निकाल लेते हैं और दूसरे सिलेण्डर में भर लेते हैं और वह सिलेण्डर बेच लेते हैं यही उनकी स्वअर्जित आय है और मेरी मंशा यह है कि इस पर रोक लगनी चाहिये, जिसका शिकार आम जनता हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिये कोई कारगर उपाय अपनाने चाहिये। इन आदेशों-निर्देशों का अनुपालन सिर्फ इतना ही हो रहा है कि वाट-मांप विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है और कुछ एक लोगों का चालान कर लिया जाता है। 1492 गैस कम्पनी हाकरों का निरीक्षण किया और सिर्फ 290 का चालान किया। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब यह शिकायत मिली है कि हर गैस सेलेन्डर में गैस कम मिल रही है तो फिर 290 का चालान करने का क्या कारण है ? और दूसरा यह है कि ट्राली मैन को स्प्रिंग बैलेन्स

देने की बात कही जा रही है लेकिन यह अनिवार्य रूप से नहीं चल रहा है। तीसरा यह कि इनको यूनीफार्म देने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी ऐरा गेरा ट्राली लेकर घूम रहा है। तो मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर विषय को प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि सरकार इन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये और कोई कारगर कदम उठाये।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने बड़ा लम्बा प्रश्न किया। पहली बात यह उठायी कि गैस बड़ी महंगी हो रही है तो मेरे विचार से सभी लोग यहां पर सहमत होंगे कि गैस का मूल्य राज्य सरकार नहीं निर्धारित करती है, यह केन्द्र का प्रकरण है। दूसरा आपने यह तो माना कि 290 का चालान किया। लेकिन आपने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि 107 घटतौली के मामले भी पकड़े गये। मान्यवर, बांट माप विभाग में हमारे पास दो अधिकार है, एक तो यह कि गैस एजेन्सी का चालान कर सकते हैं, उन्हें अर्थदण्ड दे सकते हैं, जिसकी राशि तीन हजार रुपया होती है। दूसरा यह कि चालान करके न्यायालय को सुपुर्द कर सकते हैं, वह जो निर्णय लेना चाहें लें। दूसरी सिंग बैलेन्स की बात कही गयी। हमने इसे अनिवार्य कर दिया है। यदि आपकी इच्छा दोबारा है तो हम सभी जिलाधिकारियों को फिर से शासनादेश भेज देंगे कि इसका कड़ाई से पालन किया जाय। गैस कम मिलने की बात भी कही गयी। यदि आपके संज्ञान में कोई ऐसी गैस एजेन्सी है जहां पर घटतौली या मिलावट होती है तो मुझे बतायें, हम आश्वासन देना चाहते हैं कि विभाग इसमें कड़ाई से कार्यवाही करेगा। चौथी बात यूनीफार्म की कही गयी तो मैं यह बता दूं कि खाद्य तथा रसद विभाग किसी हाकर को वर्दी नहीं देता है। यह गैस कम्पनी के मालिक के ऊपर निर्भर है कि उसे वर्दी पहनाकर भेजे या फिर लुंगी कुर्ता पहनाकर। इसमें सरकार का या विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप पैट्रोल पम्प में देख लीजिये। कुछ पैट्रोल पम्प वाले अपने यहां के कर्मचारियों को यूनीफार्म देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। यह तो मालिक की अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। तो यह हमारे क्षेत्र के बाहर की बात है। जहां तक घटतौली की बात है हम सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे देंगे कि इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी की जाय। इसके अलावा अगर आपको कहीं और कमी लग रही है तो हमें अवगत करायें। आप हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी बातों का सम्मान किया जायेगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उन्हें चेतावनी दी जायेगी।

प्रदेश में परिवार नियोजन व बढ़ती आबादी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बनाई गयी नीति एवं योजना की जानकारी

*7-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता लाने तथा बढ़ती आबादी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई नीति एवं योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1991 के सापेक्ष वर्ष 2001 में उ0प्र0 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी हां।

प्रदेश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन की स्थाई एवं अस्थाई विधियों की जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) तथ

विभिन्न प्रचार माध्यमों से जन समुदाय को प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जनसंख्या नीति उ0 प्र0, 2000 प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1991 के सापेक्ष जनसंख्या में 3,40,54,055 की वृद्धि हुई है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने अपने प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि परिवार नियोजन की स्थाई एवं अस्थाई विधियों की जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों से जन समुदाय को प्रदान की जा रही है। दूसरी बात यह बतायी है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्रदेश की जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जनसंख्या नीति उ0 प्र0, 2000 प्रख्यापित की गयी। मान्यवर, लगभग पांच वर्ष हो गये हैं और इन पांच वर्षों में जनसंख्या नीति प्रख्यापित करने के बाद जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन में क्या कोई सफलता प्राप्त हुई है ? और अगर नहीं हुई तो सरकार इसके लिये क्या उपाय करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह प्रश्न किसी न किसी ऐतबार से लगभग हर सत्र में आता है और जवाब भी लगभग एक सा ही होता है और वह इसलिये होता है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के लिये कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठाये जा सकते हैं, जो कदम उठाये जाने हैं और उठाये जा रहे हैं, उसमें विवाह की उम्र में वृद्धि, पारिवारिक जीवन शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, पंचायतों की भागीदारी एवं भूमिका, प्राइवेट, एन0 जी0 ओ0 एवं कार्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा, सेवाओं की पहुंच एवं गुणवत्ता बढ़ाना, विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना, आदि हैं। पिछली बार यह सुझाव भी सदन में आया था कि जहां ज्यादा अशिक्षा हो वहा इस सम्बन्ध में आकर्षक बोर्ड और होर्डिंग लगाये जायें, डाक्यूमेण्ट्री फिल्म अशिक्षित इलाकों में दिखाई जायें, इसके अलावा और कोई कारगर तरीके नहीं दीखते जिनका इस्तेमाल किया जा सके, इन्हीं सब तरीकों का इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं और आज भी सरकार यही कर रही है। मान्यवर, 1950 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ लेकिन जितना कारगर होना चाहिये था, जितना कण्ट्रोल होना चाहिये था, यह सही है कि उतना नहीं हो सका, उसके कारण पहले भी कहे जा चुके हैं और पुनः कहे जा रहे हैं। इसके मूल दो कारण हैं, एक है गरीबी और दूसरी अशिक्षा है। जैसे-जैसे हम इन पर काबू पाते जायेंगे वैसे-वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण होता जायेगा। जैसे-जैसे लोग शिक्षित हुये हैं वैसे-वैसे समाज जागरूक हुआ है और लोगों के अन्दर अपने हुकूक को बचाने के लिये जागृति आई है और उसमें जो बच्चों की मृत्यु का प्रतिशत था वह आज काफी कम हुआ है। पहले जब बीमारी फैलती थी तो पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते थे, अब उन पर कण्ट्रोल हुआ है। जो पहले इसके लिये कुदरती तरीके हुआ करते थे, उस पर अब इन्सान ने कण्ट्रोल पा लिया है, बहुत से साधन अख्तियार हुये हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये, लेकिन इन सबके साथ-साथ आधुनिक संसाधनों की वजह से बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है, वृद्धों की मृत्युदर में कमी आई है, इसकी वजह से ही मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा आबादी नियंत्रित नहीं हो सकी है, लेकिन इसकी वजह से कुछ तो फर्क पड़ा ही है। मान्यवर, परिवार नियोजन के लिये या जनसंख्या नियंत्रण के लिये, कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है बल्कि लोगों को इसके बारे में समझाया ही जा सकता है। मेरे

ख्याल से गौर साहब इससे इत्तेफाक करेंगे क्योंकि वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत ही विद्वान हैं, वह चाहें तो इतने से ही संतुष्ट हो जायें नहीं तो जितना चाहें उतना इस प्रश्न को लम्बा कर लें, लेकिन उत्तर मेरा यही रहेगा, जो मैंने कहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मैं भी एक प्रश्न कर लूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं आपकी मदद ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश कुमार खन्ना जी भी इस प्रश्न पर कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन आपसे इससे क्या मतलब है, आप बैठ जायें।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि जो भी उपाय अपनाये जा रहे हैं उन उपायों के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि रुक नहीं रही है और आज हम दुनिया के दूसरे बड़े देश के रूप में हैं और सम्भवतः इस दशक में दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में जाने जायेंगे। हमारी आबादी चीन से भी ज्यादा हो जायेगी। यह चिन्ता की बात है। क्या एक सर्वदलीय बैठक बुला कर और उसमें सर्वानुमति बनाकर कुछ ऐसे प्राविधान नियमों में किये जायेंगे जिससे कि जो लोग परिवार नियोजन अपनाते हुये अपने बच्चों की संख्या दो से कम रखे हुये हैं, उन्हें अतिरिक्त सुविधा दी जाय। दूसरे, आज पंचायत राज चुनाव के संदर्भ में उनके आयुक्त का एक सुझाव भी छपा है जिसमें उनका यह कहना है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों वह चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जायें। मैं नहीं जानता कि उन्हें ऐसा कुछ करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सबंधित नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मानयवर, एक काम तो मुख्य मंत्री जी कर ही सकते हैं ताकि लोगों में एक प्रेरणा पैदा हो कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें मंत्रि-परिषद् का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। इससे अध्यक्ष को अलग रखा जायेगा। क्या इस संदर्भ में वे गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ? दूसरे, जो पंचायत राज चुनाव आयुक्त के सुझाव पर विचार करेंगे तथा नियमों में परिवर्तन व संशोधन के लिए क्या एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल करेंगे ? और जिन मंत्रियों के दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें घर में बैठने के लिए कहेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, शेष बातों का उत्तर तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री देंगे। जो आपने सुझाव दिया है कि मंत्रिमण्डल में उन सदस्यों को न रखा जाए जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो यह तो मुश्किल काम है। लेकिन स्पीकर साहब को आपने इसमें ले लिया है या उनको छोड़ दिया है। यह जो सवाल है इस

सवाल पर विधान सभा चाहें भी तो कुछ नहीं हो सकता है। यह संवैधानिक मामला है और वहां पर आपकी सरकार है अगर संविधान संशोधन करेंगे तो हम भी उसका पालन करेंगे। यहां से तो नहीं कर सकते हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी आपका परिवार नियोजन से क्या मतलब है आप बैठे गौर साहब को सवाल करने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, समय-समय पर इस बात पर जोर दिया गया है कि इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, 1975 के बाद किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर बात कर सके। पालिसी बनी लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो सका। क्या माननीय मंत्री जी अशिक्षित बस्तियों में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चलायेंगे जिससे लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ सके ? मान्यवर, 1952 के बाद से परिवार नियोजन के क्षेत्र में जितना खर्च हुआ है अगर उतना शिक्षा के क्षेत्र में धन खर्च हुआ होता तो बात दूसरी होती। आज हमारे प्रदेश की आबादी 17 करोड़ पर खड़ी है और अशिक्षित बस्तियों में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है तो क्या आपकी कोई ऐसी कार्य योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित बस्तियों में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, जिस तरीके से पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया और उसमें भ्रांतियां फैलीं और फैलाई गईं कि उसके ड्राप नहीं देने चाहिए लेकिन उसमें प्रयास करके सभी समुदायों के लोगों को बिठा कर बात की गई और उसको कामयाब करना चाहा तो उसके रिजल्ट्स मिले और अब पल्स पोलियो अभियान भी कामयाब होने लगा है। प्रमोद कुमार जी ने उस जैसी ही राय दी थी अपने सवाल में, सभी दलों और सभी विचारधारा के लोगों को एक साथ बैठकर अगर इस पर कोई रास्ता निकाला जाए तो यह एक अच्छा सुझाव है इसको मान लेने में कबाहत नहीं होनी चाहिए। फैसला तो दिल्ली सरकार का होगा, वह जो करेंगे सिवाय इमरजेंसी लगाने के, सब मान्य होगा। मान्यवर, खन्ना साहब ने सब बच्चों का ख्याल रखा है और उसकी भावना का अलग से आदर करना चाहिए।

दुनियादी बात शिक्षा और गरीबी की है। मैंने अभी कहा था कि गरीबी और अशिक्षा तब तक दूर नहीं होगी तब तक जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इन बातों को जिसको मैं पहले कह चुका हूं कि उन बस्तियों को जो गरीब बस्तियां हैं और अशिक्षित बस्तियां हैं वहां ज्यादा प्रोपोगेट करने की जरूरत है, वहां ज्यादा समझाने की जरूरत है और उसके लिए बहुत अच्छे किस्म का पोस्टर और लिटरेचर और छोटी-छोटी बातें मैंने कही थीं छोटी फिल्म बनाकर वहां दिखाकर उन लोगों को तैयार करने की जरूरत होगी। सरकार खुद इसमें यकीन रखती है और जो ऐसे कदम हो सकते हैं जिससे आबादी का कंट्रोल किया जा सके, काबू बरत सकें, सरकार उसका कार्य कर रही है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अशिक्षित बस्तियां हैं वहां फिल्म दिखाकर, पोस्टर लगाकर जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके तो क्या परिवार कल्याण मंत्री को फिल्म

दिखाने और पोस्टर लगाने का काम करेंगे और अशिक्षित लोगों के लिए तो कह रहे है लेकिन जो लोग शिक्षित हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं इस पर भी प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से सदन ले रहा है। मैं समझता हूं कि सभी जानते हैं कितनी भी विकास करने की हम लोग कोशिश करें, यह सर्वविदित है और सिद्ध हो चुका है कि जब तक जनसंख्या पर हम लोग प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे हम सभी मिलकर, तब तक विकास हो ही नहीं सकता। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया कि गरीबी और अशिक्षा, अशिक्षित वही है जो गरीब है उनके पास क्या साधन है मनोरंजन का, न मकान है दो-दो, तीन-तीन कमरे का बस एक झुग्गी-झोपड़ा है या एक-एक कमरे में रहते हैं और यही कारण है व्यवहारिक तो इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है तो आप चाहे पोस्टर लगा दीजिए चाहे कुछ भी कीजिए। अगर हम सब मिलकर उसके बारे में अपने-अपने यहां एक कार्यक्रम आयोजित करें ब्लाक स्तर पर और सबको बतलायें, जो गरीब मोहल्ले हैं वहां बैठें और इस सम्बन्ध में हम सब मिलकर जनता का सहयोग लेकर प्रचार करें पोस्टर लगायें। खन्ना साहब ने दो कार्यक्रम ऐसे बतलायें जिसमें काफी रुपया बेकार हुआ है एक परिवार कल्याण और दूसरा प्रौढ़ शिक्षा उसका कोई परिणाम नहीं निकला। प्रौढ़ शिक्षा में कोई बताये कहां परिणाम निकला तो अगर शिक्षा पर और विकासशील कार्यक्रमों पर यह खर्च हो तो बेहतर परिणाम होते। हम जिम्मेदारी लें और हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छः माह में दो कार्यक्रम, मिलकर सभी दल एक सर्वदलीय बैठक ब्लाक स्तर पर आयोजित करें एक सप्ताह मनायें, इससे सब सहमत हों तो हम भी अपने क्षेत्र में जायेंगे और लोगों को समझायेंगे कि इसके कितने गम्भीर परिणाम हैं इससे हमारा सर्व शिक्षा अभियान भी कामयाब होगा, लोग शिक्षित होंगे। इसके अलावा गरीबों के बारे में हम क्या सोच सकते हैं ? इन्दिरा आवास के अलावा और भी जो सुविधायें उन्हें दी जा सकती हैं, हम उसमें मदद करेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, अशिक्षित और निर्धन की, कि उनमें ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसमें उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोग बैठें, ब्लाक स्तर पर, तहसील स्तर पर। तो इसमें मेरा सुझाव है कि पहले जिला स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो और उसमें सबकी सहभागिता रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात घट रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आज कार्यशाला है, आप उसमें रहियेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह जनसंख्या से ही जुड़ा प्रश्न है। इस समय महिला और पुरुष का अनुपात 898-1000 है। इसके अलावा बालक-बालिकाओं का अनुपात 1000-961 है, इस पर भी क्या सरकार विचार करेगी कि यह बैलेन्स कैसे बने ? इसके अलावा एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा कि 1991 से 2001 तक हिन्दुओं में आबादी की वृद्धि दर 19.9 प्रतिशत रही जबकि इसी अवधि में मुस्लिमों की

जनसंख्या वृद्धि दर 29.3 प्रतिशत रही। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है।

प्रदेश में औषधि निरीक्षकों द्वारा एकत्र किये गये दवाइयों के नमूनों पर सील लगाये जाने की जानकारी

***8-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-**

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाइयों के जो सैम्पल एकत्र किये जाते हैं क्या उन पर कोई सील नहीं लगायी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दवाइयों के लिये गये सैम्पलों पर सील लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-23 के अनुसार औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाइयों का नमूना एकत्र करते समय नमूने के (निर्माता से तीन तथा विक्रेता से चार) वांछित भाग करते हुये एकत्र किये गये नमूनों पर विधिवत् प्रभावी ढंग से सील लगायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया, उसी के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। कि जो सैम्पल भरे जाते हैं, उसकी 4 शीशी भरी जानी चाहिये। उसमें एक शीशी दुकानदार को भी मिलनी चाहिये। अभी तक दुकानदार को सैम्पल की शीशी नहीं दी जाती है। सैम्पल लेने वाले उसमें कुछ भी कर देते हैं। मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है कि वहां मौके पर सील नहीं लगाई जाती है, यह गलत है। हम यह चाहते हैं कि मौके पर सील लगाई जाय और एक शीशी दुकानदार को भी मिलनी चाहिये, ऐसे प्राविधान कर दिये जायें ?

श्री अध्यक्ष-

सील तो लगाई जाती है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, सील भी लगाई जाती है और हस्ताक्षर भी किये जाते हैं। यदि ऐसा न होने का कोई प्रकरण आपके संज्ञान में है कि हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं या हमारे प्राविधानित नियमों की अवहेलना की गयी है तो आप हमारे संज्ञान में लायें, सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। वैसे सारी व्यवस्थायें हैं, 4 सैम्पल लिये जाते हैं, विक्रेता के हस्ताक्षर भी होते है। दवा निर्माता कं0 की सील लगाई जाती है और तभी सैम्पल यहां आते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसे दिखवा लेगें।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, क्या नियमों में संशोधन करके, जब सैम्पुल लिये जाते हैं तो जहां तीन शीशी भरी जाती है। वहां तीन के स्थान पर पूर्ववत् चार शीशी भरने का प्राविधान करेंगे ? ताकि चौथी शीशी सील होकर दुकानदार के पास सुरक्षित रखी रहे। जिससे कि सैम्पुल टेस्टिंग के बाद यदि कोई भ्रम उत्पन्न हो तो वह शीशी टेस्ट के लिये जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तीन के स्थान पर चार शीशी भरे जाने का प्राविधान करेगी ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जो सैम्पुल लिये जाते हैं, उस पर विक्रेता के हस्ताक्षर होते हैं। वह तभी स्वीकार होता है जब उस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो मान्यवर, अदला-बदली की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी नियमों में संशोधन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि विक्रेता के हस्ताक्षर होते हैं और अदला-बदली की कोई सम्भावना नहीं है, इसका मतलब है कि वह संशोधन नहीं करेंगे। यदि कोई शिकायत हो तो उसे बता दें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, जहां तीन शीशी भरी जाती है, वहां चार शीशी भरी जाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, पिछले सत्र में ड्रग नीति पर काफी चर्चा हुई थी और यह शासनादेश भी हुआ था कि ड्रग नीति पर पूरी समीक्षा के लिये क्या-क्या संशोधन हो सकते हैं, इसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी मान्यवर, उस कमेटी में डा0 पी0 के0 राय और डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी का भी नाम था। मान्यवर, समीक्षा कमेटी की जो संस्तुति आयेगी, उस पर सरकार विचार कर लेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, कमेटी के सदस्यों में डा0 पी0 के0 राय और मेरा नाम है, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं आयी है।

प्रदेश में प्रचलित विभिन्न ब्राण्ड के गुटखों में हानिकारक तत्वों की मात्रा की जांच की मांग

*५-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में प्रचलित विभिन्न ब्रांड के गुटखों में हानिकारक तत्वों की मात्रा की जांच की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गुटखों में मैगनीशियम कार्बोनेट नामक कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मात्रा की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने जो जांच की बात कही थी, उसमें मैंने यह जानना चाहा था कि यह जांच कहां की जाती है और जांच की प्रक्रिया क्या है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गुटखा से होने वाले राजस्व की प्राप्ति और उससे होने वाली

जनहानि तथा उससे होने वाले कैंसर के इलाज के खर्च पर क्या कोई अध्ययन सरकार की ओर से कराया गया है और यदि कराया गया है तो क्या उसका संज्ञान लिया गया है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, गुटखों में जो हानिकारक तत्व पाये जाते हैं, उस पर सरकार सजग है और मान्यवर, 87 नमूनों का परीक्षण कराया गया है। इसके अतिरिक्त जहां-जहां भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर प्रभावी कार्यवाही भी सरकार करा रही है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरे दोनों प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं आया है। मैंने पूछा था कि जांच कहां की जाती है तथा उसकी प्रक्रिया क्या है और इससे होने वाले राजस्व की प्राप्ति तथा इससे होने वाले जनहानि तथा जनित कैंसर के इलाज के खर्च पर क्या कोई अध्ययन सरकार की ओर से कराया गया है और यदि कराया गया है तो क्या उसका संज्ञान लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कोई प्रयोगशाला है जहां जांच होती हो ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, लखनऊ में लेबोरेटरी है, वहां से जांच करायी जाती है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न जनता से जुड़ा हुआ है, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। मेरे दो प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूछा कि कहां परीक्षण कराया जाता है ? मंत्री जी ने बता दिया कि लखनऊ में प्रयोगशाला है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैंने जानकारी चाही थी कि जांच कहां होती है और उसकी प्रक्रिया क्या है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, प्रदेश के समस्त जनपदों में ब्लाक स्तर पर हमारे फूड इंस्पेक्टर तैनात हैं। जहां भी आशंका होती है या फिर शिकायत मिलती है वहां हमारे फूड इंस्पेक्टर सैम्पलिंग करते हैं और उसकी लेबोरेटरी में जांच हो जाती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय सदस्य और पूरा सदन अच्छी तरह से जानता है कि इस सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में इस तरह के मरीजों को जितना पैसा मिला है, वह रिकार्ड पैसा है। इस सरकार ने न तो कोई दल, धर्म, जाति विशेष या किसी का कोई खास ख्याल रखा गया है। जिसकी दरख्वास्त आती है, दरख्वास्त के साथ किसी ऐसे इंस्टीट्यूट, मेडिकल कालेज वगैरह का इस्टीमेट आता है तो वगैर किसी जानकारी के कि कौन सा व्यक्ति है या किस दल का है, वह जांच के लिए चला जाता है। अब इसमें जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि जो जांच आयी है, हम उस जांच में मदद करें। हम स्थानीय तौर पर उसकी जांच में मदद नहीं करते और यहां आकर उसकी जांच में जबाब-तलबी करते हैं। जब

जिले में जांच जाती है, गरीब के लिए तब आप लोगों को उस गरीब की मदद करनी चाहिए। जांच के बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कोई अन्याय होता हो तो वह मुजरिम हैं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं कल्याणकारी सरकार से अपेक्षा रख रहा हूं, मेरा जो प्रश्न था उससे स्वास्थ्य संबंधी नीति निर्धारण में मदद मिलेगी। यह आम जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न था कि गुटखा से कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है तथा कितना जनहानि होता है ? दूसरे उससे जो कैंसर का रोग हो जाता है उसके इलाज में कितना खर्च आता है ?

श्री अध्यक्ष-

मेहरोत्रा जी, यह जो प्रश्न आप पूंछ रहे हैं यह तो मूल प्रश्न में है नहीं। इसे आपको मूल रूप से पूंछना चाहिए था, सप्लीमेंटरी में आप इसे पूंछ रहे हैं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर किताब की दुकान पर, चाय की दुकान पर, हर चौराहे पर, सभी जगह आपको गुटखा टंगा हुआ मिल जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गुटखा निर्माता हैं, उनको प्राइमरी स्टेज पर कोई लाइसेंस देने की व्यवस्था है या मनमाने ढंग से गुटखे का उत्पादन होता है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो एक हानिकारक तत्व है, जिसके उपस्थित रहने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसका इस्तेमाल न हो इसके लिए समय-समय पर सैम्पुल लेते हैं और अगर मैग्नेशियम कार्बोनेट पाया जाता है तो कार्यवाही भी करते हैं। जहां तक लाइसेंस की बात है तो हमारे इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा उद्योगों को जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है उसके अनुसार ही गुटखा निर्माताओं को भी लाइसेंस दिया जाता है।

"मैनिग्यो मेनिनजाइटिस" (मस्तिष्क ज्वर) रोग की रोकथाम हेतु योजना

*10-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फैल रही खतरनाक बीमारी "मैनिग्यो मेनिनजाइटिस" (मस्तिष्क ज्वर) की रोकथाम के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मैनिग्यो मेनिनजाइटिस रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्रांक-एम-136/पांच-8-2005-4संक्रा/2005, दिनांक 16-5-2005 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी एवं समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण/मुख्य चिकित्साधिकारी को उपचारात्मक/निदानात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम कटिरा जाफराबाद के जिला चिकित्सालय में ड्राप्सी के मरीजों के इलाज हेतु समुचित व्यवस्था की मांग

*11-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 2005 में जनपद गाजियाबाद के ग्राम कटिरा जाफराबाद में 11 व्यक्ति ड्राप्सी की बीमारी से ग्रस्त पाये गये थे ? क्या यह सही है कि इन मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था जनपदीय चिकित्सालय में नहीं थी ? क्या सरकार जनपदीय चिकित्सालय में उक्त बीमारी के इलाज की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं। मार्च, 2005 में जिला चिकित्सालय गाजियाबाद व जनपद के अन्य सरकारी चिकित्सालयों में ड्राप्सी का कोई मरीज भर्ती नही हुआ है। ग्राम कटिरा जाफराबाद के बीमारी से ग्रस्त 11 व्यक्तियों की जांच कराने के उपरान्त पाया गया कि उनको ड्राप्सी की बीमारी नहीं थी।

जी नहीं। जिला चिकित्सालय में ड्राप्सी मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जितने मरीज वहां पर दाखिल किये गये उनको डाक्टर ने रिफर किया था। यह गढ़मुक्तेश्वर डिसपेंसरी में गये थे और वहां के डाक्टर ने रिफरेंस किया है कि इनको ड्राप्सी है। हम इलाज नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको ड्राप्सी नहीं थी। तो या डाक्टर गलत है या सूचना देने वाला गलत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मरीजों को किसी डाक्टर ने रिफर किया था, यदि हां, तो रिफरेंस पत्र में क्या यह लिखा गया है कि यह ड्राप्सी के केसेज हैं ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, यह जो मरीज थे, पी0एम0ओ0 द्वारा इन केसेज का परीक्षण कराया गया। इसके अलावा तेल के नमूनों का परीक्षण किया गया। 35 नमूने लेकर परीक्षण कराया गया और उसमें आर्जिमोन नहीं पाया गया। यह जो बीमार थे यह ड्राप्सी से नहीं बल्कि अन्य सामान्य बीमारियों से पीड़ित थे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तेल के नमूनों का परीक्षण कराया गया ?

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न किया था कि गाजियाबाद के ग्राम कटिरा जाफराबाद में 11 व्यक्ति ड्राप्सी से ग्रस्त पाये गये। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ड्राप्सी का कोई मरीज भर्ती ही नहीं हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर को गलत सिद्ध करने के लिए मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिस सरकारी डाक्टर ने रिफर किया उसने पत्र में क्या यह लिखा है कि यह व्यक्ति ड्राप्सी से

ग्रस्त है। चूंकि वहां चिकित्सा की सुविधा नहीं थी, इसलिए इन मरीजों को रिफर किया। उसके बाद जिलाधिकारी ने स्वयं सारे जिले में तेल के नमूने लिये। अगर वह मरीज ड्राप्सी से ग्रस्त न होते तो यह प्रक्रिया न हुई होती। आप भी जो उत्तर दे रहे हैं वह जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं हमें भी जानकारी प्राप्त होती है। मेरी जानकारी को सही मानकर इस बात का पुनः परीक्षण करायेंगे और जिस अधिकारी ने गलत जानकारी दी है उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जिन डाक्टर ने रिफर किया है उनको आशंका रही होगी कि ड्राप्सी है लेकिन जब जांच की गई तो उनमें ड्राप्सी की बीमारी नही पाई गयी। जहां तक ड्राप्सी का प्रश्न है यहां पर भी चर्चा हुई थी और तेल के नमूने लेने का एक अभियान चलाया गया था न केवल गाजियाबाद में बल्कि लखनऊ मे कुछ केस आये थे और पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया था। जिन मरीजों को रिफर किया गया था उनमें ड्राप्सी नहीं थी उनको सामान्य बीमारियों का उपचार करके ठीक कर दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

मेरी जानकारी को सही मानकर इसकी पुनः जांच करायेंगे और यदि मामला सही पाया गया तो जिसने यह जानकारी दी है उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है लेकिन इनके मन में शंका है कि आपको गलत जानकारी दी गई है। क्या इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मैं इसको पुनः दिखवा लूंगा।

वर्ष 2004-2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी मांग

*12-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष 2004-2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में नये राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो चिकित्सालय कब तक खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में नये राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं खोले गये।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 75 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं 134 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव था, किन्तु बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण नये राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं हो सका।

चौधरी महेन्द्र सिंह-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण नये राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं हो सका है तो क्या माननीय मंत्री जी

बतायेंगे कि बजट व्यवस्था उपलब्ध होने पर नये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायेंगे और उसमें मेरे जनपद अलीगढ़ में विधान सभा क्षेत्र कोल में सरानी आगरा रोड पर जहां के लिए जिला योजना में प्रस्ताव पास है वहां के लिए धन आवंटित करने पर विचार करेंगे ? दूसरे अलीगढ़ जनपद में ही खैर में जहां के लिए भी जिला योजना में प्रस्ताव पास है, धन आवंटित करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

मान्यवर, वर्ष 2005 के जिला योजना के जो प्रस्ताव आए हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति के लिए उनको वित्त विभाग भेजा गया है जैसे ही वित्त विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी तुरन्त काम शुरू हो जाएगा।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की मांग

*13-श्री रिजवान अहमद खां-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त सेवा नियमावली कब तक बना कर प्रख्यापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह)-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु विनियमावली प्रख्यापन की प्रक्रिया में है।

विनियमावली का आलेख विधायी विभाग से विधिक्षित करा लिया गया था। इसी बीच एस0जी0पी0जी0आई0 के कतिपय शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित नियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही त्वरित गति से सम्पन्न की जा रही है। समिति द्वारा विचारोपरान्त नियमावली प्रख्यापन की कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पन्न करा ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अनुपूरक करना चाहेंगे ?

(किसी सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न न करने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि अभी प्रश्नकाल में समय बचा हुआ है इसलिए माननीय सदस्यों की रुचि वाले प्रश्न सं0-5 को ले लेते हैं।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 जो तारांकित प्रश्न सं0-13 के उपरान्त लिया गया था, को यथा स्थान लगा दिया गया है। तत्पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर को दिनांक 1-4-2000 से 1-2-05 तक पल्स पोलियो कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि की जानकारी व उसके दुरुपयोग की जांच

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में पल्स पोलियो कार्यक्रम में दिनांक 1-4-2000 से 1-2-05 तक कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा जनपद शाहजहांपुर के किस-कि... सामु0 स्वा0 केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

2-श्री मोख्तार अन्सारी

[दिनांक 19-7-2005 के अता0 प्र0 सं0-106 द्वारा उत्तरित]

जनपद झांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय वित्तीय वर्षों में मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत लाभार्थियों को बाटी गयीं धनराशि में अनियमितता की जांच

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद झांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर (झांसी) के क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं वित्तीय वर्ष 2003 जनवरी, 2004 तक मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत किन-किन लाभार्थियों को कितना रुपया बांटा गया है ? क्या इस धनराशि के वितरण में अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही गर्भवती महिलाओं को 2 बच्चों तक रु0 500/-की धनराशि पोषण हेतु दी जाती है। जनपद-झांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर (झांसी) के क्षेत्रान्तर्गत मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत वितरित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	लाभार्थी	धनराशि
2000-01	185	92,500/-
2001-02	74	37,000/-
2002-03	630	3,15,000/-
2003-04	70	35,000/-

धनराशि वितरण की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवायें झांसी मण्डल, झांसी को निर्देशित किया गया है।

मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी व ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना में लाभार्थियों को वर्ष 2000 से प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण

4-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक प्रतिवर्ष कितना-कितना धन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कितने पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब)-

मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि तथा उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये में)
2000-01	1554.13
2001-02	1375.32
2002-03	1714.33
2003-04	1841.04
2004-05	2134.56

व्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 2559 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कार्यरत श्री राम स्वरूप वर्मा आई0ओ0 द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

5-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कार्यरत श्री राम स्वरूप वर्मा, आई0ओ0 द्वारा की गयी घोर अनियमितताओं की जांच जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा तथा विभागीय जांच वर्ष 2004 में करायी गयी थी, जिसमें उस पर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये थे और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर दण्डित करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या संस्तुति के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा संस्तुति के आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैथालाजी, प्रसव, गर्भपात एवं प्लास्टर हेतु निर्धारित शुल्क सम्बन्धी विवरण की जानकारी

6-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैथालाजी, प्रसव, गर्भपात, हड्डी टूटने पर प्लास्टर किये जाने हेतु क्या कोई शुल्क निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या वर्ष 2005 में उक्त शुल्क में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव एवं गर्भपात, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने के कारण नि:शुल्क है तथा पैथालाजी एवं हड्डी टूटने पर प्लास्टर के शुल्क की दरें निर्धारित है।

पैथालाजी एवं हड्डी टूटने पर प्लास्टर हेतु शासनादेश संख्या-984/-पांच-1-2000-4 (80)/95, दिनांक 28 जून, 2000 के द्वारा दरें निर्धारित की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव बाल विकास परियोजना, नवाबगंज की मुख्य सेविका श्रीमती कमल लता के लम्बित देयकों के भुगतान की मांग

7-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

13-5-05 7-क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सदस्य, विधान परिषद् श्री रंजीत सिंह का पत्र दिनांक 22-11-04 जो श्रीमती कमल लता, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना, नवाबगंज, जनपद-उन्नाव की लखनऊ तैनाती के समय का लम्बित देयकों के भुगतान के संबंध में था, सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उनके अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हां।

श्रीमती कमल लता, मुख्य सेविका 29-1-03 से 28-6-04 तक निलम्बित रहीं। उनके लम्बित देयकों में माह जून, से जुलाई, 2000 तक वेतन वृद्धि एरियर, 01-06-02 से 17-06-02 तक कार्यावधि का वेतन 30-7-02 से 31-7-02 तक कार्यावधि का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

शेष देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। देयकों का भुगतान समय से न करने के सम्बन्ध में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई के अधीन कार्यरत श्री राम स्वरूप वर्मा आई0 ओ0 द्वारा घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी माननीय मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र पर बिन्दुवार कार्यवाही किये जाने की मांग

8-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के अधीन कार्यरत श्री राम स्वरूप वर्मा, आई0 ओ0 द्वारा की गई घोर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 20 मई, 2005 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए इन्सेफलाइटिस वार्ड की मशीनों के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इन्सेफलाइटिस वार्ड के निर्माण हेतु रुपये 63 लाख अवमुक्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त वार्ड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इन्सेफलाइटिस वार्ड के निर्माण हेतु 63.00 लाख रु0 की कोई धनराशि आवंटित नहीं है, अपितु इन्सेफलाइटिस वार्ड की मशीनों और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद हेतु रु0 73.60 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 31-3-2004 द्वारा अवमुक्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया द्वारा वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर का निरीक्षण

10-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर का अंतिम निरीक्षण कब किया गया था तथा निरीक्षण रिपोर्ट में क्या-क्या कमियां बताई हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

एम0सी0आई0 द्वारा मेडिकल कालेज, गोरखपुर का अन्तिम निरीक्षण 14 व 15 अक्टूबर, 1999 में किया गया था। निरीक्षण में मुख्य रूप से एम0सी0आई0 के मानक के अनुरूप शैक्षणिक स्टाफ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियां इंगित की गई है।

कानपुर स्थित लाटूश रोड हिन्दू अनाथालय में रिसीवर नियुक्त किये जाने की मांग

11-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर स्थित लाटूश रोड, हिन्दू अनाथालय को सरकार अधिग्रहीत कर रिसीवर नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय डिस्पेन्सरी, लखनऊ में दवाओं की खरीद पर महालेखाकार की आपत्ति

12-श्री राम करन आर्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के चौथे बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय अनियमिततायें निर्धारित करके दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अधीक्षक सचिवालय डिस्पेन्सरी, लखनऊ के लेखा की (अवधि माह 6/2001 से 3/2002 तक) महालेखाकार द्वारा माह अप्रैल, 2002 में सम्प्रेक्षा की गयी थी। महालेखाकार द्वारा अपनी सम्प्रेक्षा में कतिपय आपत्तियां व्यक्त की गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेन्सरी द्वारा महालेखाकार को उपलब्ध करा दी गई है। सचिवालय डिस्पेन्सरी कार्यालय द्वारा महालेखाकार से सम्पर्क करने पर यह अवगत कराया गया कि अभी प्रश्नगत प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है।

अनुपालन आख्या के निरीक्षणोपरान्त महालेखाकार द्वारा अन्तिम रूप से जो वित्तीय अनियमिततायें विभाग को सूचित की जायेंगी तद्नुसार उन पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिसवां बाजार, महाराजगंज के भवन के किराये के भुगतान की मांग

13-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिसवां बाजार, जनपद महाराजगंज किराये के मकान में स्थित है ? यदि हां, तो क्या मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

जी नहीं।

निदेशक, आयुर्वेद को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन भुगतान किये जाने की मांग

14-श्री रामशंकर पाल

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा पेंशन पाने वाले कतिपय लोगों की पेंशन अकारण ही रोक दी गई है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्राम को इस्लामाबाद जिला उन्नाव के ब्लाक गंज-मुरादाबाद की निवासिनी पांचों को मिलने वाली पेंशन भी विगत वर्ष से बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त पेंशन को पुनः चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

सम्परीक्षा प्रतिवेदन में 21 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को दोहरा भुगतान हो जाने के कारण अधिक प्रेषित धनराशि के समायोजन तथा 12 लाभार्थियों के सही बैंक खाते प्राप्त किये जाने के कारण पेंशन रोकी गई थी। 6 लाभार्थियों को सही खाता मिलते ही भुगतान कर दिया गया है। धनराशि समायोजित होते ही नियमित पेंशन भुगतान भी चालू हो जायेगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी में कार्यरत समाज कल्याण पर्यवेक्षक को निलम्बित किये जाने की मांग

15-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक सं0-2986/9-80/ 02-03/दिनांक 29-8-03 द्वारा ब्लाक काकोरी में कार्यरत समाज कल्याण पर्यवेक्षक श्री आनन्द सिंह भौंटू को निलम्बित करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का कार्यान्वयन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। (सम्बन्धित समाज कल्याण पर्यवेक्षक का नाम श्री आनन्द सिंह भौंटू है।)

जी नहीं।

श्री आनन्द सिंह भौंटू समाज कल्याण पर्यवेक्षक को निलम्बित करने का औचित्य नहीं बनता था। मण्डलायुक्त, लखनऊ की संस्तुति पर जांचोपरान्त यह पाया गया कि सम्बन्धित वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि समय से वितरित कर दी गयी थी, केवल वितरण की सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई थी।

जनपद मऊ के टी0बी0 क्लीनिक में टी0बी0 की दवाओं की उपलब्धता

16-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अन्तर्गत क्षय रोग चिकित्सालय में टी0 बी0 की दवायें न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अस्पताल को टी0 बी0 की दवा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में टी0वी0 क्लीनिक में टी0वी0 की दवायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवकाश यात्रा बिलों के भुगतान पर आपत्ति

17-श्री. प्रागी लाल अहिरवार-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के छठे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 136 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 में प्रस्तुत अवकाश यात्रा बिलों में से दो अवकाश यात्रा बिलों में क्या-क्या औपचारिकतायें पूर्ण नहीं थीं ? क्या औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को कार्यालयाध्यक्ष मु0 चि0 अधीक्षक द्वारा कोई निर्देश निर्गत किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस बारे में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर प्रश्नगत बिलों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यात्रा किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बाल गृह कानपुर के आकस्मिक निरीक्षण में पायी गयी कमियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

18-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय बाल गृह कानपुर नगर का दिनांक 11-10-2002 को विभागीय अधिकारियों द्वारा एवं पूर्व राज्य मंत्री, महिला कल्याण द्वारा दिनांक 22-12-02 एवं 24-1-03 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो उक्त निरीक्षणों में कौन सी कमियां पाई गईं तथा पाये गये तथ्यों के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय बाल गृह (बालक), कानपुर नगर का दिनांक 4-10-02 को विभागीय अधिकारियों द्वारा तथा पूर्व राज्य मंत्री महिला कल्याण द्वारा दिनांक 22-12-02 एवं 24-1-03 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था।

निरीक्षणों में मुख्य रूप से खाद्य सामग्रियों के क्रय, बिल बाउचर, स्टाक रजिस्टर, सामग्रियों के वितरण, अभिलेखों के रख-रखाव, निर्धारित मानक के अनुसार संवासियों को पर्याप्त भोजन आदि न दिए जाने, घटिया किस्म की सामग्रियों के क्रय, गुणवत्ता की कमी, थोक दर पर सामग्रियों के न क्रय

करने, संवासियों का उत्पीड़न आदि से संबंधित कमियां पाई गई थी। प्रकरण में 15 कर्मचारियों को चेतावनी 19 कर्मचारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई तथा 07 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महिला आश्रम कानपुर की संवासिनी की उपचार के दौरान हुयी मृत्यु का प्रकरण

19-श्री प्रदीप जैन आदित्य

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला आश्रम कानपुर में दिनांक 30-6-04 को एक गूंगी लड़की की मृत्यु हो गई थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त लड़की काफी दिनों से गम्भीर रूप से बीमार चल रही थी तथा सुचारु रूप से इलाज न होने के कारण उसकी मृत्यु हुई ? अभिरक्षा में मृत्यु प्रकरण में क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त लड़की बीमार चल रही थी जिसका इलाज दिनांक 7-4-04 से लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर नगर में कराया जा रहा था। दिनांक 30-6-04 को उक्त चिकित्सालय में उपचार के दौरान ही संवासिनी की मृत्यु हुई।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

20-श्री जगदीश नारायण राय-

[3रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माल कार्यालय में नियुक्त आप्टोमेट्रिस्ट को वेतन भुगतान की मांग

21-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माल कार्यालय में आप्टोमेट्रिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर आप्टोमेट्रिस्ट कार्यरत हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कार्यरत आप्टोमेट्रिस्टों को जुलाई, 2003 से वेतन न मिलने के कारण उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों के वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद लखनऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माल कार्यालय में आप्टोमेट्रिस्ट के दो पद स्वीकृत है और दोनों पदों पर आप्टोमेट्रिस्ट कार्यरत हैं।

जी नहीं।

उक्त केन्द्र पर कार्यरत श्री सत्य प्रकाश ओझा, आप्टोमैट्रिस्ट को बजट उपलब्ध न होने के कारण जुलाई, 2003 से नवम्बर, 03 तक का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका था। श्री ओझा के उक्त वेतन के कालातीत बिल की पूर्व सम्प्रेक्षा की स्वीकृति कराकर भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं के सन्ड्री खातों में लम्बित अवितरित धनराशि की जांच

22-श्री जगन प्रसाद गर्ग

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं के सन्ड्री खातों में लम्बित अवितरित धनराशि के मिलान एवं वापसी हेतु नियुक्त तीन चार्टर्ड एकाउटेंट फर्मों द्वारा मई, 2005 तक कितने जिलों की जांच की गयी और कितनी धनराशि की वापसी कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वांछित सूचना प्रदेश के समस्त जनपदों से मांगी गई है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में स्थित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोक हटाये जाने की मांग

23-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वर्ष 2005 में विगत माह सीतापुर जनपद में हो रहे साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी थी यदि हां, तो क्या सरकार साक्षात्कार पर लगी रोक को हटाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। प्रतिबन्ध समाप्त होने के उपरान्त यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बन्नी खरैला में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण की जांच

24-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाईस्कूल, बन्नी खरैला, विकास क्षेत्र विसवां, जिला-सीतापुर ने दिनांक 29-07-04 को अपने विद्यालय के कक्षा 6, 7 तथा 8 के अनुसूचित जाति के 82 छात्र/छात्राओं की सत्र 2004-05 के लिये छात्रवृत्ति

सम्बन्धी सूची सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिसवां सीतापुर से स्वीकृत कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर को दी है ? यदि हां, तो क्या छात्रवृत्ति का धन सम्बन्धित विद्यालय को भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच के आदेश निदेशक, समाज कल्याण को दे दिये गये हैं।

25-श्री जगदीश नारायण राय-

[2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण लखनऊ मण्डल कार्यालय पर कथित रूप में कब्जा

26-श्री मो0 रिजवान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, लखनऊ मण्डल कार्यालय पर एक स्वयं सेवी संस्था (एन0 जी0 ओ0) की एक महिला द्वारा अनधिकृत कब्जा कर प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 15-2-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, किन्तु समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 09-12-2004 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में संस्था को कब्जा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया है।

संस्था के अध्यक्ष को भवन रिक्त कराये जाने हेतु अन्तिम नोटिस निदेशक, महिला कल्याण द्वारा दे दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस भवन का स्वामित्व समाज कल्याण विभाग के पास है और जो कक्ष महिला कल्याण निदेशालय को आवंटित हैं, उसकी विभाग को आवश्यकता नहीं है, जिसे अधिकार में दिये जाने हेतु निदेशक, समाज कल्याण को लिखा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में जूनियर हाई स्कूल के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति विवरण की मांग

27-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में जू0 हा0 स्कूल के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये वर्ष 2004-2005 में कुल कितना धन छात्रवृत्ति वितरण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? उसमें से कितना धन किन-किन विद्यालयों को वितरित कराया गया ? क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गयी

है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार छात्रवृत्ति वितरित न करने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब-

जनपद सीतापुर में वित्तीय वर्ष 2004-05 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत कुल रु0 209.47 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी।

उक्त धनराशि में से जनपद में स्थित 1676 परिषदीय विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। जनपद में स्थित शेष 1087 परिषदीय विद्यालयों एवं 570 अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को बजट में धनराशि के अभाव में लाभान्वित नही किया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बजट में वित्तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए इसके लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सुल्तानपुर के नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़वार का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

28-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़वार, जनपद-सुल्तानपुर का निर्माण अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिकों का पटल परिवर्तन

29-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से कितने लिपिक कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनका अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब, तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव में विगत 05 वर्षों से अधिक समय से 05 लिपिक कार्यरत हैं।

जी नहीं। समस्त लिपिकों के पटल परिवर्तन कर दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में जूनियर हाई स्कूलों के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण

30-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में जू0 हा0 स्कूल के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये वर्ष 2004-2005 में कुल कितना धन छात्रवृत्ति वितरण हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? किन-किन विद्यालयों को कितनी धनराशि वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)-

जनपद सीतापुर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को वर्ष 2004-05 में पूर्वदशमु छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल रु0 142.31 लाख की धनराशि जनपद के शासकीय विद्यालयों, अनुदानित तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के जू0 हा0 स्कूल कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्राप्त हुयी थी। इस धनराशि में रु0 35,38,960/- की धनराशि अनुदानित/मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों/विद्यालयों को आवंटित की गयी।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 131-135 पर।)

जनपद सीतापुर के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वितरित की गयी छात्रवृत्ति

31-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट के अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये वर्ष 2004-2005 में कुल कितना धन छात्रवृत्ति वितरण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ है, उसमे से कितना धन किन-किन विद्यालयों को भेजा गया ? क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? छात्रवृत्ति वितरित न करने वाले दोषियों को क्या सरकार दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब-

जनपद सीतापुर में वित्तीय वर्ष 2004-05 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 22.28 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसमें से जनपद में स्थित 07 राजकीय तथा 55 मान्यता प्राप्त/अनुदानित विद्यालयों के 1492 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति वितरित की गई।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में उपरोक्तानुसार कार्यालय में प्राप्त मांग-पत्रों के आधार पर छात्रवृत्ति का वितरण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को वितरित छात्रवृत्ति

32-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट के अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये वर्ष 2004-2005 में कुल कितना धन छात्रवृत्ति वितरण हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को प्राप्त हुआ है, उसमें से कितना धन किन-किन विद्यालयों को दिया गया है ? क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रवृत्ति वितरित न किये जाने वाले दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जनपद सीतापुर के लिए वर्ष 2004-05 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु हाई स्कूल (शासकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त) विद्यालयों (कक्षा 9-10 हेतु) के लिए कुल रु0 222.193 लाख धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से रु0 111.904 लाख की धनराशि का वितरण हुआ तथा विद्यालयों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण शेष रु0 110.289 लाख की धनराशि समर्पित की गयी।

दशमोत्तर (शासकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त) कक्षाओं/संस्थाओं के लिए कुल रु0 148.368 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसका वितरण किया जा चुका है। विद्यालयवार वितरित धनराशि का <u>विवरण संलग्न है।</u>

स्थिति उपर्युक्तानुसार स्पष्ट है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ट 136-142 पर।)

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति के छात्रों को वितरित की गयी छात्रवृत्ति का विवरण

33-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में मान्यता प्राप्त अनुदानित हाईस्कूल, इण्टरमीडियेट कालेज के लिये वर्ष 2004-2005 में कुल कितना धन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वितरण हेतु समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर द्वारा दिया गया ? उसमें से कितना धन किन-किन विद्यालयों को दिया गया ? क्या उक्त छात्रवृत्ति का धन समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों में वितरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

सीतापुर जनपद में मान्यता प्राप्त अनुदानित हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेजों के लिए वर्ष 2004-05 में रु0 8,55,340/-की धनराशि अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर द्वारा दी गई।

विद्यालयवार धनावंटन की <u>सूची संलग्न है।</u>

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता, तथापि छात्रवृत्ति वितरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 143-148 पर।)

सीतापुर जनपद में अनुदानित/मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को छात्रवृत्ति आवंटन

34-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में जू0 हाईस्कूल के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये वर्ष 2004-2005 में कुल कितना धन अनुसूचित जाति के छात्रों में छात्रवृत्ति वितरण हेतु समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर द्वारा दिया गया और कितना-कितना धन किन-किन विद्यालयों को दिया गया ? क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिये उत्तरदायी कर्मियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

सीतापुर जनपद में अनुदानित/मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को वर्ष 2004-05 में कुल 8,41,920.00 रु0 का धनराशि विद्यालयों/ग्राम पंचायतों के छात्रवृत्ति खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर द्वारा भेजी गई, शासकीय सहायता प्राप्त 05 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और मान्यता प्राप्त 26 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को दी गयी धनराशि की सूची विद्यालयवार संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं। यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 147 पर।)

प्रदेश में प्रतिवर्ष औषधि निरीक्षकों द्वारा एकत्र किये गये दवाई के नमूने की संख्या एवं उनकी जांच

35-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाओं के औसतन कितने नमूने एकत्र किये जाते हैं और कितने नमूनों की लैब में जांच करने की शासन के पास व्यवस्था है ? क्या वर्तमान में प्रत्येक वर्ष किये गये सभी नमूनों की जांच हो पाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में नई लैब स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में प्रति वर्ष औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाओं के औसतन 3500 नमूनें एकत्र किये जाते है। लखनऊ लैब में लगभग 1000 नमूनें प्रतिवर्ष जांच करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला, कोलकता को भी औषधि नमूनों की जांच हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने हेतु सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत रु0 66.80 लाख से प्रयोगशाला का रिनोवेशन किया जा रहा है तथा उपकरण/संयत्र भी लगाये गये है। मेरठ व वाराणसी ड्रग लैब को क्रियाशील बनाने के लिए स्वीकृत पदों हेतु अधियाचन भेजा गया है।

जी नहीं।

वर्तमान में नई लैब की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है अपितु लखनऊ, वाराणसी एवं मेरठ की औषधि प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

ग्राम प्रधानों के लिये नसबन्दी कराने का लक्ष्य समाप्त किये जाने की मांग

36-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम प्रधानों के लिये नसबन्दी कराने का लक्ष्य (कोटा) निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसे समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के नवसृजित विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

37-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के नवसृजित विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता को अर्द्धशासकीय पत्र सं0-356/पांच-6-04-ए0क्यू0-58, दिनांक 5 फरवरी, 2004 द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30000 की आबादी पर बनाये जाने की योजना के सापेक्ष वर्तमान में यह कार्य संतृप्त हो चुका है। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के आयुर्वेद विभाग में वार्ड ब्वाय की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण का विधिक परीक्षण

38-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेद विभाग, इलाहाबाद के श्री महावीर, चिन्तामणि, श्री संगम लाल यादव एवं अन्य दो की वार्डब्वाय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 1180/90 दायर की गयी जिसमें उपर्युक्त याचीगण को छोड़कर शेष दो अभ्यर्थियों को वर्ष 2003-04 में प्रतापगढ़ में कार्यभार ग्रहण करा दिया ? यदि हां, तो रिट याचिका के शेष 3 अभ्यर्थियों को भी कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

श्री महावीर आदि द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-1180/90 में नहीं अपितु रिट याचिका संख्या-1148/90 श्री महावीर प्रसाद व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के

सन्दर्भ में दो सहयाचियों को तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेद के आदेश दिनांक-15-2-2003 द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन प्रतापगढ़ में कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना प्राप्त हुई है। सम्पूर्ण प्रकरण का विधिक परीक्षण कराकर शेष याचीगण के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेने हेतु निदेशक, आयुर्वेद को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रय की गई औषधि की जांच की मांग

39-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में ''कालाजार'' नामक रोग से रोकथाम के लिये महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा 29 मार्च, 2005 को प्रभावित जनपद कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समुचित बजट उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो संबंधित सी0 एम0 ओ0 द्वारा प्रश्नगत बीमारी के निराकरण हेतु औषधि, रसायन तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति का आदेश कब और किस फर्म को दिया गया है ? क्या बिना क्रय समिति के अनुमोदन तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण किये लाखों रुपये की आपूर्ति के आदेश एक ही फर्म को दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

क्रय आदेश दिनांक 28-03-2005 एवं 29-03-2005 को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सरकार संघ लि0, लखनऊ को निर्गत किया गया।

जनपद स्तर पर क्रय की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्रय की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

जनपद हमीरपुर में कार्यरत फार्मेसिस्ट स्व0 श्री राजाराम के आश्रित को सेवायोजन हेतु कार्यवाही

40-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हमीरपुर में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत श्री राजाराम की मृत्यु 19-2-95 को सेवाकाल में हो गयी थी ? क्या उनके आश्रित पुत्र ऋषिकुमार को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का आदेश सी0एम0/वि0को0/ एम-/113777/2004, दि0 23-11-04 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

श्री ऋषि कुमार आश्रित पुत्र स्व0 श्री राजाराम द्वारा सेवायोजन हेतु उनके पिता की मृत्यु के लगभग 10 वर्ष के उपरान्त दि0 22-2-03 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चूंकि यह निर्धारित अवधि के उपरान्त दिया गया है अतः समय सीमा में छूट दिये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सयम सीमा के शिथिलीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

भरौंह तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर के इण्डियन आयल के डीलर द्वारा डीजल/पेट्रोल में मिलावट किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

41-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि इण्डियन आयल की भरौंह तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर के डीलर द्वारा डीजल/पेट्रोल में 60% मिलावट करके बिक्री किये जाने बाबत शिकायती-पत्र उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार फोरम के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शशिभूषण दूबे पथिक (लालगंज) का प्रत्यावेदन दि0 18 फरवरी, 2004, दि0 27 मई, 04, दि0 9 सितम्बर, 04, दि0 27 नवम्बर, 04, दि0 27 जनवरी, 2005 आयुक्त विन्ध्यांचल मण्डल/जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जनपद में वार्ड ब्वाय के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

42-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिट याचिका सं0-1148/90 से सम्बन्धित याचीगण महावीर, चिन्तामणि एवं श्री संगम लाल को इलाहाबाद जनपद में वार्ड ब्वाय के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-353, दिनांक 23-2-05 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

उक्त पत्र के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-55 एम0एल0ए0/17-2-2005-197/2005 दिनांक 27-4-2005 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में नर्सिंग होमों की कुल संख्या तथा निर्धारित मानक

43-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में कितने नर्सिंग होम हैं ? नर्सिंग होम खोलने के लिये क्या मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या उक्त नर्सिंग होम मानक के अनुसार स्थापित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ में कुल 36 नर्सिंग होम है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में तैनात फार्मेसिस्ट श्री राजाराम की मृत्यु के उपरान्त उनके देयों के भुगतान की मांग

44-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हमीरपुर के अन्तर्गत फार्मेसिस्ट पद पर कार्यरत श्री राजाराम की मृत्यु दिनांक 19-2-95 को सेवाकाल में हो गयी थी ? क्या उनके आश्रित को ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 तथा अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

श्री राजाराम के आश्रितों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण एवं जी0पी0एफ0 के भुगतान हेतु आवेदन नहीं किया गया, जिसके कारण उनके देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जा सकी है। श्री राजाराम के उपार्जित अवकाश की धनराशि रु0 13,006 का भुगतान चेक संख्या-ए-एफ-863775 दिनांक 28-2-2003 द्वारा कर दिया गया है।

निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर नियमानुसार अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाये जाने की योजना

45-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नये राशन कार्ड बनवाकर बांटने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी प्रदेश की पात्र व्यक्तियों से अधिक यूनिटों को दिये खाद्यान्न सामग्री का आवंटन रोकेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी हां।

प्रदेश मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदो में बुकलेट फार्म में विभिन्न श्रेणियों (बी0पी0एल0, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, ए0पी0एल0) के लिए नये सिरे से राशन कार्ड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में शासादेश संख्या-422/29-6-2005-298/03, दिनांक 03 फरवरी, 2005 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि नये राशन कार्ड निर्गमन के लिए जांच प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी। जांच पत्र में अपेक्षित सूचनाओं को भली-भांति छानबीन के उपरान्त की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा आदि विभिन्न श्रेणी के कार्ड निर्गत किये जायेंगे; किसी भी परिस्थिति में इसे पुराने कार्डों के बदले नये कार्डों के निर्गमन की प्रक्रिया नहीं माना जायेगा। इसका उद्देश्य यह है कि सभी पात्र को राशन कार्ड निर्गत हों और यदि किसी अपात्र व्यक्ति को पूर्व में किसी श्रेणी का कार्ड निर्गत किया गया हो तो वह निरस्त हो सके। जांच पत्र में सूचना प्राप्त कर सत्यापन के कड़े निर्देश पुनः दिनांक 02-7-2005 को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसीलों में राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत विधवाओं के अनुदान फार्मों की बिना जांच किये अपात्र घोषित किये जाने की जांच

46-श्री रामलेत भारती-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर की तहसीलों मे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत विधवाओं के अनुदान फार्मों की बिना जांच व सत्यापन किये अपात्र घोषित कर खारिज किये जाने की जांच विषयक शिकायतकर्ता का पत्र, 145 निरस्त आवेदकों की सूची सहित, मार्च, 2005 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जिलाधिकारी, सीतापुर से जांच कराई जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की मांग

47-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के स्तर पर गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ स्थित राज्य रक्त कोष लैब टेक्नीशियनों को वेतन का भुगतान

48-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थित राज्य रक्त कोष के लैब टैक्नीशियनों को फरवरी, 2005 से अब तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश संख्या-403/पांच-6-9-जी/03 दिनांक 21-02-05 एवं शासनादेश संख्या-1198/पांच-6-9/जी0 3 दिनांक 27-5-05 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थित राज्य रक्त कोष में कार्यरत समस्त कार्मिकों को दिनांक 01-3-05 से चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मान लिया गया है। उक्त तिथि से राज्य रक्त कोष के कार्मिकों को वेतन भुगतान चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। वेतन का भुगतान माह जून तक किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में तैनात लैब टेक्नीशियनों एवं स्टाफ नर्स के वेतन भुगतान की मांग

49-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कितने लैबटेक्नीशियन व कितनी स्टाफ नर्सें तैनात हैं, जिनका वेतन राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग से ही निकालने का विकल्प दिया गया है और उनमें से कितने कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो रहा है और कितने कर्मचारियों का वेतन शासनादेश जारी न होने के अभाव में काफी दिनों से रुका पड़ा है ? क्या सरकार तत्काल शासनादेश जारी कराने एवं वेतन का नियमित भुगतान करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में तैनात ऐसे नर्सिंग स्टाफ की संख्या-398 है, जिन्होंने वेतन राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से ही निकालने का विकल्प दिया है। ऐसा कोई भी लैबटेक्निीशयन कार्यरत नहीं है जिसने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से वेतन निकालने का विकल्प दिया हो। उक्त तैनात समस्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। चूंकि किसी भी कर्मचारी का वेतन भुगतान रुका नहीं है। अतः वेतन भुगतान हेतु शासनादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर मेडिकल कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किये जाने की मांग

50-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार लखनऊ मेडिकल कालेज की भांति कानपुर मेडिकल कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय है। उसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शिवरी पत्नी स्व0 कल्लू ग्राम हरिहरपुर लखनऊ को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की मांग

51-श्री कौशल किशोर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शिवरी पत्नी स्व0 कल्लू जाति भुर्जी गांव हरिहरपुर ब्लाक-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ इनके पति स्व0 कल्लू को वृद्धा पेंशन 4 वर्ष पूर्व से मिल रही थी की मृत्यु दि0 27-5-04 को हो गई थी, जिसकी वृद्धा पेंशन विधवा पत्नी शिवरी के नाम स्थानान्तरण करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र सहित दिनांक 30-9-04 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को आवेदन पत्र भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

श्रीमती शिवरी पत्नी स्व0 कल्लू निवासी ग्राम हरिहरपुर, विकास खण्ड मलिहाबाद ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16-7-05 को प्रस्ताव पारित करके वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी गई है तथा कोषागार द्वारा चेक के माध्यम से दिनांक 18-7-05 को छः माह की पेंशन की धनराशि रु0 900/-श्रीमती शिवरी के बैंक के बचत खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा भेज दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों एवं फार्मासिस्टों के रिक्त पद एवं नियुक्ति की मांग

52-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31-05-2005 तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कितने डाक्टर व फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सरकारी चिकित्सालयों में सामान्य व विशेषज्ञता उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारियों के कुल 1890 पद तथा फार्मासिस्ट के कुल 453 पद रिक्त हैं।

चिकित्साधिकारियों के पदों पर समूह "ख" में लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद के माध्यम से चयन के आधार पर भर्ती की जाती है, जिन्हें भर्ती हेतु अधियाचन भेजा जा चुका है तथा उनकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। सम्प्रति काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत इन रिक्त पदों के सापेक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध रिक्त पदों पर संविदा पर 1065 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में चिकित्सा अधीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

53-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में चिकित्सा अधीक्षक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

54-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के 464 पद रिक्त हैं।

प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के जमेठी ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को नये दुकानदार को आवंटित करने की मांग

55-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि मेरठ जनपद के जमेठी ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान 6 बार निलम्बित होने के उपरान्त भी बार-बार पुराने दुकानदार को ही आवंटित कर दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बाराबंकी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय टेढ़वा में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनु0 जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवंटित छात्रवृत्ति

56-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय, टेढ़वा, विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद बाराबकी मे वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु कितनी धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी थी ? क्या उक्त आवंटित धनराशि का वितरण छात्रों में किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हा, तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। पूर्व माध्यमिक विद्यालय टेढ़वा, विकास खण्ड-फतेहपुर जनपद-बाराबकी को वर्ष 1995-96 में रु0 2880.00 और वर्ष 1996-97 में रु0 7680.00 की धनराशि छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु प्रेषित की गयी थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के मुख्य औषधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला में तैनात फार्मासिस्ट के स्थानान्तरण की मांग

57-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य औषधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला जनपद-बलरामपुर में लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से अपने गृह ब्लाक तथा जनपद में तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उन कार्मिकों का मण्डल के बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। श्री आत्मदेव गुप्ता, चीफ फार्मेसिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला, बलरामपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में सीनियर लैब टेक्नीशियन पैथालॉजी स्व0 श्री भगवत चरण वर्मा के आश्रितों को देयकों के भुगतान की मांग

58-श्री पूर्णमासी रैहाती-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में सीनियर लैब टेक्नीशियन, पैथालाजी विभाग में कार्यरत श्री भगवत चरण शर्मा दिनांक 31-1-2001 को

सेवानिवृत्त हुये थे, जिनका दि0 03-12-2001 को निधन हो गया ? क्या उनकी पत्नी श्रीमती मधु शर्मा को पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है ? क्या मृतक की अवशेष राशिकरण तथा अन्य देयों का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

राशिकरण की धनराशि को छोड़कर अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है।

श्री शर्मा की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती मधु शर्मा ने विकल्प प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किये गये विकल्प पर श्री शर्मा का हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका तथा पेंशन प्रपत्र जो स्व0 श्री शर्मा ने स्वयं भरे थे, दोनों में भिन्नता थी जिसकी सत्यता की जांच की गयी तथा पाया गया कि श्रीमती मधु शर्मा ने जो विकल्प स्व0 श्री भगवती चरण शर्मा की मृत्यु के उपरान्त प्रस्तुत किया था, उस पर अंकित हस्ताक्षर फर्जी है। हस्ताक्षर फर्जी होने के कारण श्री शर्मा के राशिकरण की धनराशि भुगतान नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में सत्यता की पुष्टि हो जाने के उपरान्त श्री शर्मा के राशिकरण की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराने की मांग

59-श्री बादशाह सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड-खड्डा (कुशीनगर) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण कार्य जनवरी, 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात कर्मियों की संख्या एवं भवनों की रंगाई पुताई

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक ए0एन0एम0 एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं तो मानक के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? क्या सभी भवनों की चहार दीवारी, रंगाई-पुताई, मरम्मत आदि भी विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष चिकित्सक, ए0 एन0 एम0 एवं कर्मचारी नियत संख्या में तैनात नहीं है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

जी हां, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों तथा 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त अवधि में संदर्भगत कार्य कराया गया।

विगत 05 वर्षों में वर्ष 2000-2001 व 2003-2004 में भवनों की रंगाई पुताई का कार्य कराया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर के मुख्य द्वार पर सफाई की मांग

61-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर के मुख्य द्वार पर स्थित मूत्रालय एवं सर्जिकल वार्ड एक एवं दो की सीढ़ियों के पास स्थिति शौचालय/मूत्रालय का गन्दा पानी बाहर बहता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की नियमित सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। व्यवस्था करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दिबना बरेली से सेवानिवृत्ति डा0 हरिओम अग्रवाल के देयकों के भुगतान की मांग

62-श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 हरिओम अग्रवाल, आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी की सेवानिवृत्ति 31 जुलाई, 2004 को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दिबना जनपद-बरेली से हुई थी ? क्या श्री अग्रवाल के सेवानिवृत्ति देय ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, पेंशन-कप्यूटेशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

जी हां।

डा0 अग्रवाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार भुगतान यथाशीघ्र कराने हेतु प्रयास किया जायेगा।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु0 संस्थान, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

63-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु0 संस्थान, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट विधान मण्डल सदन के समक्ष रखने का प्राविधान है ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट कितने वर्षों से प्रस्तुत नहीं की गयी और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकी है। भविष्य में उक्त रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

राजकीय महिला चिकित्सालय, मौरावां, उन्नाव में कार्यरत स्व0 श्रीमती राम कुमारी के आश्रित का सेवायोजन एवं अन्य देयों के भुगतान की मांग

64-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती राम कुमारी पत्नी स्व0 श्री सीता राम, सफाई कर्मी के पद पर राजकीय महिला चिकित्सालय, मौरावां, उन्नाव मे कार्यरत थीं, उनका निधन दिनांक 13 अगस्त, 2003 में हो गया था ? मृतक आश्रित की पुत्री कु0 आशा देवी को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने हेतु प्रार्थना-पत्र निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ दिनांक 13-12-04 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। श्रीमती राम कुमारी पत्नी स्व0 श्री सीता राम, सफाई कर्मी के पद पर राजकीय महिला चिकित्सालय, मौरावां, उन्नाव में कार्यरत थीं, परन्तु उनका निधन दिनांक 13 अगस्त, 2003 को नहीं बल्कि 13 अगस्त, 2004 को हुआ।

जी हां।

जी नहीं।

मृतक की आश्रित पुत्री कु0 आशा देवी के सेवायोजन के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव का पत्र दिनांक 13-12-2004 जो महानिदेशालय को प्राप्त हुआ है, उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेख अपूर्ण है। महानिदेशालय के पत्र दिनांक 15-7-2005 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव से वांछित अभिलेख पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। वांछित अभिलेख पूर्ण हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

65-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती राम कुमारी पत्नी स्व0 श्री सीताराम, सफाई कर्मी के पद पर राजकीय महिला चिकित्सालय, मौरावां, उन्नाव में कार्यरत थीं, उनका निधन 13 अगस्त, 2003 में हो गया था ? क्या मृतक के जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा तथा अन्य देयों का

भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। श्रीमती राम कुमारी पत्नी स्व0 श्री सीता राम, सफाई कर्मी के पद पर राजकीय महिला चिकित्सालय, मौरावां, उन्नाव में कार्यरत थीं, जिनका निधन दिनांक 13 अगस्त, 2003 को नहीं अपितु 13 अगस्त, 2004 को हुआ।

जी नहीं।

प्रक्रियाधीन है।

समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकों के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन, पैथालोजी, आपरेशन थियेटर उपलब्ध है और ओवर हेड टैंक से जलापूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सामुदायिक केन्द्रों में मानक के अनुसार उक्त सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष चिकित्सक एवं कर्मचारी नियत संख्या में तैनात नहीं हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की कमी है।

मानक के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी, अमरगढ़ व कोहडोर में एक्स-रे मशीन/पैथालोजी आपरेशन थियेटर उपलब्ध/कार्यरत है और ओवर हेड टैंक से जलापूर्ति भी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के पर्चा आउट होने की जांच

67-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सी0पी0एम0टी0 के वर्ष 2005-06 का पर्चा आउट हो गया है ? यदि हां, तो इस कार्य में कौन-कौन व्यक्ति सम्मिलित पाये गये तथा उन लोगों के खिलाफ कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में उचित कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांग जन आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

68-श्री परमजीत-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विकलांग जन आयुक्त का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्याम नारायण-

वर्तमान में विकलांग जन आयुक्त पद का कार्य सचिव, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अपने पद के साथ-साथ सुचारु रूप से संपादित किया जा रहा है। अतः संप्रति अन्य किसी अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के बड़ा गांव व पनैठी में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य की प्रगति

69-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ के विधान सभा क्षेत्र कोल में बड़ा गांव व पनैठी में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

धनाभाव के कारण।

मार्च, 2006 तक पूर्ण हो जायेगा।

जनपद अलीगढ़ की नगर पंचायत, जलाली के चिकित्सालय में कुत्ते काटने की वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग

70-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ की नगर पंचायत, जलाली के चिकित्सालय में कुत्ते काटने के इंजेक्शन व जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-अलीगढ़ की नगर पंचायत, जलाली के चिकित्सालय नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर का है, जहां पर कोल्ड चैन की व्यवस्था नहीं होती है। कुत्ते काटने की वैक्सीन व अन्य वैक्सीन की व्यवस्था ब्लाक स्तरीय मातृ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरदुआगंज पर रहती है, जहां कोल्ड चैन की पूर्ण व्यवस्था है। जलाली क्षेत्र के मरीजों को कुत्ते काटने की वैक्सीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदुआगज से उपलब्ध करायी जाती है। अन्य जीवन रक्षक औषधियां नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलाली पर उपलब्ध रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अलीगढ़ में फिजियोथिरैपिस्ट के स्वीकृत पद

71-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में फिजियोथिरैपिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें कितने पद रिक्त हैं ? क्या उनमें अनु0 जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कोटा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-अलीगढ़ में फिजियोथिरैपिस्ट का कोई पद सृजित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा क्षेत्र में सांसद निधि से लगाये गये हैण्ड पम्पों की गुणवत्ता की जांच

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा सांसद निधि से पोषित वर्ष 2000-2001 में जो सौ हैण्ड पम्प लगाये गये थे उनमें से लगभग 72 हैण्ड पम्प कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों की गुणवत्ता की जांच एक तकनीकी समिति गठित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सांसद निधि से वर्ष 2000-2001 में 57 हैण्ड पम्प (इण्डिया मार्क-2) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा स्थापित किये गये हैं जिसमें से 09 हैण्ड पम्प कार्यरत नहीं हैं।

उक्त हैण्ड पम्पों की गुणवत्ता की जांच एक तकनीकी समिति गठित करके करायी गयी है। जांच निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में निवास कर रहे गोडिया/गौंड, धुरिया, नायक, ओझा आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग

73-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में निवास कर रहे गोडिया/गौंड, धुरिया, नायक, ओझा अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये गये हैं ? क्या अनुसूचित जाति को मिलने वाले सभी लाभ उनको प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में ग्राम शेरपुर में एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की मांग

74-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के ग्राम शेरपुर, ब्लाक-लहरपुर, जनपद-सीतापुर में एक एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0-125428/2005 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30000 की जनसंख्या पर बनाये जाने की योजना के सापेक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कार्य संतृप्त हो गया है। अतः कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरा तथा खेजुरी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध कराने की मांग

75-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरा तथा खेजुरी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

अल्ट्रासाउण्ड मशीन की उपलब्धता जिला नियोजन एवं अनुश्रवण के अनुमोदन एवं जिला योजना से उपलब्ध परिव्यय पर निर्भर करती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप डाक्टर एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकों के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक, कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक तैनात कर दिया जायेगा ? क्या पट्टी के सभी

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर एक्स-रे मशीन पैथोलोजी, आपरेशन थियेटर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष चिकित्सक/कर्मचारी नियत संख्या में तैनात नहीं हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

मानक के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पट्टी, अमरगढ़ व कोहडोर में ऐक्स-रे/पैथोलोजी आपरेशन थियेटर उपलब्ध/कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती तथा विगत पांच वर्षों में मरम्मत आदि पर व्यय की जानकारी

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक, एन0एम0 एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? क्या सभी के भवनों की चाहर दीवारी, रंगाई-पुताई, मरम्मत आदि करने पर विगत पांच वर्षों मे कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष चिकित्सक/ए0एन0एम0 एवं कर्मचारी नियत संख्या में तैनात नहीं हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

कुल रु0 7,30,614=00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की श्रीमती हीरा देवी पत्नी श्री लहुरी, ग्राम ममौरी द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

78-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद-जौनपुर की श्रीमती हीरा देवी पत्नी श्री लहुरी, अनुसूचित जाति निवासी ग्राम-ममौरी, थाना-सिकरारा का प्रार्थना-पत्र जो उनके पुत्र के साथ मारपीट करने वाले विपक्षीगण द्वारा उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में था, राज्य महिला आयोग को 6 जून, 05 से 15 जून, 2005 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-6-2005 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थना-पत्र में निहित प्रकरण मारपीट एवं जान से मारने की धमकी से सम्बन्धित है इसलिए उ0प्र0 राज्य महिला आयोग के सम्मन पत्र "क" संख्या-1327/रा0म0आ0/2005 दिनांक 30-6-2005 द्वारा प्रार्थना-पत्र को त्वरित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को भेज दिया गया है।

श्रीमती हीरा देवी के पुत्र श्री सन्तोष कुमार ने इसी घटना की शिकायत दिनांक 10-11-2004 को उ0प्र0 अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी की थी। उ0प्र0 अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार को कई तिथियों में आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए पत्र भेजा परन्तु प्रार्थी श्री सन्तोष कुमार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुये, फलस्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में प्रकरण को निक्षेपित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती की मांग

79-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन हैं ? क्या सरकार चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की हाल ही में हुई पदोन्नतियों, के पश्चात् प्रदेश के सभी 3260 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सापेक्ष वर्तमान में 171 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन हैं।

जी हां, चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने की मांग

80-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रत्येक जनपद में सी0टी0 स्कैन लगाने की कोई योजना नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय निदान केन्द्रों में भारत सरकार-पोषित योजना के अन्तर्गत 13 जनपदों एवं प्रदेश सरकार द्वारा 3 चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2004-2005 में धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के पूर्वदशम् कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग

81-डा0 विनोद तिवारी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत् समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष

2004-2005 में पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रदेश के सभी जनपदों से सूचना निदेशक द्वारा मंगाई गई है।

जनपद गोरखपुर, कुशीनगर तथा सिद्धार्थनगर में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दिये गये चेकों का विवरण

82-डा0 विनोद तिवारी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 में जनपद गोरखपुर, कुशीनगर तथा सिद्धार्थनगर में वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बीमारी तथा उनकी पुत्रियों की शादी में दिए जाने वाले अनुदान में से कुछ धनराशि के चेक लैप्स हो गए थे ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखने वाले इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जनपद	लैप्स धनराशि	विवरण
गोरखपुर	शून्य	
कुशीनगर	2,32,000	पारिवारिक लाभ योजना 10 चेक धनराशि रु0 1,00,000 बीमारी योजना धनराशि 01 चेक रु0 2,000 शादी योजना 13 चेक धनराशि रु0 1,30,000
सिद्धार्थनगर	1,04,950	वृद्धावस्था पेंशन योजना 39 चेक धनराशि रु0 94,950 पारिवारिक लाभ योजना 01 चेक धनराशि रु0 10,000

प्रकरण की जांच उपनिदेशक, समाज कल्याण गोरखपुर मण्डल गोरखपुर से कराये जाने के आदेश निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिनांक 18-7-05 को निर्गत कर दिये गये हैं, जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले उत्तरदायी राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग के दम्पत्ति चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में पत्र

83-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण विषयक शासनादेश संख्या-1/5/96-का-4-2005, दिनांक

12-5-2005 [के प्रस्तर-1 (घ)] में दम्पत्ति तैनाती के सम्बन्ध में क्या कोई व्यवस्था की गयी है ? क्या उक्त व्यवस्था का अनुपालन चिकित्सा विभाग के दम्पत्ति चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-396/उपा0वि0स0/2005, दिनांक 9-06-05 प्रमुख सचिव, चिकित्सा को दम्पत्ति तैनाती के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनाती हेतु स्थानान्तरण किए जाने की व्यवस्था है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक जनपद में तैनाती की निर्धारित अधिकतम अवधि पूर्ण हो जाने के कारण डा0 अदिति श्रीवास्तव को कानपुर नगर स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा जिला योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर के विस्तार हेतु धनराशि व्यवस्था की मांग

84-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ ने वर्ष 2004-05 की जिला योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर के विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करके परिव्यय धनराशि की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो जिला नियोजन समिति के अनुमोदन वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के अनुरूप स्वीकृति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2003-04 में सीमित संसाधनों तथा वर्ष 2004-05 में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

जनपद-झांसी के जिला चिकित्सालय में दवायें एवं रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग

85-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के जिला चिकित्सालय में मरीजों को दवायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं ? क्या यह सही है कि कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाले रैबीज इंजेक्शन भी उक्त चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में सभी दवायें एवं रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद-झांसी के जिला चिकित्सालय में मरीजों को दवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जी नहीं।

कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाले रैवीज इंजेक्शन उक्त चिकित्सालय में उपलब्ध है।

उक्त चिकित्सालय में सभी दवायें एवं रैवीज इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ नर्स श्रीमती उर्मिला देवी के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

86-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ नर्स श्रीमती उर्मिला देवी का बकाया वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/ एम-123092/2005, दिनांक 6-4-05 प्रमुख सचिव, चिकित्सा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या बकाया वेतन का भुगतान करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-सी0एम0-242/71-2-2005-199/2005, दिनांक 2-5-2005 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद को बकाया वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्नगत मामले में निदेशक, आयुर्वेद द्वार सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से कतिपय सूचनाएं मांगी गयी हैं, प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत श्री राम स्वरूप वर्मा आई0 ओ0 के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

87-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में मुख्य चिकित्साधिकारियों हरदोई के अधीनस्थ कार्यरत श्री रामस्वरूप वर्मा आई0ओ0 के विरुद्ध की जा रही घोर अनियमितताओं से सम्बन्धित छः बिन्दुओं की जांच कराये जाने हेतु शिकायती-पत्र मा0 मुख्य मंत्री को माह मई, 2005 में दी गई प्राप्त हुई है ? क्या उसकी जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में औषधि निरीक्षक के कथित रिक्त पद

88-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में विगत 11 माह से औषधि निरीक्षक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर औषधि निरीक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

कानपुर नगर में एक औषधि निरीक्षक वर्ष 2003 से कार्यरत हैं। शासनादेश संख्या-723/पांच-8-05-20 औ0/2005, दिनांक 15-06-2005 द्वारा एक अन्य औषधि निरीक्षक को भी तैनात करने के आदेश निर्गत किए गये, जिसके अनुपालन में सम्बन्धित औषधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 18-06-2005 को कानपुर नगर में कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। इस प्रकार कानपुर नगर में वर्तमान में दो औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद झांसी में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को वर्ष 2004-05 में वितरित छात्रवृत्ति का विवरण

90-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि झांसी जनपद के ऐसे कितने स्कूल/कालेज हैं जहां पर एक भी छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त जनपद के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति पर कुल रु0 522.68 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

जनपद झांसी में कुल 408 शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान न किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

अवशेष संस्थाओं में छात्रवृत्ति भुगतान न किये जाने की कारणों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच परिणाम के अनुरूप पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान एवं जांचोपरान्त यथा अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में कसौधन जाति के लोगों को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग

91-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की अधिसूचना सं0-1259/64-1-97-70-06 दिनांक 15 सितम्बर, 1997 के स्तम्भ-2 के क्रमांक संख्या-38 पर कसौधन को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद गोण्डा में कसौधन जाति के व्यक्तियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र तहसीलों द्वारा निर्गत किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोण्डा से आख्या मांगी गयी है जो कि प्रतीक्षित है।

जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक कर्मचारी एवं मशीनें उपलब्ध कराने की मांग

92-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पी0एच0सी0 पर मानकों के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक और कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन, पैथालोजी, आपरेशन थियेटर मानकों के अनुसार ओवर हैड टैंक का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था मानकों के अनुसार कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक/कर्मचारी तैनात हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक अनुसार सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं हैं।

निम्नलिखित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार निम्न पद रिक्त हैं :-

क्र0सं0	सा0 स्वा0 के0 का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	अमरगढ़	एक्सरे टेक्नी0	1
		चीफ फार्मा0	1
		चिकि0 अधि0	1
		स्टाफ नर्स	3
		एच0 ई0 ओ0	1

क्र0सं0	सा0 स्वा0 के0 का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
2	पट्टी	डी0 आर0 ए0	1
		एच0 ई0 ओ0	1
		स्टाफ नर्स	3
3	कोहड़ौर	एच0 ई0 ओ0	1
		डी0 आर0 ए0	1
		रेडियोलाजिस्ट	1
		चिकि0 अधि0	1
		स्टाफ नर्स	3

उपरोक्त रिक्त पदों पर अधिकारी/कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर यथासम्भव तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक अनुसार एक्सरे मशीन, पैथालाजी, आपरेशन थियटर, ओवर हैड टैंक उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

93-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां स्वीकृत पदों से बहुत कम हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्रीमती अशरफ इमाम, श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री महातम प्रसाद तिवारी, श्रीमती पार्वती देवी, श्री रूपेन्द्र विक्रम सिंह, श्री छांगुर राम, श्री कृपा दयाल, श्री बलराम सिंह यादव तथा श्री ऊदल के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव का 29 मार्च, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव का जन्म 30 अगस्त, 1925 को हुआ था। उन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया, जिला आजमगढ़ से प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर एवं वर्ष 1977 में

निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर, जिला आजमगढ़ से जनता पार्टी के टिकट पर दूसरी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, आजमगढ़, किसान मजदूर इण्टर कालेज, औरा, विद्यावती जूनियर हाई स्कूल, खजुरी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयोजक तथा समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान रहे। उन्होंने वर्ष 1979-80 में प्राक्कलन समिति के सभापति का पद भी सुशोभित किया था। वे गांधी जी एवं लोहिया जी के अनन्य उपासक भी थे। श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती अशरफ ईमाम का 19 अप्रैल, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष की थीं। श्रीमती अशरफ ईमाम का जन्म 27 मार्च, 1931 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। श्रीमती अशरफ ईमाम वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर, जिला मिर्जापुर से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती अशरफ ईमाम लगभग 12 वर्षों तक कपड़ा मजदूर सभा, मिर्जापुर की महामंत्री रहीं। वे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक समिति की संयुक्त मंत्री पद पर तीन वर्ष एवं रेलयात्री सुविधा समिति की चार वर्ष तक सदस्या रहीं। वे एक सक्रिय समाजसेवी रहीं तथा उन्होंने गरीबों, दलितों तथा जरूरतमन्दों के लिए सदैव कार्य किया। श्रीमती अशरफ ईमाम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री लोकपति त्रिपाठी का 25 अप्रैल, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री लोकपति त्रिपाठी का जन्म 15 मई, 1927 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लोकपति त्रिपाठी सर्वप्रथम वर्ष 1972 के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़, जिला मिर्जापुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974, 1980, 1985 तथा 1996 में पांचवीं बार कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल, श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल, श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल एवं श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे थे। वे वर्ष 1977 में गन्ना आन्दोलन व श्रीमती इन्दिरा गांधी के गिरफ्तारी के खिलाफ आन्दोलन में आदर्श कारागार, लखनऊ में 24 घंटे तथा जिला कारागार, मिर्जापुर में 15 दिन बन्दी रहे। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यों, समाज सेवा, कृषि फार्म एवं उद्योग में उनकी विशेष रुचि थी तथा उन्हें खेलकूद प्रिय था। श्री लोकपति त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री महातम प्रसाद तिवारी का 1 मई, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री महातम प्रसाद तिवारी का जन्म नवम्बर, 1920 में गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने मिडिल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री महातम प्रसाद तिवारी वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र श्याम देउरवा, तत्कालीन जिला गोरखपुर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। श्री महातम प्रसाद तिवारी वर्ष 1956 से 1961 तक ग्राम सभापति तथा गन्ना विकास परिषद् घुघली के चेयरमैन थे। वे जिला सहकारी संघ के सदस्य एवं पटेल स्मारक स्कूल, भटहर,

गोरखपुर के आजीवन सदस्य थे। श्री महातम प्रसाद तिवारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती पार्वती देवी का 4 मई, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष की थीं। श्रीमती पार्वती देवी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला बाराबंकी से जनता (एस) चरण सिंह के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती पार्वती देवी ने समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए सदैव संघर्ष किया श्रीमती पार्वती देवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री रूदेन्द्र विक्रम सिंह का 3/4 जून, 2005 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री रूदेन्द्र विक्रम सिंह का जन्म 26 मार्च, 1950 को बहराइच में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रूदेन्द्र विक्रम सिंह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज, जिला बहराइच से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रूदेन्द्र विक्रम सिंह के0 वी0 इण्टर कालेज पयागपुर व महारानी लल्ली कुंवरि महाविद्यालय, पयागपुर के प्रबन्धक रहे थे। श्री सिंह कल्विन ताल्लुकेदार्स इण्टर कालेज, लखनऊ के संरक्षक भी रहे। श्री रूदेन्द्र विक्रम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री छांगुर राम का 16 जून, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री छांगुर राम का जन्म 21 जुलाई, 1932 को ग्राम कटाई, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक तथा विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। श्री छांगुर राम 1962 में निर्वाचन क्षेत्र वेला, दौलताबाद, जिला आजमगढ़ से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मेहनगर, जिला आजमगढ़ से कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे सातवीं लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री छांगुर राम आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिंहपुर सरैया के प्रबन्धक रहे तथा इन्होंने वर्ष 1989 में लोक निर्धन संस्थान, सिंहपुर की स्थापना की। वे जिला ग्रामीण मजदूर यूनियन, आजमगढ़ के प्रेसीडेंट, प्रान्तीय ग्रामीण मजदूर यूनियन, लखनऊ के वाइस प्रेसीडेंट थे। वे अखिल भारतीय ग्रामीण मजदूर फेडरेशन से भी जुड़े रहे। श्री छांगुर राम आपातकाल के दौरान कई बार जेल भी गये। वे एक उदारवादी व जनप्रिय नेता थे। श्री छांगुर राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री कृपा दयाल का 29 जून, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 99 वर्ष के थे। श्री कृपा दयाल का जन्म पठानी टोला, बिसवां, सीतापुर में हुआ थां श्री कृपा दयाल वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बिसवां, जिला सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कृपा दयाल ने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया। वे 10 माह तक जिला कारागार, सीतापुर में नजरबंद भी रहे थे। वे कृष्णा देवी बालिका इण्टर कालेज, सीतापुर के संस्थापक थे। कई वर्षों तक उन्होंने बिसवां नगर पालिका के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। श्री कृपा दयाल एक प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। श्री कृपा दयाल के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री बलराम सिंह यादव का 4 जुलाई, 2005 को आकस्मिक निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री बलराम सिंह यादव का जन्म 9 जून, 1939 को इटावा के खडगपुर सरैया ग्राम में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल-एल0बी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बलराम सिंह यादव वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र भरथना, जिला इटावा से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र जसवन्त नगर, जिला इटावा से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोकसभा तथा राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री बलराम सिंह यादव श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्रिमंडल, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल एवं श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री पद पर आसीन रहे। वे अनेक सहकारी समितियों के संचालक एवं अध्यक्ष भी रहे। घुड़सवारी में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बलराम सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्री ऊदल का 6 जुलाई, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री ऊदल का जन्म जुलाई, 1922 में वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ऊदल सर्वप्रथम 1957 में तत्पश्चचात् 1962, 1967, 1974, 1977, 1980, 1989, 1991 एवं 1993 में निर्वाचन क्षेत्र कोल असला, जिला वाराणसी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री ऊदल विधान सभा की आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य-मंत्रणा समिति एवं अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य रहे थे। वे वर्ष 1977 की विधान सभा में कम्युनिस्ट दल के नेता भी रहे थे। वे अपने राजनैतिक जीवन में कुल चार वर्षों तक जेल में बन्दी रहे। पठन-पाठन व राजनैतिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री ऊदल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

सदन की संवेदना दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

अब हम सभी इन माननीय सदस्यों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखेंगे।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

उत्तर प्रदेश के पूर्व राजयपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री जी का निधन 17 अप्रैल, 2005 को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हुआ। वह कलकत्ता से पटना एक विचार गोष्ठी में भाग लेने आ रहे थे जहां राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे विद्वान एकत्रित हो रहे थे। यह सभी को पता है कि वह बहुत बड़े विद्वान थे, वह हिन्दी के प्रकाण्ड पण्डित थे। वह हिमांचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उन्हें नजदीकी से देखा और सुना। वर्ष 1977 में वह कलकत्ता से विधान सभा के चुनाव में विजयी हुए थे। वह एक प्रख्यात विद्वान थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक हिन्दी के प्रोफेसर रहे। वह किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के रहे हों लेकिन सभी उनका आदर और सम्मान करते थे। ऐसे-ऐसे नेता उनके निधन के बाद हमें मिले, जिनकी विचारधारा के वह कटु विरोधी थे, उनके प्रशंसक हैं। हमें उनकी विद्वता पर गर्व है। वर्ष 1996 में भी हमने उनको नजदीकी से देखा, जब मैं रक्षा मंत्री था और वह राज्य सभा के मेम्बर थे, संयोग से एक बार थोड़ा

सा जवाब देने में हमने कुछ ऐसा उत्तर दिया जिससे उनको अफसोस हुआ, उन्होंने अफसोस मन में नहीं रखा और वह सीधे हमारी कुर्सी के पास आये और कहा कि आपने जो कुछ कहा है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा लेकिन मैंने जो दिल में महसूस किया, वह व्यक्त कर रहा हूं। वह ऐसे व्यक्ति थे जो किसी से दुर्भावना भी नहीं रखते थे। यहां पर उन्होंने राज्यपाल के रूप में पूरी गरिमा बनाये रखने की कोशिश की और जब कभी भी किसी भी विषय पर बहस छिड़ जाती थी या भाषण करते थे, कई विचार गोष्ठियों में हम साथ रहे, बड़े-बड़े विद्वान उंगली नहीं उठा सकते थे बल्कि उनसे प्रेरणा लेना चाहते थे। वह कई बार इटावा भी गये और सैफई महोत्सव का उद्घाटन भी मैंने उनसे कराया था। वहां पर उन्होंने ऐसा भाषण दिया, जिन लोगों ने सुना था, वह उन्हें याद करते हैं। वह व्यवहार कुशल, मृदुभाषी और गीता के प्रकाण्ड पण्डित थे, बीच-बीच में वह कविता सुना देते थे। अध्ययन इतना था, उनके बारे में कितना कहा जाए, आपको खुद ही अनुभव है। कई अवसरों पर वह हिन्दी साहित्य में सम्मानित हुए हैं। जब यहां से उन्होंने पद छोड़ा तो मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रिमण्डल का शायद ही कोई मंत्री उनकी विदाई में न रहा हो। उनके भोज में, विदाई समारोह में लगभग दर्जन हमारे मंत्री उनको जहाज में बिठाने के लिए गये। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू आ गये। उस वक्त अफसोस की बात तो यह रही कि दूसरी पार्टी के लोग तो उन्हें विदा करने आये, सारे मंत्री खड़े रहे लेकिन हम आपकी तरफ ताकते रहे कि आपकी तरफ का कोई नेता विदाई समारोह में दिखाई नहीं दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन यह सच है। उन्होंने फोन करके कहा कि हम कभी इस तरह का सम्मान, आदर भूल नहीं सकते।

वह कोलकता के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। फिर पता नहीं कि जब वह उत्तर प्रदेश से जिससे उनका सम्बन्ध रहा क्यों, क्या वजह हुई। मैंने कहा कि मैंने तो बुलाया भी था और आपको सूचना दी थी। उनके निधन से पहले जब वह बीमार थे तो टेलीफोन से मेरी बात हुई उनसे और उनके परिवार से बात हुई थी और वह अक्सर कहीं न कहीं हमारा जिक्र करते थे और लोग जब हमें यह बताते तो हम उनको टेलीफोन करते थे, उनसे सम्पर्क करते थे। यह सही है कि हमारे लोगों ने धरना भी दिया और घेराव भी किया लेकिन हमारे लोग कभी उनके व्यवहार से निराश होकर नहीं लौटे। उन्होंने हमेशा जीवन की सार्वजनिक सच्चाई के साथ अपना जीवन बिताया लेकिन रेलगाड़ी में जब उनका निधन हुआ तो किसी को पता नहीं था। अकेले ही चल पड़े। जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली जो हमने तत्काल पूरी जानकारी ली। परिवार के सभी सदस्य उन्हें रेलगाड़ी में बिठाकर आये, वह रात में किताब भी पढ़ते रहे और फिर सो गये और फिर हमेशा के लिए सो गये। उनका उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव था और वह जब राज्य सभा में गये तो उन्होंने अपना नाम उत्तर प्रदेश से ही दर्ज कराया था और हमारे नेता विरोधी दल के परिवार से ही उनका नाम दर्ज था। एक तरह से उनके पूर्वजों का और उनके परिवार का उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध भी था। अब वह हमारे बीच नहीं हैं। आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण विद्वान और नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने हमारे देश के सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर रहकर पद की गरिमा को बनाए रखा। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, कुछ लोगों का जीवन राजनीति में बीतता है तो कुछ लोगों का साहित्य में बीतता है लेकिन आचार्य श्री विष्णु कान्त शास्त्री जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि वह एक शिक्षाविद् एक कवि, एक साहित्यकार, एक राजनेता और साथ ही वह एक अच्छे प्रशासक भी थे। सब मिलाकर इतने गुण उनमें थे कि उत्तर प्रदेश के मामले में एक-दो अपवाद छोड़ दें तो उनका बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्तित्व था। लेकिन जो छाप विष्णुकान्त शास्त्री जी ने छोड़ी, जितना स्नेह यहां से उन्हें प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश के लिए जितना वह समर्पित थे ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। मेरा उनका बहुत पुराना साथ रहा। जब वह लखनऊ आते थे तो मेरे यहां ठहरते थे। यहां तक कि जब राज्यसभा में उनका नामिनेशन होना था तो मेरे घर का एड्रेस था। उनका एक कमरा था, जब वह आते थे तो वहीं पर ठहरते थे मैंने देखा कि राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने तो मर्यादायें कायम की हैं वह अनुकरणीय है। यह तो वर्तमान सरकार के जन्म के समय बात आयी तो बहुत लोगों का दबाव था। इसका स्पष्ट बहुमत नहीं है इस लिए इसको नहीं बुलाया जाना चाहिए यह उनका मत था। उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। जब उनका संख्या बल नहीं है तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। फिर जब सूची आ गयी और उनका संख्या बल हो गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं पाप नहीं करूंगा और उन्हें बुलाऊंगा, मैं किसी के अधिकार को नहीं मारूंगा। इस सरकार का जन्म उनकी उदारता के कारण ही हुआ है। वह बहुत ऊंचे दर्जे के आदमी थे। मानवता उनमें कूट-कूटकर भरी थी। उनसे कोई भी मिलता था तो वह प्रभावित होकर आता था और यही वजह रही कि शायद ही किसी राज्यपाल को दिवंगत होने के इतने लोगों की सदाशयता मिली हो जितनी उन्हें मिली। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में महामहिम श्री राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुके महान विद्वान, साहित्यकार, लेखक, रचनाकार एवं संस्कृत के प्रकान्ड विद्वान श्री विष्णुकान्त शास्त्री हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन के प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और साथ ही साथ यह भी निवेदन करता हूं कि श्री शास्त्री जी अपने में एक आदर्श थे। वे बहुत ही व्यवहार कुशल, निपुण वक्ता और साथ ही साथ मधुर मुस्कान के साथ लोगों से मिलना जुलना उनकी सदाशयता को जाहिर करता रहा है। यद्यपि उनके सानिध्य में मुझे बहुत ज्यादा रहने का मौका नहीं मिला। लेकिन चार-पांच बार जब भी प्रदेश की समस्याओं के समाधान में प्रतिवेदनों के माध्यम से श्री शास्त्री जी से मुलाकात करने का मौका मिला, उनसे बातचीत, व्यवहार में उनकी उदारता, सहृदयता, विद्वता से समय-समय पर परिचित होता रहा। स्वाभाविक है कि ऐसे महान विद्वान राजनेता, तो सर्वगुण सम्पन्न रहे उनके निधन से पूरे प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को अपुरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनके निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा मान्यवर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल श्री शास्त्री जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, आदरणीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने सद्गुणों से, सहिष्णुता से, अच्छे आचरण से, व्यवहार से अपने जीवन काल में ही मानव से महामानव बन जाते हैं। आदरणीय विष्णुकान्त शास्त्री जी उन्हीं में से एक थे। जो अपनी विद्वता, योग्यता, कर्मठता और अपने व्यवहार से तमाम सीमाओं को तोड़कर मानव से महामानव बन गये। मान्यवर, उनका आदर सभी करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल अभी जिक्र कर रहे थे कि सरकार बनाने के लिए जो विचार उन्होंने व्यक्त किये, मान्यवर मैं भी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन का पत्र लेकर जब राज्यपाल जी के पास गया और मैंने उनसे आग्रह किया कि श्री मुलायम सिंह यादव जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा है, लेकिन आपसे कुछ संवैधानिक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मान्यवर, उन्होंने मुझसे तीन-चार संवैधानिक प्रश्न पूछे और मुझे इसके लिए उनसे मिले तो 10 मिनट थे, लेकिन उन्होंने सवा घण्टे चर्चा की और एक-एक संवैधानिक प्रश्न का उत्तर मैंने विस्तार से दिया। चलते वक्त उन्होंने मेरे कन्धे पर हाथ रख कर कहा कि आपने जो मेरे सवालों का उत्तर दिया है, उसके बाद मैं यह सोचने के लिए विवश अवश्य हूं कि आमंत्रण अवश्य दिया जाना चाहिए। मान्यवर, यह उनकी निष्पक्षता थी। जिस संवैधानिक पद पर वह बैठे थे, उसके लिए जो सबसे अधिक आवश्यक दायित्व है कि उसे दलीय भावना से ऊपर उठना चाहिए और संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए, यह सब गुण उनमें थे और मैंने उस दिन उनके उस व्यक्तित्व के दर्शन किये थे। मान्यवर, संस्कृत और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में, मैं जब कभी उनसे मिलने के लिए गया तो मैं देखता था कि कोई न कोई पुस्तक जरूर उनके हाथ में रहती है तो मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि यह किस विषय की पुस्तक है तो वह कहते कि व्यक्ति वही जो जीवन भर विद्यार्थी के रूप में रहे और जीवन भर विद्या ग्रहण करता रहे। जिस पद पर वह बैठे, उससे उनकी गरिमा बढ़ी। मैं ऐसे मानवीय गुणों से भरपूर आदरणीय शास्त्री जी के प्रति अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मान्यवर, एक बहुत की दुःखद बात यह हुई कि इस राजभवन में रहते हुए पांच-छः महीनों के अन्दर ही उनके दो भाईयों का निधन हो गया और एक वर्ष भी नहीं बीता कि उनके तीसरे भाई का भी निधन हो गया। जिससे वह काफी दुःखी हुए। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी वेदना, हमारी संवेदना, हमारे श्रद्धासुमन, उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन ऐसे महामानव को श्रद्धांजलि दे रहा है जो इस प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो उनकी महत्ता है वह इस बात की है कि वह एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े लेखक और बहुत बड़े रचनाकार थे। इस सदन में माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने और माननीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें श्रृद्धांजलि अर्पित की है। उससे मैं अपने को ओर अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वे एक सादगी की मूर्ति थे। मुझे आचार्य विष्णु कान्त शास्त्री जी का ज्यादा सान्निध्य तो नहीं मिला, लेकिन एक घटना मुझे जरूर याद है। मथुरा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरसाना में उन्हें एक धार्मिक कार्यक्रम में जाना था मैं लखनऊ में मौजूद था तो जब मुझे पता लगा तो मैंने उनसे वार्ता की उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ वहां चलना होगा। जब मैं उनके साथ हेलीकाप्टर में लखनऊ से बरसाना के लिए गया तो मैंने देखा कि गीता की कई पुस्तकें उनके साथ थीं। वह उसे पढ़ते गये फिर हम लोग धार्मिक नगरी बरसाना पहुंच गये वहां पर होली का भी एक कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वे उतने भावुक हो गये थे और कहने लगे कि साठ वर्ष पहले वह अपनी मां के साथ यहां आये थे और इस कार्यक्रम को देखा था। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आये थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अब तो यहां बहुत बदला हुआ है। उनमें बहुत मानवीय गुण थे और बहुत अधिक सहन शक्ति का भाव था। उनका सादगी भरा जीवन था वह धोती व चप्पल पहनते थे और सच्चे मायने में गांधी जी के अनुयायी थे। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं जब उनके निधन की सूचना मुझे मिली थी तो मुझे बहुत वेदना हुई थी। आज वे संसार में नहीं हैं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे और जो वे अपना परिवार छोड़ गये हैं उनको समृद्धि दे और ऐश्वर्य दे और वह परिवार हमेशा फले-फूले और हमेशा सम्पन्न रहे। मैं सदन के माध्यम से मान्यवर, आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी व मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व महामहिम राज्यपाल जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेता लोकदल ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को व अपने दल को सम्बद्ध करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि वे जिस दल के थे उस दल की भावनाओं से वे प्रेरित थे। उस दल के लोगों से अपील करूंगा कि उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। वे सच्चे मानव थे और जन हितैषी थे तथा लोकप्रिय थे। वे सही मायनों में राष्ट्रीयता और संस्कृति के प्रतीक थे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा करें।

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पूर्व महामहिम राज्यपाल आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री जी का गोरखपुर जनपद से काफी लगाव था। वे महामहिम बनने के बाद तीन बार गोरखपुर पधारे थे। एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के कार्यक्रम में आये थे। एक बार श्री विष्णु तिवारी जी की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर आये थे। और एक बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्य तिथि का कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें आये थे। उसमें हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की थी कि लोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नायक की एक मूर्ति यहां पर स्थापित करवायी जाय। क्योंकि यहां विचारधारा की बात हो रही थी। महामहिम ने उसी समय उसकी स्वीकृति दे दी थी और जिस कारण गोरखपुर में लोकनायक की एक आदमकद भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है। आज गोरखपुर में किसी व्यक्ति की भव्यतम प्रतिमा लगी है तो वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ही लगी हुई है और वह महामहिम के सौजन्य से लगी थी। उनके व्यक्तित्व से पूरा गोरखपुर जनपद प्रभावित था वे जब भी गोरखपुर जाते थे तो उनका सान्निध्य मुझे प्राप्त होता था। अखबारों में जो उनके वक्तव्य छपते थे उससे सब लोग वहां अनुप्रेरित होते थे। वैसे जैसी गीता की चर्चा की गयी। गीता में उनके व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है और भगवान कृष्ण ने लिखा है-

यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिता,

ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमादुः पाण्डेत् बुधाः।

अर्थात् जिसके सभी कार्य, सम्भाव से, किसी भी प्रकार की आकांक्षाओं तथा वासनाओं से विरत रहकर, ज्ञान रूपी अग्नि में पवित्र होकर किये जाते हैं, उन्हें पण्डित, कहा जाता है। वस्तुतः विष्णुकान्त शास्त्री जी एक पण्डित थे। आज इस अवसर पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और दलों के नेताओं के विचार से अपने को जोड़ते हुए और गोरखपुर के नागरिकों की ओर से और हिन्दू महासभा की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री विष्णुकान्त शास्त्री का जन्म 2 मई, 1929 को कोलकाता में हुआ था।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यहां इस सदन में काफी लम्बा अरसा रहा है बहुत से मुख्य मंत्री और बहुत से राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिनसे मिलने का, उन्हें समझने का मौका मिला है और विष्णुकान्त शास्त्री जी पहले राज्यपाल हैं जिनके बारे में मैं कुछ मन से कहना चाहता हूं। यह सही है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति या संवैधानिक ऐसी कुर्सियों पर बैठे हुए व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी यह सही है कि वह राजनीतिक दल के न हो लेकिन उनका मन, उनकी विचारधारा उसी राजनीतिक दल से जुड़ी होती है जिससे वह आते हैं। इस सबके बावजूद जैसाकि नेता सदन ने कहा, अन्य नेताओं ने कहा, विष्णुकान्त शास्त्री जी में कुछ ऐसी खूबियां थी जो एक विद्वान में होना चाहिए और वह नजर भी आना चाहिए और उसका लोगों को एहसास करना चाहिए। हम आम तौर पर जो हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी है बहुत से लोगों की खूबियों को नहीं समझ पाते, न ही महसूस कर पाते, उनकी उतनी कद्र नहीं कर पाते जितनी उनकी जिन्दगी में होनी चाहिए। शायद हमारे भारतीय संस्कृति की यह कमजोरी है कि हम बहुत बड़े-बड़े लोगों को उनकी जिन्दगी के बाद बहुत याद करते हैं और पछतावा भी करते हैं कि काश उनकी जिन्दगी में हमने इनकी खूबियों को महसूस किया होता, उससे फायदा उठाया होता और उसको माना भी होता। ताकि वह जो उन खूबियों का मालिक है और जो समाज को या लोगों को कुछ दे रहा है उसका मन बढ़े उसकी हिम्मत बढ़े और इससे ज्यादा कुछ समाज के लिए करने के लिए वह आगे आये। यह कमी है, जिसको हम मुर्दापरस्ती

कहते हैं कि मरने के बाद तो उसकी तारीफ करें और जिन्दगी में उसकी उतनी तारीफ न करें, यह गलती हमसे हुई है, मुझसे भी शायद यह व्यक्तिगत रूप से गलती हुई है। जितने वह शानदार व्यक्ति थे, कतेनजर उनका किस राजनीतिक दल से ताल्लुक था, जितने वह शानदार व्यक्ति थे, उतनी अच्छी बाते करते थे। उनमें जितनी कूव्वतेबर्दाश्त थीं वह बहुत कम लोगों में महसूस की गयी। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कई बार ऐसे मौके आये जब बड़ी नागवारी से हमने अपनी बात कही। यह कहने के बाद एहसास हुआ कि जो बाते मैंने बड़ी नागवारी से की हैं वह एक राज्यपाल से और एक बुजुर्ग राज्यपाल से की हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम से पूरे समाज से कहना चाहता हूं कि हमें विष्णुकान्त शास्त्री जी से जवाब हासिल नहीं हुआ, हमारे नागवार सवाल का जवाब बहुत ही शालीनता से बहुत ही बर्दाश्त से उनसे मिला।

आज मुझे अपने ही एक बड़े अजीब सवाल का जवाब जोकि मेरे जेहेन में घूम रहा है, मेरे पास नहीं है। एक ऐसा नुकसान जो उसके न होने से कमजोर समाज का हुआ है, उपेक्षित समाज का हुआ है, अल्पसंख्यक समाज का हुआ है और मेरा व्यक्तिगत हुआ है। मैं आज सोचता हूं कि काश अगर आज विष्णुकान्त शास्त्री जिन्दा होते और मौलाना मोहम्मद अली जौहर बिल उनके सामने गया होता तो दूसरा बिल नहीं जाता। विष्णुकान्त शास्त्री जी शिक्षा के प्रेमी थे और उनके जेहेन में कोई तअस्सुब नहीं था किसी राजनीतिक दल किसी विचारधारा के किसी व्यक्ति से नाराजगी से बदला लेने का और वह राज्यपाल थे जो उन मामलों से बहुत ऊपर उठकर सोचते थे, यह मेरा आज का अहसास है। काश आज वह जिन्दा होते तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जरूर बन गया होता। मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ कर सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति, जो इतना लाभकारी हो सकता था, जिसके न होने से इतना बड़ा काम रुका हुआ है। मेरा दुख आज भी इतना जानता है कि काश वह होते तो ऐसा होता। मैं अपनी दिली गहराईयों के साथ, उन्हें खिराजे अकीदत पेश करता हूं, आप नेता सदन और अन्य नेताओं के अहसासात् के साथ मेरे जज्बातों को उनके परिवार तक पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री का 17 अप्रैल, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री विष्णुकान्त शास्त्री का जन्म 2 मई, 1929 को कोलकाता में हुआ था, उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विष्णुकान्त शास्त्री वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट से पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 1982-86 एवं 1996-98 तक अध्यक्ष, वर्ष 1988 से 1993 तक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वर्ष 1980-99 तक सदस्य भी रहे। वे 1992-98 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 2 दिसम्बर, 1999 से 23 नवम्बर, 2000 तक हिमांचल प्रदेश के राज्यपाल एवं 24 नवम्बर, 2000 से 2 जुलाई, 2004 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। राज्यपाल के रूप में वे कर्तव्यनिष्ठ जनसेवी थे एवं लोकहित के लिए निरन्तर चिंतित रहे। सार्वजनिक जीवन में वे स्वच्छता एवं पारदर्शिता के पक्षधर थे। राष्ट्रपति शासनकाल में उनके प्रशासनिक कार्य की भी सराहना हुई। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के उत्थान एवं उसे अधिक रोजगारपरक बनाने के लिये वे सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे।

श्री विष्णुकान्त शास्त्री कोलकाता विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्रोफेसर थे। उन्होंने काव्य समीक्षा, निबन्ध, संस्मरण, यात्रा वृतान्त आदि विषयों पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की। उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। जिसमें उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 में 'कुछ चंदन की कुछ कपूर की' के लिये आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार, वर्ष 1974-75 में 'बंगलादेश के संदर्भ में' के लिये राज्य साहित्यिक पुरस्कार तथा उ0प्र0 हिन्दी संस्थान द्वारा वर्ष 1978-79 में 'स्मरण को पाथेय बनने दो' शीर्षक कृतियों का सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। वे उच्चकोटि के शिक्षक, चिंतक और साहित्यकार थे। वे जीवनपर्यन्त भारतीय संस्कृति व राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित रहे। वे श्रीराम भक्ति के अनन्य प्रेमी एवं गीता के प्रकांड पंडित थे। श्री विष्णुकान्त शास्त्री के निधन से राष्ट्र ने एक मूर्धन्य साहित्यकार, समर्पित राजनीतिज्ञ व एक कुशल प्रशासक खो दिया। मैं आप सबके द्वारा व्यक्त भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन है कि कृपया दो मिनट मौन खड़े होने की कृपा करें।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

श्री विवेक बंसल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी एक निजी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

अभी रुक जाइये।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जुलाई, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा नगर निगम झांसी के मौजा बिछोर की कतिपय राजस्व भूमियों को अधिग्रहीत करने के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। **दूसरी सूचना** डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की मार्च-अप्रैल, 2005 में पी0सी0एफ0 द्वारा लाही (तिलहन) की सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर कथित धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में है। **तीसरी सूचना** डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछली बाजार, कटरा-इलाहाबाद को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है। **चौथी सूचना** श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा की कतिपय ग्राम सभाओं का सर्वेक्षण कराकर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल समस्या के निदान हेतु समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। **पांचवीं सूचना** चौधरी महेन्द्र सिंह की अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। **छठी सूचना** श्री हीरालाल गौतम की आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत बेसों नदी एवं मगई नदियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। **सातवीं सूचना** श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के ग्राम सभा धीरनपुर में विगत कई वर्षों से खराब नलकूप को संचालित करने के सम्बन्ध में है। **आठवीं सूचना** श्री कौशल

किशोर की लखनऊ जनपद के मलिहाबाद, माल एवं काकोरी में पुरानी विद्युत लाइनों के तार बदलवाने व कटे हुए विद्युत तारों को जुड़वाने के सम्बन्ध में है। **नवीं सूचना** श्री जियाउद्दीन रिज़वी की बलिया के सिकन्दरपुर एवं बांसडीह तहसील को घाघरा नदी के कटान से बचाने हेतु टी0एस0 बन्धा के तटबन्ध की सुरक्षा के लिए धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है। **दसवीं सूचना** डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर के नालों की सफाई का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। **ग्यारहवीं सूचना** श्रीमती विद्या चौधरी की आज़मगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत व्यायामशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में है। **बारहवीं सूचना** श्री राम नरेश यादव की श्री रामसूरत यादव (मृतक) स्वास्थ्य निरीक्षक, आज़मगढ़ की मृत्यु के पश्चात् आश्रित को समायोजित करने के सम्बन्ध में है। **तेरहवीं सूचना** श्री कार्लाचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पाण्डेपुर राधे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में है। **चौदहवीं सूचना** श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। **पन्द्रहवीं सूचना** श्री राम विशुन आजाद की समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित 10-10 ग्रामों में सभी योजनाओं को संतृप्त करने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी मानी गई।)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा नगर निगम झांसी के मौजा पिछोर की कतिपय राजस्व भूमियों के अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु शासन को भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी ने नगर निगम झांसी के मौजा पिछोर की राजस्व भूमि संख्या-1315, 1319 में जिसमें गोदाम एवं नर्सिंग होम आदि कामर्शियल काम्पलेक्स स्थित है, को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है जबकि पूर्व से ही इस विश्वविद्यालय के पास कई एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ भूमि संख्या-1254, 1257 पिछोर को भी अधिगृहीत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है जबकि इसे मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग की माना गया है। इससे जहां क्षेत्रीय लोगों को परेशानी होगी वहीं शासन को भी मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान करना होगा।

अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मार्च-अप्रैल, 2005 में पी0सी0एफ0 द्वारा लाही (तिलहन) की खरीद में बड़े पैमाने पर कथित धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[मान्यवर, मार्च-अप्रैल, 05 में पी0सी0एफ0 द्वारा लाही (तिलहन) की सरकारी खरीद की गयी है। इस खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तथा सरकार को करोड़ो रुपये का चूना लगाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। लाही किसानों से न खरीद कर आढ़तियों से सरकारी रेट पर खरीदी गयी है और सम्बन्धित कर्मचारियों ने सौ रुपये प्रति बोरा लेकर एक व्यक्ति से 30-35 कुन्टल की खरीद दर्शाते हुए फर्जी नाम पर भुगतान किये हैं। यदि इन भुगतान किये गये किसानों के पते तथा खसरा के अनुसार बोई फसल का मिलान कर लिया जावे तो घोटाले का खुलासा हो जावेगा। नमूने के तौर पर जनपद जालौन में कालपी तथा उरई की लाही खरीद की जांच करने मात्र से पी0सी0एफ0 की कारगुजारी सामने आ जावेगी तथा स्पष्ट हो जायेगा तक किस प्रकार सुनियोजित ढंग से किसानों को सरकारी रेट के लाभ से वंचित किया गया।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं। |

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछली बाजार कटरा, इलाहाबाद को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

| मान्यवर, छात्राओं की शिक्षा को देखते हुए कई वर्षों पहले राजकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय, मछली बाजार, कटरा, इलाहाबाद में शासन द्वारा स्थापित किया गया था। इस विद्यालय में निर्धन, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति की छात्रायें पढ़ रही हैं। इसमें पढ़ रही छात्राओं को इण्टर की पढ़ाई उसी विद्यालय में मिले, इसकी मांग स्थानीय नागरिकों एवं अभिभावकों द्वारा लगातार की जा रही है। मैंने शासन को इस विद्यालय में उच्चीकरण करने हेतु कई पत्र लिखे हैं। विधान सभा में 3-8-2004 को मा0 मुख्य मन्त्री जी ने प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा, उत्तर दिया था। लगभग एक वर्ष बीत रहा है, परन्तु अभी तक विद्यालय के उच्चीकरण का मामला शासन स्तर पर लम्बित है जो कि चिन्ता का विषय है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद ने 13-4-2003 को अपर शिक्षा निदेशक (मा0) को उपरोक्त कन्या विद्यालय के उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में लिखा था, परन्तु इस पर भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

उपरोक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा की कतिपय ग्राम सभाओं का सर्वेक्षण कराकर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल समस्या के निदान हेतु समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

| मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा की ग्राम सभा चन्दौका, गहरौली, शाहपुर, कांधरपुर, मलाक, चन्द्रभानपुर, गंगापुर, सराय शंकर, चिगुडा, पीथापुर, सुजानगढ़, शिवपुर कला, शिवपुर खुर्द, लौली, रामापुर, पूरे मनिकंठ, पूरेक्षमा, वेदूपट्टी, धरौली मधुपुर, सोनवरसा, विजरा, अतरसण्ड, मदाफरपुर, धरौली मुफरिद, सराय रजई ग्राम में उपलब्ध पेयजल के श्रोत प्रभावित गुणवत्ता

[| यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एव अधोमानक हैं। जिससे लोगों में प्रायः संक्रामक बीमारी उत्पन्न हो जाने से गम्भीर जनधन की हानि हो रही है एवं बराबर संभावना वनी रहती है। ग्राम पेयजल योजना बनाये जाने हेतु प्रदेश सरकार के पास निर्धारित मानक उपलब्ध हैं और क्वालिटी प्राबलम ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से ग्राम्य विकास विभाग योजना का विरचन कराता है। इसी प्रकार विकास खण्ड पट्टी की ग्राम सभा विरौती, अरैला, सारडीह, अदेबरी, ढिढुई, चितावनपुर, महरूपुर, धनसार, श्रीनाथपुर, छतेड़ी, पहलमापुर, महदहा, नारंगपुर, बेला, रामपुर बेला, कंजा सराय गुलामी, मरियमपुर, इटहरा, करैला, पूरे देवजानी, कुकुआर, सर्वजीतपुर, भैसौनी ग्राम भी अधोमानक एवं प्रभावित गुणवत्ता के पेयजल की चपेट में हैं।

उपरोक्त ग्राम का सर्वेक्षण एवं योजना बनाये जाने तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जनहित में तत्काल समयबद्ध कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता है जिससे पेयजल जैसे महत्वपूर्ण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़े विषय के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्या का निदान हो सके। अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं कार्यवाही की मांग करता हूं। ।

जनपद अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* चौ0 महेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 358 कोल जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है, जो निम्न है। बाबूलाल जैन इण्टर कालेज से होली चौक पला साहिबाबाद, होली चौक से प्रेम चौक होते हुए डा0 अम्बेडकर प्रतिमा से आगे पला साहिबाबाद के अन्त तक, होली चौक पला पुलिस चौकी के सामने होते हुए नगला पला, भदेशी शीशी रोड तक बरसात के दिनों में काफी जल भराव रहता है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष एवं दुःख व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोकहित एवं अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के सरांयमीर क्षेत्रान्तर्गत बेसों एवं मगई नदियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हीरा लाल गौतम-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सरायमीर के अन्तर्गत विकास खण्ड-मार्टिनगंज, मीरजापुर, मोहम्मदपुर के अन्तर्गत बेसो नदी एवं मगई नदी गुजरती है। इस समय यह दोनों नदियां इन क्षेत्रों में नदी के आकार में रहकर पट कर छोटे नाले के समान हो गयी हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसका कुप्रभाव किसानों पर पड़ रहा है कि हजारों एकड़ भूमि जल मग्न हो रही है। प्रभावित किसान भुखमरी के कगार पर हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी बरसात में बाढ़ का स्वरूप हो जाती है। गरीबों के मकान भी प्रभावित हो जाते हैं। नदी के पट जाने से स्थिति काफी भयावह हो गयी है। प्रभावित किसान आन्दोलित हैं तथा काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त नदियों की सफाई की मांग करता हूं।]

रायबरेली के ग्राम सभा धीरनपुर में विगत कई वर्षों से खराब नलकूप को संचालित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-96, डलमऊ, जनपद रायबरेली के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड-दीनशाहगौरा के ग्राम सभा-धीरनपुर में सिंचाई विभाग द्वारा ग्रामीणों के सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित किया गया है। जो विगत कई वर्षों से खराब पड़ा है। उक्त नलकूप के खराब होने के कारण किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं। किसानों के अपने फसलों की सिंचाई का अन्य कोई साधन न होने के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि परती रह जाती है। जिससे गरीब किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। उक्त नलकूप के न बनवाये जाने के कारण क्षेत्रीय किसानों में भारी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त हैं। स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त नलकूप को संचालित कराये जाने की मांग करता हूं।

लखनऊ जनपद के मलिहाबाद माल एवं काकोरी में पुरानी विद्युत लाइनों के तार बदलवाने व कटे हुये विद्युत तारों को जुड़वाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद माल व काकोरी विद्युत पावर हाउस से विद्युत आपूर्ति जहां-जहां की जा रही है तथा जिन विद्युत लाइनों से की जा रही है उनके तार अत्यन्त जर्जर व पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। आये दिन तार टूटते रहते हैं। जिनकी वजह से किसी का घर व फसल जलने अथवा किसी की मृत्यु जैसी घटनायें होती हैं। इसके अलावा उक्त तीनों पावर हाउस की विद्युत लाइनों के तार बड़े पैमाने पर इसलिए चोरों द्वारा काट लिये जाते हैं क्योंकि विद्युत लाइनें गांवों खेतों व जंगलों से होकर सूनसान जगहों से खींची गयी हैं। यदि उक्त विद्युत लाइनों को सड़क या रास्ते के किनारे से खिंचवा दिया जाये तो तार कटिंग की समस्या से निजात पाया जा सकता है। मलिहाबाद के रहीमाबाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी नलकूपों की विद्युत लाईन चोरी की गई है। विद्युत की आपूर्ति कम वोल्टेज के तहत होने से आम की फसल चौपट हो गयी है। और खरीफ की फसल भी चौपट होने के पूरे आसार हैं। इसलिए तार बदलवाने व विद्युत आपूर्ति आवश्यक

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वोल्टेज के अनुसार कराना आवश्यक है। यह प्रश्न अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व व जनहित का है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व व तात्कालिक प्रश्न को नियम-301 में स्वीकार करके सदन में चर्चा कराने व आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

बलिया के सिकन्दरपुर एवं बांसडीह तहसील को घाघरा नदी की कटान से बचाने हेतु टी0एस0 बन्धा के तटबन्ध की सुरक्षा के लिये धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, बलिया जनपद के सिकन्दरपुर तहसील एवं बांसडीह तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी का कटान बहुत तेजी के साथ हो रहा है। कटान के कारण टी0एस0 बन्धा जो घाघरा नदी के किनारे बनाया गया है खतरे में पड़ गया है इस तटबन्ध के किनारे ग्राम डुहा, बिहरा, कठोडा, चिलकहर, नवाकागांव, मनियर टुकड़ा नं0-2 चक्की दीयर को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस तटबन्ध पर बना प्राचीन मुंदि बाबा बालखण्डी नाथ जी, मौनी बाबा का आश्रम एवं जंगली बाबा का मन्दिर घाघरा नदी में समाहित होने के कगार पर है। शासन से तटबन्ध की सुरक्षा के लिए धन की मांग किया है, परन्तु शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कटान से टी0एस0 बन्धा टूटने का खतरा है इसके टूटने से सैकड़ों गांवों में पानी भर जायेगा जिससे अन्य समस्या भी पैदा हो जायेगी।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर धन अवमुक्त कर टी0एस0 बन्धा की सुरक्षा की मांग करता हूं।]

मेरठ महानगर के नालों की सफाई का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेई-

[मान्यवर, मेरठ महानगर के नालों की सफाई के प्रकरण में शासन द्वारा 29-4-05 को लिखित उत्तर में कार्य योजना से अवगत कराया गया था। उसके अनुसार पहले के वर्षों के मुकाबले बेहतर सफाई कार्य प्रारम्भ हुआ। लेकिन यह कार्य मात्र 20-25 दिन चल कर तथा मात्र 30 प्रतिशत लम्बाई तक की सफाई कर दम तोड़ गया बन्द हो गया। अर्थात् पूर्व इतिहास दोहरा दिया गया। बराबर आग्रह के बावजूद अभी तक प्रारम्भ नहीं पूरे नाले की सफाई न होने के कारण साफ करे भाग की सफाई का परिणाम जल निकासी या जल भराव पर नहीं आयेगा।

वर्षाकाल है, जल भराव पूर्ववत् 4-5 घण्टे का होने से रोका नहीं जा सकेगा, जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरेगी। सम्बन्धित अधिकारी जनता के इस कष्ट से विमुख होकर निश्चिन्त हैं। स्थायी निदान हेतु इन सभी नालों के कच्चे भाग की चौड़ाई व गहराई में शेपिंग करके जल ग्रहण एवं जल निकासी क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। मात्र 50 लाख रुपये व्यय होगा समस्या का 50 प्रतिशत निदान दो माह में हो जायेगा। ओडियन नाले पर चिदौड़ी में 250 एच0पी0 का सीवेज पम्प लगाना शेष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- !]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

50 प्रतिशत समस्या का निदान कर सकेगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपया अनुमानित व्यय है। वर्तमान के दो सीवेज पम्पिंग स्टेशनों पर (बच्चा पार्क, हापुड़ रोड) जनरेटर व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत व्यायामशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत एक व्यायामशाला की आवश्यकता है जिससे नवयुवकों का शारीरिक विकास हो सके जिसके लिए दो स्थानों पर एक-एक एकड़ जर्मीन जमीन उपलब्ध है ग्राम सभा धिनहापुर ब्लाक-मेंहनगर में प्रस्तावित है व्यायामशाला बन जाने से बच्चों का शारीरिक विकास हो सकेगा जो कि जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए व्यायामशाला के निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।]

श्री राम सूरत यादव (मृतक) स्वास्थ्य निरीक्षक, आजमगढ़ की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित को समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम नरेश यादव-

[मान्यवर, सरकार की ओर से मृतक आश्रितों को समायोजित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी होते रहे हैं, किन्तु उसमें निर्णय लेने में कई वर्ष लग जाते हैं और कभी-कभी मृतक आश्रितों की विषम परिस्थिति हो जाती है। इस कड़ी में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्री राम सूरत यादव स्वास्थ्य निरीक्षक, आजमगढ़ की मृत्यु 24 जून, 2003 को हुई थी। तत्पश्चात् उसके सुपुत्र श्री विजय कुमार यादव, स्नातक, जनपद आजमगढ़ ने प्रार्थना-पत्र मृतक आश्रित के रूप में सेवा में समायोजित करने के लिए दिया था, तबसे आज तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति नहीं की जा सकी है। पहले तो डार्करूम सहायक के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को पत्र लिखा और दिनांक 23 फरवरी, 2004 को निदेशक, प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने भी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को श्री विजय कुमार यादव को डार्क रूम सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र लिखा, उसके पश्चात् कई पत्र श्री विजय कुमार यादव ने भी लिखा, किन्तु अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है और इस समय विभाग की स्थिति दयनीय होती जा रही है। यही स्थिति अन्य विभागों की भी दिखाई दे रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए सरकार तथा विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0 लखनऊ को शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश देने का कष्ट करें।

गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राये में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कालीचरन राजभर-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राये अत्यन्त पिछड़ा हुआ गांव है। जहां पर लोगों के इलाज के लिए कोई समुचित व्यवस्था तथा सरकारी अस्पताल नहीं है। मरीजों को जनपद मुख्यालय पर ले जाना पड़ता है। जिससे गरीब मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी दुख एवं रोष व्याप्त है। अत: इस लोकमहत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा कराने तथा पाण्डेयपुर राये ब्लॉक मरदह गाजीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलवाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र घनी आबादी तथा सकरी और घुमावदार गलियों का क्षेत्र है जिनमें से अधिकांश क्षेत्रों में जल संस्थान वाराणसी द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला पेयजल का घोर अभाव से वहां के निवासी परेशान हैं। शीतला गली, गोला गली, मंगला गौरी, राज मन्दिर, पाण्डेय घाट, बंगाली टोला, शिवाला आदि मोहल्लों में पेयजल अनापूर्ति से नागरिक विशेष रूप से परेशान हैं और लोगों को जल संस्थान द्वारा इसका कोई समाधान दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ पेयजल अनापूर्ति से त्रस्त लोगों को लगे हुए हैण्ड पम्पों से भी पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि विभिन्न कारणों से या तो हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं और बनते भी है तो 10-15 दिन के बाद पुनः खराब हो जाता है अथवा गन्दा पानी देने लगता है जो पीने काबिल नहीं होता है। अनेकों खराब नलकूपों को रि-बोर किया हुआ जल निगम द्वारा दर्शाया गया है जो जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने पर बिल्कुल असत्य पाया गया। मेरे द्वारा नये हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु दी गई चौहद्दी पर लिखित रूप में विभाग द्वारा हैण्ड पम्प का लगा दिया जाना दर्शाया गया है जो भौतिक सत्यापन में बिल्कुल झूठ साबित हुआ है और उक्त स्थल पर कोई हैण्ड पम्प नहीं लगा है।

इन समस्त परिस्थितियों में मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उल्लिखित के अतिरिक्त भी मोहल्लों में लोग घोर जलाभाव से जूझ रहे हैं और उनके कष्ट का कोई पुरसाहाल नहीं है। सन् 2002 में जल निगम द्वारा प्रहलाद घाट तिराहे पर पूर्वान्चल राज्यांश से स्थापित नलकूप ऊर्जीकृत के अभाव में बेकार पड़ा हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा ऊर्जीकरण हेतु विभाग को निर्देश दे दिये जाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का लिखित उत्तर के बाद भी विभाग द्वारा कोई रुचि ऊर्जीकरण की दिशा में नहीं प्रदर्शित किया जाना घोर चिन्ता का विषय है।

नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के उक्त सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए समाधान की दिशा में अविलम्ब निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं। ।

समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित 10-10 ग्रामों में सभी योजनाओं को संतृप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रत्येक विधान सभा में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 10-10 ग्रामों का चयन करने हेतु विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा भी वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में असंतृप्त ग्रामों को संतृप्त करने हेतु 10-10 ग्रामों का प्रस्ताव चयनित करने हेतु शासन को भेजा था, परन्तु अभी तक चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, ग्रामों का विद्युतीकरण, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आदि योजनाएं अधिकांश ग्रामों में नहीं पहुंच पायी हैं जिससे क्षेत्र एवं ग्राम का विकास नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुए समस्त चयनित समग्र ग्रामों को सभी योजनाओं में संतृप्त करने की मांग करता हूं। ।

श्री अध्यक्ष-

तीन माननीय सदस्य डा0 विनोद तिवारी, श्री मदन चौहान तथा डा0 पूर्णमासी देहाती की सूचनाएं प्रतीक्षा सूची में थीं। जिन 15 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं, वह सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित रहे हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची की सूचनाएं निरस्त हो गई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं, उनके नाम इस प्रकार हैं :-- श्री नवाब सिंह नागर, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री बीजू पटनायक, डा0 सुशील चौधरी, श्री राम करन आर्य, श्री बाबू लाल कुशवाहा, डा0 रामबाबू हरित और श्री छोटे लाल वर्मा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-07-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल छः सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से कोई भी नियम-300 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, अतः अस्वीकार की गईं।

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना दिनांक 19-07-2005 को भी प्राप्त हुई थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बिलकहर के नगरा पचखोरा-टड़वा मार्ग के लिए स्वीकृत धन को अन्य मार्ग पर खर्च किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य के अनुरूप कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर 25 लाख रुपये के विद्युत कार्य कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना दिनांक 19-7-2005 को भी प्राप्त हुई थी।

चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली की न्याय पंचायत ऊंचाहार में पानी की टंकी तथा पाइप लाइन होने के बावजूद जलापूर्ति प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की ताजमहल के स्वामित्व को लेकर मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों के भिन्न-भिन्न विचार होने से शासन का अभिमत स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री जगदम्बिका पाल व श्री प्रमोद कुमार की राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़े जाने सम्बन्धी घोषणा को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में है।

लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम चन्द्र भानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, हम सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।....

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा संसदीय कार्यमंत्री के पास एकत्र होने पर व्यवधान)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन व्यवस्थित करायें।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। डा0 राय साहब जब मंत्री जी, कक्ष में जाएं तो मिल लीजिएगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय है। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लाखों की संख्या में इस विश्वविद्यालय में छात्र पढ़े हैं जो आज विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम श्री चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय रखा जायेगा। श्री चन्द्रभानु गुप्त जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उनका सम्मान करता हूं। शिक्षण संस्थाओं में.....

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब, आप यह बताइये कि यह नियम-300 में कैसे आयेगा ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदानन्द अंचल)-

गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम आपने बदला था, उसका जिक्र करते हुए चर्चा करियेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, थोड़ा तो समय दीजिए। मैं भी शिक्षक रहा हूं, कैसे पढ़ाया जाता है मुझे मालूम है। आप हमें न्याय प्रदान कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम श्री चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किया जायेगा। विधान सभा आहूत थी। श्री चन्द्रभानु गुप्त इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। किसी नये विश्वविद्यालय या नये संस्थान का नाम रख दिया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। दो पूर्व कुलपति प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढ़ा व प्रो0 रूपरेखा वर्मा, कई पूर्व छात्र महामहिम राज्यपाल (कुलाधिपति) से मिले। हम राजनीतिक लोगों की पहिचान जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से है, उसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय की आइडेंटिटी लखनऊ विश्वविद्यालय से है। अगर नाम परिवर्तित कर दिया जायेगा तो लाखों छात्रों की आईडेंटिटी समाप्त होगी। इसलिए इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जो घोषणा हुई है। उसका विरोध हो रहा है और जो छात्र चाहते हैं, शिक्षक चाहते हैं उसमें सरकार का क्या रुख है ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

अगर किसी महापुरुष के नाम पर किसी विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। तमाम मेडिकल कालेजों के नाम बदले गये। किंगजार्ज मेडिकल कालेज का नाम बदला गया और छत्रपति साहू रखा गया। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम बदलने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गौर साहब सदन के विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं और नियमों की उनको विधिवत् जानकारी है और वह प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय और आजादी के बाद आधुनिक लखनऊ की संरचना का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है वह चन्द्रभानु गुप्त जी हैं। वह इस सदन के निरंतर सदस्य रहे और चार बार मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश की सेवा की। वह आजादी की लड़ाई के पुरोधा रहे और उनकी विद्यार्थी जीवन में संघर्ष की भूमिका रही जिससे सारा प्रदेश परिचित है। वह प्रदेश के सम्मान के लिए कभी झुके नहीं और कभी रुके नहीं। उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी। लखनऊ

विश्वविद्यालय को बनाने में और ऊंचाई तक उठाने में गुप्त जी के रिश्तों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। आज जो लखनऊ का आधुनिक स्वरूप है, जैसे हम चारबाग से चलते हैं पहले बाल विद्या मंदिर, हरविलास चिकित्सालय, रवीन्द्रालय, नेशनल डिग्री कालेज, नेशनल इण्टर कालेज, मोतीमहल उनकी सेवाओं की देन हैं। उनकी सेवाओं की लम्बीचौड़ी फेहरिस्त है। लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम विभाग खोलने और विश्वविद्यालय के नये-नये भवन बनवाने में उनका योगदान रहा है। वह कई वर्षों तक लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। उनका जो लखनऊ विश्वविद्यालय से रिश्ता रहा है उसको सदन और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। हमें तो तरस आता है कि बड़ी-बड़ी संस्थाओं के नाम उन लोगों के नाम पर बदले गये जिनका उन संस्थाओं से कोई रिश्ता नहीं रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार जिस नाम से बना है क्या उनका कोई रिश्ता लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है। इसी तरह से कानपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया और गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया। यह परिवर्तन जिनके नाम पर किया गया क्या उनका इन विश्वविद्यालयों से कोई सम्बन्ध रहा है। चन्द्रभानु गुप्त जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वह एक महापुरुष रहे हैं और सार्वजनिक जीवन से उनका गहरा रिश्ता था। ऐसे महापुरुष पर प्रश्नचिन्ह लगाने के पहले विचार कर लिया करें। गौर साहब हमारे विद्वान सदस्य हैं। यह जो निर्णय लिया गया है उससे हमारा कार्यसंचालन प्रभावित नहीं होता है और न संविधान के अनुच्छेद प्रभावित होते हैं और न विधान सभा का कार्य संचालन प्रभावित होता है। इसका नियम-300 से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा होता है कि यह जो निर्णय लिया गया है उसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देने के लिये प्रस्ताव लाते। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी, राष्ट्रभक्त महापुरुष का सम्मान किया गया है तो ऐसे काम की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए अपना निर्णय लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष जी भाऊ राव देवरस जी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं उन्होंने यहां से टाप भी किया है। इसलिए उनके नाम पर गेट बनाया गया। मैं केवल इतना चाहता हूं कि कोई अन्य विश्वविद्यालय बनवाया जाय जिसका नाम चन्द्रभान गुप्त के नाम से रखा जाय। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि श्री चन्द्र भान गुप्त का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन औचित्य का प्रश्न इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय के नाम का परिवर्तन विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। विधान सभा सत्र आहूत है उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा सदन के बाहर क्यों कर दी। इसलिए मैंने इस औचित्य के प्रश्न को उठाया है। वहां पर छात्र आन्दोलित हैं, शिक्षक आन्दोलित हैं। यह नीतिगत प्रश्न है इसकी सदन में घोषणा होनी चाहिए थी वह बाहर हो गयी इसलिए भी यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नाम में परिवर्तन केवल कानून में संशोधन से हो सकता है। विधान सभा का सत्र आहूत है इसलिए इस पर बिल लाया जाना चाहिए था और कानून बनाकर नाम में परिवर्तन करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए था। जब सत्र आहूत हो तो इस तरह बाहर घोषणा करना सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है। मुख्यमंत्री जी कई बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं केन्द्र में भी मंत्री रहे हैं यदि वह इस प्रकार से सदन की अवमानना करेंगे, सदन की अनदेखी करेंगे तो कैसे सदन की स्वस्थ परम्पराओं का पालन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के बाहर घोषणा की है वह सर्वथा अमान्य है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

14 जुलाई को चन्द्र भान गुप्त जी का 103वां जन्म दिवस था और प्रतिवर्ष 14 जुलाई को यह बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है। उसी मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि मुख्य अतिथि थे ने यह घोषणा की है। विधान सभा का सत्र 18 तारीख से शुरू हुआ है अतः 14 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा सामयिक है क्योंकि वहां पर मौके पर तमाम समाज सेवियों द्वारा यह बात उठाई गई थी। अतः उस समय इसकी घोषणा करना ही श्री चन्द्रभान गुप्त के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसको एक राजनीति स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए। एक अच्छे काम के रूप में इसे देखना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय जब सत्र आहूत हो चूका हो...

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी हर विषय में बोलना जरूरी नहीं है। आप बैठ जायं यह आपका प्रश्न नहीं है पूर्व में तमाम दृष्टांत इस तरह के हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर मैं अपना लिखित निर्णय दूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि यह ऐसा मामला नहीं है। बहुत सी बातें हम सब सार्वजनिक जीवन में भावुक होकर कह देते हैं। उस दिन श्री गुप्त जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें गये थे। श्री चन्द्रभान गुप्त ऐसे व्यक्ति थे कि अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरें तो सच मानिये जहां-जहां आप जायेंगे उनकी यादें आपको मिलेंगी। जिस शख्स के जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भावुक होकर कोई घोषणा कर दी हो जो कि कोई राजनीतिक घोषणा न हो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं है जो कि कभी समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हो या जिस घोषणा से वोट बढ़ जाते हों। वह दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ के लिए जो उनका योगदान है वह भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिये भी मान्यवर, इस तरह से सदन में बहस होगी तो ...। यह बात किसी हद तक सही हो सकती है कि सदन आहूत हो गया था, यहां घोषणा होती। उसके नियम क्या हैं ? यह बात बिल्कुल सही हो सकती है लेकिन इसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका इतना योगदान हो, उसका समारोह हो, माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें चीफ गेस्ट हों, भावुक होकर कोई बात कह दें तो उसका आदर करना चाहिए न कि छीछालेदर।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं। सोमवार को इस पर निर्णय दूंगा। दूसरी सूचना राम इकबाल सिंह की है। यह नियम-300 में कहां आती है। आप इसको प्रीविलेज में लाइये।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट)

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के नगरा पचखोरा टड़वा मार्ग के लिये स्वीकृत धन को अन्य मार्ग पर खर्च किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये वक्तव्य के अनुरूप कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, इनको समझाइये। आप उपाध्यक्ष रहे हैं। नियम-51 में दिया और उस पर वक्तव्य दिया गया। अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे है तो आप उसको प्रीविलेज में लाइये। नियम-300 में क्यों उठा रहे हैं। आप इसको नियम-63 में दीजिये। मैं आपको नियम भी बता रहा हूं। अब क्या है ?

श्री राम इकबाल सिंह-*

मान्यवर, बहुत छोटा सा है। अब तक तो मैं कह भी लेता।

श्री अध्यक्ष-

नियमों को आप पढ़ते नहीं है। आप हमसे किताब ले जाइये। पढ़िये और हमको भी समझाइये। यह किसी सूरत में नियम-300 में नहीं बनता है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, थोड़ा कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या फायदा। बार-बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नियम-63 में दीजिये। नहीं मान रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 13-11-04 को नियम-51 के अन्तर्गत मैंने सूचना दिया था कि अपने विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के नगरा पचखोरा-टड़वा मार्ग को जोड़ने के लिये मांग किया था और इसके लिए धन भी अवमुक्त हो गया था लेकिन एक्स0 इयन0 ने उसको कहीं और खर्च कर दिया। इसकी जांच भी हुई और वह दण्डित भी हुआ। 30 तारीख को आपने जवाब में कहा था कि आपकी सड़क बनवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आश्वासन दिया था। सरकार के पास धन होगा तो बनवा दी जायेगी। आप इसको जबरदस्ती 300 में क्यों उठा रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, यहां पर माननीय सदस्य ने किसी एक सड़क के बारे में बात उठाई है, वैसे तो पूरे प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम तेज गति से हो रहा है और बलिया में भी हमने पैसा दिया है। सड़कों को ठीक करने के लिये पूरे प्रदेश में पैसा दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कि हर विधायक के क्षेत्र में 5 किलोमीटर सड़क का देंगे)

उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा का विषय नहीं है। हर आदमी चर्चा नहीं कर सकता है। यह तो माननीय मंत्री जी की उदारता है कि उन्होंने जवाब दे दिया।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये आप लोग।

*श्री विवेक बंसल-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप रोज तो रहते नहीं है। कभी-कभी आते हैं और प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री विवेक बंसल-

माननीय नेता सदन ने घोषणा की थी कि 200-200 नल हर विधायक को दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न लिखकर दे दें यह यहां न करें।

श्री विवेक बंसल-

पांच किलोमीटर के बारे में विस्तृत रूप से बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यह यहां नहीं उठ सकता है। यह व्यवस्था का सवाल नहीं है आप लिखित नोटिस दें यह नियम है। तिवारी जी अपने सदस्यों को समझायें। रोजाना तो आते नहीं है। कभी-कभी आयेंगे और फिर व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे।

शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर 25 लाख रुपये के विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने औचित्य के माध्यम से प्रश्न उपस्थित किया है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत चर्चाएं हैं। जल्दी कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 80 विधायकों को जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उससे संबंधित मामला है। पिछले सत्र में मान्यवर इस बात पर सहमति हुई थी सत्ता पक्ष की ओर से कि शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको 25-25 लाख रुपया विद्युतीकरण के लिए माननीय सदस्य की संस्तुति पर दिया जाएगा। 30 मार्च, 2005 को शासनादेश भी हो गया लेकिन एक रुपया भी इस मद में जिलों में नहीं भेजा गया है। मैंने ऊपर के अधिकारियों से भी बात की उन्होंने भी कहा कोई रुपया नहीं भेजा गया है। चार महीने हो गए हैं 80 शहरी क्षेत्र के विधायकों के अधिकार का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं। जिस बात की घोषणा सदन में की गई है जो शासनादेश जारी किया गया है, उसका अनुपालन करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इसे दिखवा लेंगे इसे प्रभावी करायेंगे।

जनपद रायबरेली की न्याय पंचायत ऊंचाहार में पानी की टंकी तथा पाइप लाइन होने के बावजूद जलापूर्ति प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरी सूचना जनपद रायबरेली की न्याय पंचायत ऊंचाहार में पानी की टंकी तथा पाइप लाइन होने के बावजूद जलापूर्ति प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-301 में दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

दो बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों को देख लें यह नियम-300 में नहीं आता है। इसको नियम-301 में दें हम कर देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली इससे बाधित होती है।

श्री अध्यक्ष-

कहां बाधित होती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

श्रीमन्, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित मेरे द्वारा लगाए गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में नगर विकास मंत्री जी जो वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया था, मैंने पूछा था कि 'क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊंचाहार में पेयजल समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी और पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है ? इन्होंने उत्तर दिया, जी हां, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा यदि हां, तो उक्त

नव निर्मित टंकी से नगर पंचायत, ऊंचाहार को जल की आपूर्ति कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ? उत्तर आया-प्रश्नगत योजना की टेस्टिंग एवं इण्टर कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है, जो मार्च, 2005 में पूर्ण हो जायेगा तत्पश्चात् जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। तीन महीने हो गए हैं जो समय निर्धारित किया वह हो गया है इस विधान सभा के अन्दर आपने उत्तर दिया था, आपकी पीठ के सामने विधान सभा के अन्दर जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उस जवाब को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी इन पर होती है।

तीन महीने बीत गये हैं और पूरे नगर पंचायत में पेयजल व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि मार्च, 2005 तक जलापूर्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आपका उत्तर था, यद्यपि यह 300 में नहीं आती है, यह आश्वासन था तो आप उसको दिखवा लेंगे। आपने प्रश्न का उत्तर दिया था कि इतने महीने में टंकी चालू हो जायेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

गलती का सुधार कर लेंगे। जहां भी गलती हुई होगी उसे सुधार लेंगे।

ताजमहल के स्वामित्व को लेकर मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों के भिन्न-भिन्न विचार होने पे शासन का अभिमत स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, ताजमहल के स्वामित्व को लेकर आपको क्या कहना है ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, ताजमहल का एक विषय इस वक्त चर्चा में है। मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। मंत्रि-परिषद् के एक माननीय सदस्य द्वारा वक्फ बोर्ड के दावे का समर्थन हो रहा है और दूसरे माननीय सदस्य द्वारा ए0एस0आई0 के पक्ष का समर्थन किया जा रहा है। इसके कारण जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ताजमहल जैसी इमारत जो भारत का गौरव है, विश्व का सातवां आश्चर्य है और हमारे लिए सम्मान का स्थान है उसके स्वामित्व के बारे में उत्तर प्रदेश के मंत्रि-परिषद् के सदस्यों में मतभेद है। मंत्रि-परिषद् का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है इसलिए मैं इसे औचित्य के माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का क्या मत है, इतना सरकार स्पष्ट कर दे।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है लेकिन मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों ने अलग-अलग बयान दिया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, वक्फ एक्ट है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का और पार्लियामेण्ट से यह कानून बना है और उसी के तहत सारे राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है लोक सभा, राज्य सभा,

विधान परिषदों और विधान सभा के इसमें सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं और जो बड़े औकाफ है, उनके मुत्वल्लियों से चुनकर एक बोर्ड बनता है और हर राज्य में एक अलग से इसका विभाग है। कोई आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारी उसका विभागीय अधिकारी भी होता है। इस प्रकार यह एक वैधानिक संस्था है। बोर्ड एक स्वतंत्र बाडी है और उसके अन्दर फैसले देने का भी अधिकार है उसे न्याय का भी अधिकार है। वह मुकदमें सुनते हैं, जो भी डिसप्यूट आता है, वक्फ सम्पत्तियां हैं, लेकिन वह फैसला आखिरी नहीं होता है, उसे फिर अगली अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है और जो अदालतें फैसला देती है वह मान्य होता है। कौन सदस्य क्या कह रहा है, उनकी क्या राय है, वक्फ बोर्ड की क्या राय है तो इसमें सरकार को उसके लिए कोई जवावदेही नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष-

दो माननीय सदस्यों के वक्तव्य कहां से प्राप्त हुए ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

अखबारों से।

श्री अध्यक्ष-

यहां अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता। अब आपकी बात आ गई है। आप बैठें।

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया बैठ जायें। मान जाइए। आप देखिए कि यह मूल विषय नहीं था। आपने अखबारों में पढ़ा है, अखबार का संज्ञान यहां नहीं लिया जाता।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें।

राज्य कर्मचारियों के महँगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़े जाने सम्बन्धी घोषणा को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नहीं सुनूंगा। पाल साहब, आप यह बतायें कि यह औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है।

* श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 के बिन्दु-5 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया है कि जब दो या दो से अधिक सदस्य एक ही विषय पर अल्पसूचित प्रश्न दें और एक सदस्य का प्रश्न अल्पसूचना पर उत्तर के लिए ग्राह्य हो जाये, तो अन्य सदस्यों के नाम भी उस सदस्य के नाम के साथ रख दिये जायेंगे, जिसका प्रश्न उत्तर के लिए ग्राह्य कर लिया गया है। मान्यवर, राज्य सरकार सदन के प्रति जवाबदेही है। आपने नाली की बात सुन ली।

श्री अध्यक्ष-

आपको अगर कहना है तो अपनी बात कह लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर रखी है। मान्यवर, प्रदेश के 33 लाख राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत डी0ए0 को मर्ज करने के लिए आन्दोलित हैं और उनके द्वारा लगातार मूल वेतन के 50 प्रतिशत डी0ए0 को मर्ज करने की मांग की जा रही है। मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई और उस समिति ने उसमें निर्णय लिया कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाये। पिछले दिनों राज्य कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में आन्दोलन की चेतावनी दी थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके उस प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित किया। अब फिर से उनका आन्दोलन होने जा रहा है तो मान्यवर, मेरा कहना है कि सरकार द्वारा इस सदन में की गई घोषणा के बावजूद वह लागू नहीं हुई। मान्यवर, इस समय इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न और क्या हो सकता है। मान्यवर, इसमें औचित्य का प्रश्न बनता है और इसे आप स्वीकार करने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पाल साहब के विचारों के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार एक अनवरत प्रक्रिया है। दल बदल जाते हैं लेकिन सरकार अनवरत चलती रहती है चाहे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो या राष्ट्रपति शासन। ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार न रहे। मान्यवर, 1984 में यह निर्णय लिया गया था। जो नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वह भी उस समिति के सदस्य थे। उसमें यह था कि जो भी केन्द्र में निर्णय केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए होगा उसका पालन राज्य सरकार उसी के अनुरूप करेगी। मैं फिर भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह निर्णय उस समय लिया गया था और यह अनवरत रूप से चल रहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वह इस संदर्भ में रास्ता ढूंढेंगे। अगर यह औचित्य के प्रश्न में आ जाता है तो इससे 25 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अगर वह हड़ताल पर चले गये तो बाढ़ का समय है और विधान सभा भी चल रही है तो विधान सभा की कार्यवाही कैसे होगी। इसलिए मान्यवर, सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि वह 15 दिन में 30 दिन में या डेढ़ महीने में मूल वेतन का 50 प्रतिशत डी0ए0 मर्ज कर देगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यही माना जाएगा कि सरकार अपनी घोषणा से हट गयी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसमें ऐसी कोई घोषणा सदन में तो नहीं की गयी है इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है।

(मद संख्या-3 पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा औचित्य का एक प्रश्न बहुत दिनों से लम्बित चल रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आज तो हम लोग चले जायेंगे। जब 25 को आयेंगे तब सभी दलीय नेताओं के साथ बैठकर इस सम्बन्ध में विचार कर लेंगे।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक

का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 (राजस्व प्राप्तियां) †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 (वाणिज्यिक) †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 (सिविल) †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे 2003-2004 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे

वर्ष 2003-2004 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे 2003-2004 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2003-2004 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2004-2005 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 92वां (बानबेवां)

प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 92वां (बानबेवां) प्रतिवेदन, जो सहायता पुनर्वास,

---

† छापे नहीं गये।

सचिवालय प्रशासन, संस्कृति, भाषा, विधायी एवं संसदीय कार्य, पर्यावरण, पर्यटन, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण, परिवहन, कार्मिक, वित्त, सार्वजनिक उद्यम, परती भूमि विकास, पशुधन एवं मत्स्य, अम्बेडकर ग्राम विकास, मुख्य मंत्री प्रकोष्ठ, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, नियुक्ति, आबकारी तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभागों के वर्ष 1983 से वर्ष 2002 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 93वां (तिरानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 93वां (तिरानबेवां) प्रतिवेदन, जो गृह, गृह कारागार तथा गोपन विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2003 तक के आश्वासन से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 94वां (चौरानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 94वां (चौरानबेवां) प्रतिवेदन, जो सिंचाई, राजस्व, सहकारिता तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभागों के वर्ष 1987 से वर्ष 2002 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 95वां (पंचानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 95वां (पन्चानबेवां) प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा एवं ऊर्जा विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 96वां (छियानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 96वां (छियानबेवां) प्रतिवेदन, जो औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा पंचायती राज विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 97वां (सत्तानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 97वां (सत्तानबेवां) प्रतिवेदन, जो आवास, लोक निर्माण, न्याय एवं श्रम विभागों के वर्ष 1986 से 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 98वां (अट्ठानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 98वां (अट्ठानबेवां) प्रतिवेदन, जो सैनिक कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पशुधन, खाद्य एवं रसद, कृषि, परिवहन तथा विकलांग कल्याण विभागों के वर्ष 1983 से 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 99वां (निन्यानबेवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 99वां (निन्यानबेवां) प्रतिवेदन, जो वन, ऊर्जा, अम्बेडकर ग्राम विकास, कर एवं निबन्धन, बैंकिंग, खादी तथा वस्त्र उद्योग (हथकरघा), खेलकूद एवं युवा कल्याण, कार्मिक, नियुक्ति, रेशम, मत्स्य उत्पादन, भाषा, धर्मार्थ कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम क्रियान्वयन, निर्वाचन, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण एवं ग्राम्य विकास विभागों के वर्ष 1986 से वर्ष 2002 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 100वां (सौवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 100वां (सौवां) प्रतिवेदन, जो बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, गृह, लोक निर्माण, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आबकारी विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-17 से सम्बन्धित विशेषाधिकार में कुछ नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 जुलाई, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 जुलाई, 2005 से 2 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-दिनांक 20 जुलाई, 2005 को निधन के निर्देश हों।

2-दिनांक 20 जुलाई, 2005 से 2 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

जुलाई, 2005

---

20 बुधवार — 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री ओ0पी0 सिंह, श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री वृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री शिव चरण प्रजापति, चौधरी धूराम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री रमेश विन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमिता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशीलाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा--एक घण्टा।

3-"बांदा जिले की केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री इन्द्रदेव सिंह, डा0 विनोद तिवारी एवं कुँ0 भारतेन्दु सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गई सूचनाओं पर चर्चा--डेढ़ घण्टा।

21 [illegible]
22 शुक्रवार
23 शनिवार
24 रविवार

} बैठक नहीं होगी।

25 सोमवार
26 मंगलवार } विधायी कार्य।
27 बुधवार

28 गुरुवार असरकारी दिवस (पूरा दिन)।

29 शुक्रवार
30 शनिवार } बैठक नहीं होगी।
31 रविवार

1 सोमवार
2 मंगलवार } बैठक होगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 †

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :-- † दिनांक 16-8-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आज चर्चा लगी हुई है, मैंने उसको उसी में जोड़ दिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक घण्टे की ही चर्चा है। उसमें सब कैसे सम्भव हो पायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अगर आप चाहें तो उसी में चर्चा रख लें और जो कुछ कहना चाहते हैं, उसी में कह लीजियेगा, अगर उसमें समय की कमी पड़ेगी तो समय को जितना जरूरी समझा जायेगा उतना समय बढ़ा दिया जायेगा।

आज दिनांक 20 जुलाई, 2005 को नियम 311 की दो सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री सतीश महाना की जो नियम 311 में प्राप्त हुई थी जो कानपुर माल रोड स्थित आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक के छठे तल पर कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा व्यवसायिक प्रगति के सम्बन्ध में व्याख्यान दिये जाते समय ओसामा विन लादेन के पोस्टर और पाकिस्तानी झंडे लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने हेतु इलाहाबाद में छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री लालजी वर्मा, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री रामहेत भारती, श्री घूरा राम, श्री सदल प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री भगेलू राम, चौ0 महेन्द्र सिंह की प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वर्ष 2004-2005 के शिक्षा सत्र में छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में है। मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा तब फिर यहां ले आइयेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरी सूचना भी इसी विषय पर थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका नाम जोड़ दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस पर आप हम लोगों को सुन लें तब कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री शिव तपस्या पासवान की है जो जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नौगढ़ में नक्सली गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल व श्री प्रमोद कुमार की है जो प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है। आज आप इसको स्थगित कर रहे हैं। निम्नलिखित माo सदस्यों की सूचनाएं चर्चनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई। मैं नाम पढ़े देता हूं। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जो सूचना है, आज कानून व्यवस्था पर चर्चा निर्धारित है उस पर आप भी बोल लीजिएगा। श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री लाल जी टण्डन, डा0 विनोद तिवारी, श्री हुकुम सिंह, श्री राम इकबाल सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री कृष्णा नन्द राय की सूचनाओं को उसी में जोड़ देते हैं जो चर्चा आज होने वाली है। श्री नवाब सिंह नागर, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री प्रदीप जैन "आदित्य", श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री कौशल किशोर, श्री राम बाबू हरित, श्री बेंटे लाल वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा0 सुशील चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कपिल देव यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री श्याम सिंह अहिरिया, श्री मुंशी लाल गौतम तथा डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मकान गिरा दिया गया है वह मकान छोड़कर चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप या तो नियम समिति से इस सीमा को खत्म करा दीजिये। आप सुसंगत नियमों में दीजिये, नियम 301 है, 51 है या 52 में चर्चा कराने की मांग कीजिये।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आज आतंकवाद की काली छाया ने पूरे संसार को घेर रखा है। आतंकवाद से विश्व के बड़े-बड़े देश प्रभावित हैं। अभी कल ही अयोध्या के मामले पर चर्चा हुई। आतंकवाद की गतिविधियों पर किस प्रकार सरकार निगाह रख रही है स्वयं इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कही।

मान्यवर, कल जिस समय मुख्य मंत्री जी यहां आतंकवाद पर अपनी बात कह रहे थे उसी समय कानपुर में एक प्रतिष्ठान आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की जो बहुत बड़ी शाखा है वहां पर अपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हुए कहा गया कि हमें उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन अपने लक्ष्य को आधार बनाकर काम करता। उसके चित्र लगे पोस्टरों के साथ वहां ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा था और उस सार्वजनिक स्थान पर किया जा रहा था जो एक प्रतिष्ठित बैंक है। यही नहीं मान्यवर, इस सारे स्थान पर ओसामा बिन लादेन का नाम सार्वजनिक रूप से लिया गया और पाकिस्तान के झण्डे के प्रति निष्ठा व्यक्त की गयी। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के लिये यह आम बात हो सकती है। मान्यवर, पोस्टरों पर चित्र ओसामा बिन लादेन का हो और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

झण्डा पाकिस्तान का हो तो यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, ओसामा बिन लादेन का चित्र लगा हुआ था जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि बिजनेस के प्रमोशन के लिये हमें लक्ष्य साधकर काम करना चाहिए और अपने विरोधी को भी लक्ष्य साधकर नेस्तनाबूत करना चाहिए। जब उसका एक कार्यकर्ता ने विरोध किया तो उसके विरोध को कोई ध्यान न देकर उन्होंने किन व गेट वन का नारा दिया। एक आदमी को मारिये और एक पालिसी ले लीजिए उन्होंने उसका नाम मिशन जेहाद लगा रखा था। तो क्या अब बिजनेस प्रमोशन के लिए यह मिशन जेहाद का नारा देकर काम किया जायेगा। इसमें तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कोई कार्यक्रम किया उन्होंने सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाये उन्होंने पोस्टर और झण्डे के ऊपर निष्ठा व्यक्त करते हुए अपनी बात कही तो सोच कहां से आई ? मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत मेरी पूरी बात सुनिये मैं ग्राह्यता के अन्तर्गत बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी होती तो यहां उठाने की जरूरत नहीं होती।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वह पोस्टर छपा तो वह सोच कहां से आई, इसके पीछे बहुत बड़ा षड़यन्त्र लग रहा है उस षड़यन्त्र से जिससे पूरा का पूरा विश्व आतंकित है अगर उसका लक्ष्य मानकर, निष्ठा मानकर यह सोच जहां से आई है यह केवल उस बैंक के अधिकारी/कर्मचारी से बात सम्बन्धित नहीं हो सकती हैं वहां के जिन लोगों ने प्रेरित किया, जिन लोगों ने दिशा दी जिन लोगों के कहने पर उन लोगों ने काम किया, उनकी जांच होनी चाहिए और वहां पर जो हो रहा था उसका आशय यह था कि जो हमारे देश की संस्कृति और सोच है उसको समाप्त करना चाहते हैं। केवल सोच को समाप्त करने की बात नहीं है इस देश के अन्तर्गत आतंकवाद को एक पर्याय के रूप में लाना चाहते हैं और एक प्रेरणा को लेकर काम करने का जो साधन बन रहा है ऐसे को नष्ट करने का संकल्प हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने दोहराया था। मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी होती है जिसनें इस प्रकार की बात सामने आती है। इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया जाय और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाय। मान्यवर, इसके लिये आप निश्चित समय सीमा भी तय करने का कृपा करें तो निश्चित ही जनमानस में इसका अच्छा प्रभाव जा सकेगा। इस घटना के चलते आज लोगों में रोष व्याप्त है और चिन्ता है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से चर्चा की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की गयी है और थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 167/05 धारा 153बी/120 बी आई0पी0सी0 दर्ज किया गया है। मुकदमे में वादी थाना कोतवाली इंचार्ज आर0 के पाराशर है। इस घटना में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है, यह हैं संजीव भाटिया, पीयूष कुलकर्णी, प्रभात सिन्हा, सुजीत चटर्जी और रोहित। मुकदमा दर्ज हो गया है, पूरी कार्यवाही होगी।

(श्री सतीश महाना के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं। अब क्या है कार्यवाही होगी।

श्री सतीश महाना-

मैं चाहता हूं कि इसमें जहां तक इस घटना के तार जुड़े हैं, वहां तक इसकी छानबीन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के वह सभी छात्र जो लोक सेवा आयोग से प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, हजारों-लाखों की संख्या में पी0सी0एस0, पी0एस0जे0 व अन्य सरकारी नौकरियों के लिये बैठते हैं, वह इलाहाबाद में लगभग एक महीने से आन्दोलनरत हैं। इनकी मांग है कि प्रारम्भिक परीक्षा में 10 प्रतिशत अभ्यर्थी अवश्य उत्तीर्ण किये जायें, जिससे वह फाइनल इक्जाम में बैठ सकें। यह छात्र लगभग एक महीने भर से वहां धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई और पब्लिक मीटिंग्स की हैं। अभी 12 जुलाई को उन्होंने आयोग के सचिव जे0 बी0 सिन्हा और सदस्य एस0 पी0 गोरिया का घेराव किया। इलाहाबाद में कल सम्पूर्ण बन्द था, वहां पर छात्रों द्वारा काफी तोड़ फोड़ भी की गयी मान्यवर, यह सरकार छात्रों और युवाओं की काफी बात करती है। इसमें सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, केवल एक निर्णय लेना है कि 10 प्रतिशत छात्र प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण किये जायें। जिससे वह फाइनल इक्जाम में बैठ सकें। यह पूरे प्रदेश के लिये जनहित का प्रश्न है मैं चाहूंगा कि सरकार छात्रों की इस मांग को माने और यदि इस पर चर्चा करा ली जाय तो उचित होगा।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें यह मांग उचित है और 10 प्रतिशत छात्रों को उत्तीर्ण किये जाने का फैसला होना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमारे छात्र या आपके छात्र, यह तो तय होगा, लेकिन यह आपके छात्र बाकी हमारे छात्र हैं। मान्यवर, इस मामले में जो भी सही होगा, सरकार उस पर निर्णय लेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इलाहाबाद में आन्दोलन चल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि आगे और कोई आन्दोलन न खड़ा हो और इलाहाबाद की आग अन्य जनपदों में जा सकती है, इसलिये इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर यथाशीघ्र निर्णय ले लीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जैसा आपका निर्देश।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी आपकी सूचना तो केवल ध्यानाकर्षण के लिये थी, इसलिये इसमें आप अकेले बोल लीजिये।

*श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में बुद्धि का उतना महत्व नहीं है, जितना कि संख्याबल का महत्व है।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल के नेता बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस पर दस्तखत तो 28 लोगों ने किये हैं, लेकिन मान्यवर, केवल 2-3 लोगों को ही सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो लोग बोल लें, यही उचित रहेगा आप दल के नेता हैं, आप सबकी ओर से रिप्रजेन्ट कर दीजिए।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मौर्या जी आप बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जो अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती थी, पूरे उत्तर प्रदेश में उस पर बन्दिश लगा दी गई है, कहीं पर भी छात्रवृत्ति पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। जबकि पूर्व में जो भी सरकारें थी, संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके समय-समय पर वर्ष-प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मुहैय्या कराती थी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, गरीब छात्रों को संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसे देने में आना-कानी का काम कर रही है। इसकी पुष्टि मैं सरकार के ही एक माननीय मंत्री के उत्तर द्वारा देना चाहता हूं। यहीं पर मैंने एक ही दिन दो प्रश्न लगाये थे और इत्तिफाक से वह एक ही स्कूल के थे। पहले में मैंने पूछा था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-रायबरेली, वि0 खं0-डलमऊ के अन्तर्गत ज्योतिबाराव फुले प्रा0 वि0 कन्धरपुर (बरारावुजुर्ग) के अनुसूचित जाति के 38 छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2003-2004 की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके जवाब में यह उत्तर दिया गया कि जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। विद्यालय को मान्यता वित्तीय वर्ष के अन्त में दिनांक 01-02-2004 को प्रदान किये जाने के कारण सम्भव नहीं था। लेकिन सरकार की मंशा मेरे दूसरे प्रश्न से जाहिर होती है, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा

मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-रायबरेली, वि0 खं0-डलमऊ के अन्तर्गत ज्योतिबाराव फुले प्रा0 वि0 कन्धरपुर (बराराबुजुर्ग) के अनुसूचित जाति के 80 छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2004-2005 की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रश्न का यह जवाब दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, विद्यालय वही है, सूचना के स्रोत वही हैं, जनपद वही है, फिर भी उत्तर अलग-अलग है। यह इस बात को जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की मंशा नहीं रखती। जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं जो कि बहुत गरीब हैं, उन्हें यह संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और उनके इन अधिकारों के साथ खिलावाड़ किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, यह पूरे प्रदेश की समस्या है, सभी जनपदों की समस्या है। हम जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हों। जब क्षेत्रों में जाते हैं तो गरीब छात्र अपनी छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उस समय हम लाजवाब हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। इसलिये कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकमहत्व का है, पूरे प्रदेश के छात्र-छात्रायें आन्दोलित हैं। इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें जिससे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया करायी जा सके।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

इस सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मौर्या जी लाजवाब हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि यह लाजवाब हैं। अगर हमारे प्रयत्नों से यह लाजवाब हैं तो इन्हें हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए।

*श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आज अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति, पुत्रियों की शादी, बीमारी में दिये जाने वाला अनुदान व अन्य दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में दिये जाने वाले अनुदानों को लेकर आज त्राहि-त्राहि मची हुई है। छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अनेक जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों का घेराव हो रहा है, समाज कल्याण अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। मान्यवर, जिस दिन समाज कल्याण विभाग का बजट आया तो यह सदन व्यवस्थित नहीं हुआ नहीं तो विस्तार से चर्चा होती। 15 अरब रुपया इस सरकार ने कटौती कर दी। विगत वर्षों में इसके लिये 40 हजार करोड़ रुपये का बजट एलाट होता था। इस बजट को महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए था। इस बजट को बढ़ाने के बजाए इस सरकार ने उसमें 15 अरब रुपये की कटौती कर दी। मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोग किसी की दया पर निर्भर नहीं हैं, उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है और संविधान से सरकारें बंधी हुई हैं। क्या सरकारें अनुसूचित जाति के लिये कल्याणकारी योजनायें न चलाकर संविधान का उल्लंघन करेंगी ? सरकार यह जानती है कि अनुसूचित जाति के लोग इनको वोट नहीं देते हैं तो क्या सरकार संविधान के खिलाफ जायेगी ? मान्यवर, यह अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है। अनुदानों में 30 से 40 प्रतिशत की कटौती हो गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्र-छात्रायें इधर से उधर घूम रहे हैं उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस विषय को सदन में उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी ग्राह्यता पर निवेदन करने की जरूरत क्यों पड़ी ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी व समाज कल्याण मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों में जो आवंटन होता था, जो लक्ष्य और डिमाण्ड होती थी, वह पूरा का पूरा पैसा निदेशालय से आवंटित हो जाता था। लेकिन आज निदेशालय से पैसा जिलों को नहीं गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह आप पर छोड़ दे रहा हूं, आप दिखवा लीजिए। पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति के बच्चों के वजीफे में कटौती की गयी है, कुछ विद्यालयों में तो पैसा गया ही नहीं, कुछ में दो-चार प्रतिशत गया है। मैं बड़े अदब के साथ सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि इस पर आप चर्चा करा दें तो सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। मैं सदन के संज्ञान में ला रहा हूं कि आज अनुसूचित जाति के बेटे-बेटियों के हाथ में 20 रुपया भी नहीं जा रहा है, उनको वजीफा नहीं मिल रहा है। मान्यवर, सुखदेव राजभर असत्य नहीं बोल रहे हैं। आप चर्चा करा लें हो सकता है कि गल्ती हुई हो, कुछ कमी रह गयी हो जिसकी वजह से पैसा न गया हो। मान्यवर, हजारों लड़कों-लड़कियों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं। इसको स्वीकार कर लें और इस पर घंटे भर की चर्चा करायें।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में ग्राह्यता पर बोलने के लिये आपने मौका दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। मान्यवर, दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति के लिये 2417.96 लाख रुपये मिले जिसका लाभ 91 लाख 96 हजार छात्रों को मिला। इस तरह से मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में 216.00 लाख रुपये प्राप्त हुए। वर्ष इसका लाभ 7300 छात्रों को मिला। वर्ष 2004-05 में 25 लाख रुपये की मांग रखी गयी परन्तु छात्रों को लाभ नहीं मिला। इसी तरह से चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग डिग्री कक्षाओं के लिये 2003-04 में 25 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया जिससे 6200 छात्रों को लाभ मिला। मान्यवर, इसी तरह से मेरिट उच्चीकृत (रीमिडियल कोचिंग) के लिये 40.95 लाख रुपये रखे गये जिससे 303 छात्र लाभान्वित हुए। वर्ष 2004-05 में इसके लिये 45.45 लाख रुपये की मांग रखी गयी लेकिन किसी को लाभ नहीं मिला। मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा (राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं) के लिये वर्ष 2003-04 में 100.5 लाख रुपयों की मांग की गयी और 10 हजार छात्रों को लाभ मिला। वर्ष 2004-05 में कोई लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार से वर्ष 2003-04 राज्य सेवाओं, अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद में पी0सी0एस0 (जे) के लिये कोचिंग सेन्टर के लिये 5.87 लाख रुपये मांगे गये थे जिससे 50 छात्र लाभान्वित हुए। वर्ष 2004-05 में 6.53 लाख रुपये की मांग रखी गयी और किसी छात्र को लाभ नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलें, चर्चा थोड़े ही हो रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, आप मुझे बोलने के लिये समय दे दें। मान्यवर, मैं उन अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये कह रहा हूं। जिनके माता-पिता सुबह चार बजे चारपाई छोड़कर सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। मैं उनके लिये यह कह रहा हूं जिनके माता-पिता 4 बजे सुबह तालाब में खड़े होकर कपड़े धोते हैं। मैं उनके लिये यह कह रहा हूं जो ईंट बनाते हैं और झोपड़े में रहते हैं और जो जूते बनाते हैं लेकिन नंगे पैर रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सारी बातें आ गयी हैं। आपकी बात आ गयी।

श्री मुंशी लाल गौतम-

[* * *]

श्री अध्यक्ष-

आप मनमाने ढंग से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वह निकाल दिया जायेगा।

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय सुखदेव राजभर, माननीय ददूद प्रसाद जी और माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की बातों को मैंने बहुत गम्भीरता पूर्वक सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है आजादी के बाद मुलायम सिंह यादव जी की, जिसने समाज के सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का फैसला ही नहीं किया बल्कि छात्रवृत्ति को बंटवाने का काम किया है। आजादी के बाद जितनी सरकारें आयी किसी ने इतना काम नहीं किया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी की बात सुन लें।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री अवधेश प्रसाद-

इन्हें तो बधाई देनी चाहिए था।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(समाज कल्याण मंत्री द्वारा बैठने के लिये कहने पर)

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी अभी क्यों कह रहे थे कि बैठ जायं, यह तो आपका अधिकार है।

नोट :-- [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

एक ही जिले के हैं इसलिए भाई चारा है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इन्हें तो बधाई देना चाहिए था उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें आई उनमें यह पहली सरकार है जिसने सभी जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। इस सरकार ने पिछड़ी जाति के सभी बच्चों को वजीफा देने का फैसला ही नहीं किया बल्कि उसे बंटवाने का काम किया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर विषय आया कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। लेकिन माननीय मंत्री जी पिछड़ी जाति के बारे में बता रहे हैं समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति देखता है पिछड़े और सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति दूसरे विभाग से सम्बन्धित है। यहां पर विषय केवल अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है जो समाज का निर्धन वर्ग है। जिसकी आबादी 22 फीसदी है। उसको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप अपनी बात कहना चाहते थे उसको आपने कह लिया।

श्री अवधेश प्रसाद-

श्री वर्मा जी का जो भाव 15 साल पहले था वही भाव आज भी है। आपने लगता है सुना नहीं है यहां पर पिछड़ी जाति का नाम लिया गया था। इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं।

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

पिछड़ी जाति का नाम नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा कि पिछड़ी जाति का नाम लिया गया कि नहीं।

श्री अवधेश प्रसाद-

जब मैं पिछड़ी जाति का नाम लेता हूं तो इनको क्यों परेशानी होती है। अब इनकी जातिवादी राजनीति चलने वाली नहीं है। यह आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने सामान्य जाति के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का ही फैसला नहीं लिया बल्कि उसको बंटवाने का काम किया। आप पता लगा लें। सबको वजीफा मिला है। जहां तक लड़कियों की शादी का सवाल है। इस सम्बन्ध में जितनी भी सरकारें आई उसमें यह पहली सरकार है जिसने इतनी जल्दी बजट पास कराया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिये तथा अप्रैल महीने में ही 40-70 फीसदी बजट चला गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय दद्दू प्रसाद जी, वर्मा जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं सुन लीजिये। आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। अब वे बोल रहे हैं तो आप सुनिये। आप लोग बैठ जायं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जुलाई का महीना है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जितना धन विभागों के लिये आवंटित था वह सब जनपदों में भेजा जा चुका है। आप पिछले सालों के आंकड़े मंगाकर देख लें इतना पैसा कभी नहीं दिया गया है। चाहे शादी का अनुदान हो, चाहे बीमारी का चाहे छात्रवृत्ति का, सभी में पैसा गया है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि छात्रवृत्ति नहीं गई। मुझे इस सदन में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि छात्रवृत्ति देने के मामले में यह पहली सरकार है जिसने अनुसूचित जाति के छात्रों को जो बी0ए0, एम0ए0, एल0एल0बी0 और एम0बी0ए0 करेंगे उनका दाखिला बिना पैसे के हो जायेगा। यह बहुजन समाज पार्टी जो अपने को दलित का बेटा-बेटी कहती है, यह दलितों के लिये कुछ नहीं करती। दलितों के लिये अगर किसी ने किया है तो वह माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है। (मेजें थपथपाई गईं) इस बात को पूरी तरह से इस प्रदेश की जनता ने समझा है। आज जनता समझ गई है और वह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। आप चाहें जितने घड़ियाली आंसू बहा लें किसी को विश्वास नहीं होगा। हो सकता है कि कहीं इनका स्कूल चल रहा हो और वहां इनको न मिला हो, तो हम इसको दिखवा लेंगे और एक सप्ताह के अन्दर दिलवा भी देंगे। यह कार्य-स्थगन के अन्दर नहीं आता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मुझे खुशी हो रही है कि जबसे हमारी सरकार आई है तमाम फ्राडी स्कूल बन्द हुए हैं और फ्राडी स्कूल वालों को जेल भेजने का भी काम किया है। यह गलत कह रहे हैं कि नहीं मिला हैं वर्ष भर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्र से जो सहायता प्राप्त होती है उसमें लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि रोक ली गई है और वह इसलिये कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया। यह सत्य है अथवा गलत है ? दूसरा हमारे बी0एस0पी0 के साथी दलितों के साथ अब ब्राह्मण जो गरीब हैं, उनको भी आरक्षण का समर्थन करेंगे कि उनको भी आरक्षण दिया जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने दो अलग सवाल किये हैं। एक तो यह जग जाहिर है कि हमारे नेता समाज को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर चलते हैं और इसी आधार पर यह सरकार बनी है। हमारी सरकार के जो कार्य-कलाप हैं, जो नीतियां हैं, जो उसका कार्यक्रम है वह किसी एक जाति या बिरादरी के लिये नहीं है बल्कि सारे समाज के लिये है। जाति बिरादरी की बात करने वाले तो चले गये और केन्द्र का सवाल है यह सत्य है। आदरणीय टण्डन जी ने कहा है दशमोत्तर की धनराशि आती है वह केन्द्र सरकार से आती है। केन्द्र सरकार से उतना पैसा नहीं आया जितना आना चाहिए था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है प्रधान मंत्री जी को लिखा है, कुछ पैसा आ गया है कुछ और पैसा देने का आश्वासन दिया है। स्टेट सेक्टर में तो नहीं है। लगातार कान्टेक्ट में हम हैं। केन्द्र सरकार से, प्रधान मंत्री जी से कहा है यह दशमोंत्तर का पैसा है। वह आ जायेगा तो कमी नहीं पड़ेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपया रखा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि 100 करोड़ रुपया नहीं आया है इसका कारण उपभोग प्रमाण-पत्र न देना है ? क्या यह सही है यह बता दें।

श्री अवधेश प्रसाद-

उपभोग प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं। यह पैसा एलाट होता है। प्रदेश के हिस्से में जितना पैसा एलाट होना चाहिए वह धनराशि नहीं आई। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा है इस पर कुछ पैसा आया है और पैसे के लिये आश्वासन दिया है। हमने अधिकारी भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हमारा निर्णय सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

आपको पूरी तरह से सुना माननीय मंत्री जी को सुना। मंत्री जी ने कहा है जिन जिलों में नही मिला है उसमें देख लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कहीं नहीं मिला है, इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा जहां नहीं मिला है हमें सूची दिला दें। इसको एक सप्ताह में वितरण करा देंगे। आपके संज्ञान में जहां न पहुंचा हो उसकी सूची दे दें। मैं मंत्री जी को देकर बंटवा दूंगा। यह नियम-56 में नहीं आता है।

(व्यवधान)

(श्री दद्दू प्रसाद, श्री लालजी वर्मा आदि ब0स0पा0 के अनेक मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

[×××]

श्री अध्यक्ष-

यह जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा। कार्यवाही का अंश नहीं माना जायेगा।

श्री दद्दू प्रसाद-

[×××]

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(वेल में आये हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेवाजी करने से व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई है और मंत्री जी ने कह दिया है कि जहां नहीं बंटा है, आप उसकी सूची दे दें, हम बंटवा देंगे।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, चर्चा करा लें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

आपने अपना विरोध व्यक्त कर लिया है, अब आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर चलें, यह मेरा आपसे आग्रह है। मौर्य जी, आप अपने सदस्यों को बुला लें, पूरी बात आ गई है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

दद्दू प्रसाद जी, इतने ज्यादा नारे लगाओगे तो थक जाओगे।

(नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष-

आज की कार्यसूची में आप की ही बाढ़ की चर्चा लगी हैं मौर्या जी, आप अपने सदस्यों को बुलाइये। जब बात हो गई है कि आप सूची दे दीजिए, बंटवा देंगे तब क्या दिक्कत है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में मद संख्या-23 और 24 पर दो महत्वपूर्ण चर्चायें लगी हैं यदि इनको कोई बात नहीं रखनी है तो यह सदन का समय क्यों खराब करें ?

नोट :-- [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

श्री ददृू प्रसाद-

मान्यवर, आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब अगली मद लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह दबाव डालकर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-23 लेते हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

देखिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

मैंने कहा है कि जिन-जिन जिलों में आप बता दें जहां पर नहीं बंटा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहकर बटवा दूंगा अगर नहीं बटेगा तो आप मुझसे कहिएगा। आप लिखकर दे दें मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा।

(सरकार विरोधी नारे लगाये जाने से घोर व्यवधान बना रहा)

चलो हो गया। आगे चर्चा है अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। माननीय टण्डन जी, आप इस पर चर्चा करायेंगे ? यह मानने वाले तो लगते नहीं हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करने के लिये अगर इस पर चर्चा स्वीकार कर लें तो क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने शुरू में ही कहा कि एक दिन में 2-3 सूचनाएं ही ली जाती हैं। मैंने इस पर ध्यान आकर्षण किया है और यह भी कहा कि आप लिखकर दे दें तो मैं 7 दिन में दिला दूंगा। मैंने कहा है कि अगर आप लिखकर मुझे दे दें तो मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह छात्रवृत्ति भारत सरकार से आती है। अगर मंत्री जी ने स्वीकार किया कि भारत सरकार से पैसा नहीं आया, अगर पैसा नहीं आया तो बंटा कैसे। यह सारे प्रदेश की बात है किसी एक-आध जिले का नहीं है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि तथ्य सामने आयें कि आखिर यह कैसे हो रहा है कि जो बच्चों का अधिकार है, जो आश्वासन आपने दिया हुआ है। अगर

इसमें केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसके लिये यहां से कहेंगे। इसमें आप चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण आप लोग अपनी सीटों पर वापस जायें। दद्दू प्रसाद जी अपनी सीट पर वापस जायें।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह सुझाव है कि इसमें चर्चा स्वीकार कर लें बहुत से तथ्य आ जायेंगे। आपका इसमें क्या कहना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो बात सदन में आयी, जो सुझाव बी0एस0पी0 और नेता प्रतिपक्ष ने रखा उसका समाधान बहुत हद तक माननीय मंत्री जी ने कर दिया है। यह बात सदन में आयी कि भारत सरकार से पैसा आना था उसमें विलम्ब हुआ है। सारी बातें संज्ञान में आ गयी हैं। कहीं से अगर कोई खास शिकायत है तो उस जिले का नाम दे दीजिए। आप इसमें सभी नेताओं को अपने कक्ष में बुला लीजिये और जो भी बेहतर समाधान हो सके वह कर लीजिये। इसमें सरकार की नीयत अच्छी से अच्छी है। यह छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। अगर हमारी तरफ से कहीं कोई कमी हो रही है तो उसे इंगित कर दीजिये हम उसे दूर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरे प्रदेश में नहीं मिल रही है।

(विपक्ष की तरफ से आवाजें 'पूरे प्रदेश में नहीं मिल रही है')

अगर नहीं मिल रही है तो मिलने की तरफ कोशिश होनी चाहिए या नहीं मिलने की तरफ ? मंत्री जी को अपने कक्ष में बुला लें, सभी दलों के नेताओं को अपने कक्ष में बुला लें और इसका समाधान कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अभी 4.00 बजे एक बैठक बुला लेता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की ज्वलंत समस्या है और हर जगह यह दिक्कत हो रही है। किसी भी जिले में छात्रवृत्ति नहीं बट रही है। एक जिले क्या, एक स्कूल में भी नहीं बट रही है।

श्री अध्यक्ष-

4.00 बजे मेरे कक्ष में इस सम्बन्ध में बैठक हो जायेगी तो इसका निराकरण हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि विधान सभा के अन्दर यह मामला आ गया है इसलिये चाहता हूं कि आप इसमें व्यवस्था दे दें और इसमें चर्चा करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

4.00 बजे बैठक कर लें। मैं माननीय मंत्री से निवदेन कर लूंगा कि सूची लेकर आ जायें कि कहां-कहां वितरित किया है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मेरे कक्ष में बात हो जायेगी।

(श्री प्रागी लाल अहिरवार के खड़े होकर बोलने पर)

आप बैठ जायें। श्री शिव तपस्या पासवान की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है और माननीय पाल साहब की सूचना को स्थगित कर दिया है।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज), श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री शिव चरण प्रजापति, चौधरी घूराम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0के0 सिंह पटेल, डा0 रमेश बिन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमीता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा दी गई सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-23 ले रहा हूं। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में यह चर्चा है इसमें चर्चा आरम्भ करें।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह चर्चा लम्बी चलेगी क्योंकि यह पिछले सत्र की है और इसके बाद कुछ और भी घटनायें हुई हैं। आज एक नोटिस और आई है, उस नोटिस में दूसरे विषय हैं, जो कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं का विषय है। हमारे कार्यकर्ताओं की जहां-जहां हत्यायें हुई हैं, उसका विषय है। इसके लिये मान्यवर, आपको समय देना पड़ेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आज एक घण्टे चर्चा करवा दें और एक घण्टा अगले दिन कर लें। इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को भाग लेने दें, इसमें सरकार को रोशनी मिलेगी। कौन क्या कर रहा है, यह सब सरकार की जानकारी में नहीं है ? इससे सरकार को लाभ ही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, तीन बजने वाले हैं, आपकी क्या राय है ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पर चर्चा बहुत विस्तृत है, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि इसमें समय लगेगा। चूंकि आज समयाभाव है, इसलिए आज कानून व्यवस्था

---

† दिनांक 23-3-2005 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चर्चा स्थगित करके बाढ़ पर चर्चा करा लें क्योंकि यह ज्वलन्तशील समस्या है और इससे बांदा जनपद बहुत प्रभावित है। कानून व्यवस्था पर चर्चा 25 तारीख को करा लें आज बाढ़ पर चर्चा करा लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर कल भी माननीय टण्डन जी बहुत अच्छा-खासा बोले हैं। अखबार यह भी पढ़ते हैं और अखबार हम भी पढ़ते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसकी हेडिंग यहां पढ़कर सुनाते हैं । मान्यवर, लालजी वर्मा जी का सुझाव भी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है और बाढ़ से निपटना भी है, अगर आप चाहें तो आज बाढ़ ले लें। कानून व्यवस्था पर माननीय टण्डन जी कुछ शुरू कर दें, बाकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी, आप कानून-व्यवस्था पर थोड़ा सा बोल दें, बहुत ज्यादा लम्बा न खींचें, बाकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री लालजी टण्डन-

अगर आज थोड़ा सा बोल देते हैं तो मेरी चर्चा कन्टीन्यू रहेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मैं कह तो रहा हूं कि आपकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, कानून व्यवस्था की हालत जो प्रदेश में है, उसमें केवल लखनऊ कमिश्नरी में जो अखबारों में छपा है उसके अनुसार जो आंकड़े हैं, साढ़े सात हजार हत्यायें प्रदेश के अन्दर हुई हैं। कहां कब किस महीने में कितनी हत्यायें, कितने बलात्कार, कितने अपहरण और कितनी लूट हुई हैं ? मान्यवर, इसको हम पूरी तरह से तब बतायेंगे जब आप समय देंगे। आज हमने सिर्फ शुरू कर दिया है।

(नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम मद संख्या-24 लेते हैं।

बांदा जिला की केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री इन्द्रदेव सिंह, डा0 विनोद तिवारी एवं कुंवर भरतेन्द्र सिंह द्वारा दी गई सूचनाओं पर डेढ़ घण्टे की चर्चा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, दद्दू प्रसाद और बाबू लाल कुशवाहा जी उसी जिले के हैं जहां बाढ़ आई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले वही लोग बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। कानून व्यवस्था पर चर्चा जारी रहेगी अब बाढ़ पर चर्चा कर लें।

*श्री ददूदू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण सदन में बांदा जिले और हमीरपुर जिले में केन नदी में आई हुई बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा के लिये मुझे मौका दिया। मान्यवर, दिनांक 3 जुलाई को केन नदी में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ आ गई, उसका कारण यह था कि केन नदी पर बना डैम बरियारपुर, रंगवा और गंगई जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है उसकी देखरेख और अनुरक्षण ठीक से न होने के कारण और उसमें बिना पूर्व सूचना के विकराल रूप से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया जिससे बांदा जिले के लगभग 50 गांव जल प्लावित हो गये और बांदा शहर के लगभग 15 मोहल्ले कंचनपुरवा, छावी तालाब, खुटला, रहुनिया, मर्दन नाका, निम्नीपार, लुहार तलैया, क्पोटरा, छोटी बाजार आदि मोहल्ले जल प्लावित हो गये। मान्यवर, पिछली की जो बाढ़े आयी थीं उनके रिकार्ड को पिछाड़ते हुए ज्यादा जलस्तर ऊंचा पहुंच गया और सरकार की तरफ से जो ड्यूटी निभाई जानी चाहिये थी और पूर्व सूचना दी जानी चाहिये थी वह कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई जिससे लोगों के घर डूब गये और हजारों लोग बेघरबार हुए हैं और त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मान्यवर, उनके जो खाने का अनाज इकट्ठा था वह बह गया, उनकी गृहस्थी का सामान बह गया। अनेकों गांवो की जो उपजाऊ भूमि थी वह कटकर बह गई है और आने वाले दिनों में किसान उससे फसल नहीं ले पायेगा।

मान्यवर, सरकार की तरफ से जो राहत कार्य चलाया जाना चाहिये था, पानी एक सप्ताह तक 3 जुलाई से 10 जुलाई तक भरा रहा, लोग भूख से तड़पते रहे, लेकिन कोई राहत कार्य नहीं चलाया गया। समाजसेवी संस्थाएं और हम लोगों ने मिलकर भोजन की व्यवस्था की। सरकार की तरफ से एक आधे गांव में माननीय मंत्री वहीं के जिले के हैं, जहां पर उनकी खास रिश्तेदारी है एक दरदा गांव है उस गांव में सारी बोटे लगा दी इससे इतना भंयकर आक्रोश हुआ कि माननीय मुन्ना चौहान गये थे उन्होंने देखा जनता के आक्रोश को, किस तरह से उनका घेराव कर लिया था। मान्यवर, वहां का कमिश्नर बहुत ही काम कर रहा था, अधिकारियों के ऊपर बहुत दवाव था विजय शंकर पाण्डेय जी का इसी बीच उनका स्थानान्तरण करा दिया गया पता नहीं किन कारणों से। चित्रकूट मंडल के कमिश्नर के स्थानान्तरण से यह बात आई कि यह जो बाढ़ का पैसा टी0आर0-27 से निकाला जाने वाला है उसमें घपला करने के उद्देश्य से कमिश्नर का स्थानान्तरण करा दिया गया, यह भी आवाज है। आज भी लोग खुले आसमान में रह रहे हैं। तम्बू, बरसाती आदि की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जानी चाहिये थी, कपड़े की व्यवस्था की जानी चाहिये थी लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है यह विषय ही लोक महत्व का है। माननीय मंत्री जी राजस्व राहत कार्य यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है आपका बड़ा नुकसान हो रहा है इसलिये इसमें विशेष रूप से अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाना चाहिये और एक जांच कमेटी विधान सभा के माननीय विधायकों की बैठा दी जाय।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी तक मुझे नहीं मालूम कि आपने बाढ़ राहत कार्य के लिये वहां कोई पैसा भेजा है। अभी हमारे माननीय मंत्री श्री निषाद जी का कल ही अखबारों में बयान छपा था कि वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां जो प्रलयकारी बाढ़ है, आगे आने वाले समय में ऐसी वाढ़ न आये, इसके लिये बांदा शहर में तटबंध बनाये जायें। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि तटबन्ध न होने से बांदा शहर की 50 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। लोगों के घर डूब जाते हैं। कच्चे घर गिर जाते हैं ऐसी बाढ़ हर 5-10 साल में आना एक परम्परा सी बन गई है। मान्यवर बांदा शहर में लगभग डेढ़ लाख आबादी निवास करती है, इसको बचाने के लिये तटबंध अवश्य बनाये जाने चाहिये। इसके अलावा वहां जो बलियारपुर गंगऊ डैम है, इसकी जलधारण क्षमता का एक समिति द्वारा पुनः परीक्षण कराया जाना चाहिये। इसकी बहुत सी नहरें कट गई हैं, बांदा से निकलने वाली लिफ्ट कैनाल एलोना है, केन कैनाल है, इसमें काफी कटाव हो रहा है। जिससे आने वाले समय में रबी की फसल में किसानों को पानी नहीं मिलेगा। धान की फसल को पानी नहीं मिलेगा।

मान्यवर, केन नदी के किनारे छोटे-छोटे लघु सीमान्त किसान थे, जो उन्होंने सब्जी की फसल वोई थी, वह इस बाढ़ में बह गई। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। कम से कम 200 जानवर काल कवलित हो गये हैं, 20 लाशें बरावद हुई है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस विषय पर चेते और इसको देखे कि जो बाढ़ राहत का पैसा जा रहा है, उस पर जो लोग गिद्ध दृष्टि लगाये हैं, पी0आर0-27 के पैसे को खाने का मंसूबा न रखते हों, ऐसे लोगों को वहां भेजा जाय। विजय शंकर पाण्डेय, जो वहां कमिश्नर थे, निश्चित रूप से अधिकारी उनका भय मानते थे, उन्होंने भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया था, उनको वहां से हटा दिया गया मान्यवर, आपकी तरफ से सरकार को निर्देश जाना चाहिये कि जो वहां की प्रलयकारी बाढ़ है, वहां सुचारु रूप से राहत कार्य चलाये जायें और जो पैसा बाढ़ राहत में खर्च हों, उसमें भ्रष्टाचार न हो और उसका सदुपयोग हो सके। आने वाले समय में वहां नदी के किनारे तटवंध बनाये जायें, इसके अलावा वहां लोगों को ऊंचे स्थानों पर जमीन दी जानी चाहिये। चूंकि प्रशासन जमीन नहीं देता है, इसलिये लोग वहां पुनः नदी के किनारे बस्तियां बसा लेते हैं, 5-10 साल बाद जब पुनः बाढ़ आती है तो तमाम जन-धन हानि होती है। इसलिये ऐसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर जमीन दी जानी चाहिये। मैं अन्त में इन सब बातों पर जोर देते हुए आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जनता से जुड़ा मामला है, इसलिये सरकार इसमें चेते और कल्याणकारी नीति बनाकर बाढ़ राहत कार्य सुचारु रूप से चलाये, धन्यवाद।

श्री बाबूलाल कुशवाहा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। बांदा जिले में 13-14 साल के अन्तर से लगातार बाढ़ आ रही है। सबसे पहले 1977-78 में बाढ़ आई और उसके बाद 13-14 साल बाद 1992 में बाढ़ आई, उसके बाद वर्ष 2005 में आई उसका विशेष कारण यह है कि हमारे गरीब लोग नदी की तलहटी के किनारे मजबूरन बसते हैं। उनको ऊंचे स्थानों पर रहने के लिये जगह दी जाये। वह गरीब हैं, उनके पास धन नहीं है, मकान नहीं है, इसलिये मजबूरन उन्हें नदी की तलहटी में बसने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि गरीब लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको जमीन आवंटित

की जाय और उनके पास पैसा नहीं है उनको मकान दिया जाय। उनको इन्दिरा आवास आवंटित किये जायं। जानवरों के लिये भूसा-चारा नहीं है, आदमियों के खाने के लिये अनाज नहीं है, सब कुछ बरबाद हो चुका है, जानवरों के चारे की व्यवस्था की जाए और डाक्टरों द्वारा मौके पर जा करके दवाइयां नहीं दी गई हैं, इसलिये वहां महामारी फैल गई है। डॉक्टर वहां पर गांव में नहीं गये और किनारे टहलते रहे हैं। इसके लिये एक टीम बनायी जाए और दूसरी बात यह है कि वहां पर चारे की व्यवस्था की जाए। बाढ़ से जो नहरें कट गई हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। उनको जो टेंट-कनाते नहीं दी गई हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए टेन्ट-कनातों की व्यवस्था की जाए। जो सब्जी का व्यवसाय करने वाले लोग थे, तलहटी के किनारे उन्होंने सब्जी बो रखी थी, वह सब बरबाद हो गई है, उसका भी मुआवजा दे दिया जाए। मेरा अनुरोध है कि इस प्रलयकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिये सरकार राहत के उपाय करे।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बाढ़ जैसी समस्या पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। बिजनौर जिले में बाढ़ का इतना वेग आया हुआ है कि गंगा जी जो अपने पथ को छोड़ करके एक दूसरी छोटी नदी लहसी के पथ पर बह रही है। दस गांव जलमग्न हो गये हैं। जैसे-जैसे पानी का वेग बढ़ेगा, उन लोगों की झोपड़ी बह जायेंगी। बड़े दुःख का विषय है कि यहां पर सिंचाई मंत्री जी बैठे थे, उन्होंने इस ज्वलन्त समस्या पर एक भी शब्द नहीं कहा। मान्यवर, वहां पर धन की उपलब्धता चाहिए। मैं डी0 एम0 के पास गया था उन्होंने कहा कि वहां पर धन उपलब्ध नहीं है। डी0 एम0 ने कहा है कि यह पूरा क्षेत्र सेंचुरी एरिया में आया हुआ है, इसलिए मान्यवर, उन्हें राजस्व मंत्री द्वारा सहायता दी जाए, इन्हें अन्य जगहों पर बसा दिया जाए। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, उनके घर बह चुके हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी सहायता उपलब्ध करायी जाए। वहां राजारामपुर, देवलगढ़, चहलपुर जैसे दस गांव हैं, जहां पानी भर गया है। इस समस्या से पूरा प्रदेश प्रभावित है और इन बातों को सुनने के लिये यहां पर न सिंचाई मंत्री हैं और न ही सिंचाई राज्य मंत्री ही हैं। बिजनौर में माननीय सिंचाई मंत्री जी गये थे, वहां पर जो मुख्य बैराज है उसका तटबन्ध टूट रहा है, अगर तटबन्ध टूट गया तो बहुत ही गम्भीर समस्या खड़ी हो जायेगी। यदि तटबन्ध टूट जाता है तो गंगा जी मेन हाई-वे को तोड़कर बैराज में न जाकर ऊपर की ओर से निकल जायेंगी उससे हजारों एकड़ भूमि नष्ट हो जायेगी और उनमें रेता पट जायेगा। वहां जो नवल आदि गांव हैं जहां पर बंगाली लोग हैं, जो शरणार्थी रहे हैं, वह गांव बह जायेंगे, कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जायेगी माननीय मंत्री जी वहां पर गये थे लेकिन जहां कटान हो रही थी वहां तक नहीं पहुंचे केवल गेस्ट हाउस से लौट आये। 25 साल पुराना बैराज है, उसका नाम इन्द्रा गांधी बैराज से परिवर्तित कर दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के घरों में पानी भर गया है उनको कहीं अलग बसाने की व्यवस्था करें तथा उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दें। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि वहां पर 5 हजार मीट्रिक टन पत्थर उपलब्ध होना चाहिए ताकि जहां भी कटान हो वहां पर तत्काल पत्थर डलवाकर उस जगह को सुरक्षित कर दिया जाए। इस समय वहां पर मात्र 600 मीट्रिक टन पत्थर उपलब्ध है। वहां पर तटबंध कभी भी टूट सकता है

क्योंकि सीधा टकराव है तटबंध पर आ करके लग रहा है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि वहां पर गंगा नदी ने अपना पथ छोड़ दिया है और एक दूसरी नदी के पद पर बह रही है। मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आशा है कि वह कुछ न कुछ जरूर करेंगे और गरीब, बेवस लोगों को सहायता प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। मान्यवर, मानसून सत्र में एक परम्परा सी बन गयी है कि हम बाढ़ पर चर्चा करते हैं और बजट सत्र में सूखे पर चर्चा करते हैं लेकिन समस्यायें वही हैं उनका कोई निदान नहीं खोजा जा रहा है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर समस्याओं का स्थायी निदान नहीं ढूंढा गया तो यह समस्या यथावत बनी रहेगी और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग और प्रदेश के बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करती रहेगी। मेरा इस सन्दर्भ में अनुरोध है कि बांदा में जो बाढ़ आयी है वह प्रलयकारी बाढ़ है। इस प्रबन्ध को तीन टुकड़ों में बांटे तो मैं कह सकता हूं कि बाढ़ से निपटने के लिये 3 तरीके हो सकते हैं। एक दीर्घकालीन यानी लांग टर्म योजना, दूसरा शार्ट टर्म और तीसरा तात्कालिक। तात्कालिक योजना से मैं सहमत हूं। सरकार को तुरन्त बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना चाहिए। बाढ़ के बाद जो बीमारी आयेगी उसके लिये एक समिति बनानी चाहिए, एक स्कीम बनानी चाहिए जिसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग, तीनों मिलकर राहत कार्य में जुटें। माननीय चौधरी साहब बैठे हैं। दैवी आपदा के लिये उन्होंने कितने जनपदों में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी इसकी जानकारी सदन को दे देंगे। मान्यवर, दूसरी बात शार्ट टर्म प्लानिंग के सम्बन्ध में है। कहीं-कहीं कुछ काम अधूरे हैं। जो बंधे बनने थे और जल निकासी के काम थे वह सरकार के बदल जाने से उनकी प्राथमिकतायें बदल गयी हैं। मैं चाहता हूं कि बाढ़ से बचाने के लिये ऐसे कामों को लिया जाय। बाढ़ के लिये कहां पर कच्चे बंधे बनाने हैं या पक्के बंधे बनाने हैं इस पर विचार करने के लिये एक समिति बनानी चाहिए जो निरन्तर विचार करे और बाढ़ से बचाव के लिये इंतजाम हो सके। इसी तरह दीर्घ कालीन योजनायें हमें बनानी पड़ेंगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पर दो तरफ से मार पड़ती है। पूर्वान्चल नेपाल से आने वाले पानी से प्रभावित होता है। नेपाल के साथ यह समस्या 15-20 सालों से चली आ रही है। वहां कुछ बंधे ऐसे हैं जिनको नेपाल को बनाना चाहिए लेकिन नेपाल नहीं बना रहा है। जब पानी की जरूरत होती है तब वह पानी इस्तेमाल करता है और जब सिंचाई के लिये पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आजकल, तो वह पानी को छोड़ देता है जिससे वह पानी हमारे यहां आता है और तबाही तथा बरबादी होती है।

पूर्वान्चल में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण नेपाल से आने वाला पानी है। इसलिये नेपाल और हमारे देश को जो बैराज बनाने हैं उनको बनवाया जाय और अधूरे काम को पूरा कराया जाय। एक चिंता को सभी उठा रहे हैं कि पानी की सतह नीचे गिरती जा रही है। वाटर लेविल नीचे गिरता चला जा रहा है, इसको बाढ़ से जोड़ा जा सकता है। जो पानी बहकर चला जाता है उसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

जलप्रबन्धन करके ऐसे पानी को गांव में रोका जाना चाहिए जिससे बाढ़ नहीं आयेगी। गांवों में जो तालाब तथा पोखर थे वह आज समाप्त होते चले जा रहे हैं, हमें उन तालाबों को और पोखरों को बचाकर रखना होगा। इनमें जो पानी संचित होता था उससे वाटर लेविल ठीक रहता था। गांवों में कच्चे मकानों के लिये जो गड्ढों आदि से मिट्टी निकाली जाती थी उनमें पानी संचित होता था। जो तालाव थे उनमें खेती हो रही है और मकान बनते जा रहे हैं इसलिये वर्षा का पानी रोका नहीं जा पाता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह पानी बहकर बेकार चला जाता है और यही पानी बांदा, इलाहाबाद ओर पूर्वान्चल में तबाही मचाता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दलगत भावनाओं से उठकर उत्तर प्रदेश में जल प्रवन्धन के बारे में गम्भीरता से सोचें, नहीं सोचेंगे तो क्षमा करेंगे कि राजस्थान का बढ़ता हुआ रेगिस्तान आज फतेहपुर सीकरी और आगरा की जमीन तक आ गया है। आगे वह दौर आयेगा जब यह रेगिस्तान बढ़कर प्रदेश के बड़े हिस्से में आ जायेगा। आज जल प्रवन्धन के बारे में सोचना होगा। जल प्रबन्धन पर गोष्ठियां हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे और तमाम रास्ते बताये जा रहे हैं लेकिन उस पर अमल करने की आवश्यकता है। जल प्रवन्धन करके, पानी की रीचार्जिंग करके पानी की सतह जो नीचे गिरती जा रही है उसको ऊपर उठाया जा सकता है। मेरा मानना है कि जो पानी पहले गांवों में इकट्ठा होता था उसके इकट्ठा न होने और बाढ़ आने में सीधा सम्बन्ध है। इस पानी को रोककर बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। अभी कानपुर में बाढ़ आयी और पचासों गांव जलमग्न हो गये। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसका कौन जिम्मेदार है। क्या मालूम नहीं था कि पानी कहां तक जायेगा और बैकलाग कहां तक जायेगा। जो लोग लो एरिया में थे उनको हटाया नहीं गया। यह प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का मामला नहीं है इसमें जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। यह बाढ़ सिर्फ चर्चा का ही विषय नहीं है। इस पर कम से कम एक प्रदेश व्यापी नीति की घोषणा होनी चाहिए। जब तक जल प्रबन्धन नहीं करेंगे, दीर्घकालीन, लघुकालीन और तात्कालिक इन तीनों को मिलाकर बाढ़ पर एक राष्ट्रीय नीति बने। कम से कम प्रदेश की नीति जरूर बने इसकी मैं मांग करता हूं व बाढ़ से जो बुन्देलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश या कानपुर के पीड़ित लोग हैं सरकार उनकी सहायता करे यह न बताएं कि संसाधन की कमी है उनको मदद देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट)

वास्य सहायतित परियोजना अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)--

अधिष्ठाता जी, जो बांदा जनपद में केन नदी की बाढ़ से तबाही हुई है और उस सम्वन्ध में जो चर्चा हो रही है जिस पर प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाए हैं उस सम्वन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी व जिला प्रशासन ने काफी तत्परता से लोगों को बचाने का काम किया है। दो तारीख को सूचना मिली उसके बाद तुरन्त ही निचले क्षेत्र में जो गांव थे ऐसी सब जगहों पर लाउडस्पीकरों से मुनादी करा दी गई और हजारों की संख्या में लोगों और पशुओं को बाहर निकालने का काम किया गया। कुछ लोग जो ऊंचे पर थे जिनके पक्के मकान थे

ऐसे लोगों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। उनको बार-बार जिला प्रशासन द्वारा कहा गया लेकिन जिला प्रशासन ने सहायता कार्य में हर जगह तत्परता दिखाई। जहां तक जिला प्रशासन की बात है 93 नावें लगा दी गईं पी0ए0सी0 बुला ली गई सेना भी बुलाई गई। जो मौतें हुईं वह पी0ए0सी0 की एक बोट पलटने से हुई जिसमें 19 लोग बह गए। जो लोग पेड़ों पर चढ़े थे उनको बचा लिया गया। जहां-जहां बाढ़ थी सब जगह मोटर बोट व नावों की व्यवस्था की गई। सेना के जवान सब जगह लगे थे। हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भेद भाव दिखाई देता है यह उस समय कहां थे। जब जिला प्रशासन व समाजसेवी लोग लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। उस समय नेता नगरी नहीं दिखाई दी। जब हम लोगों को बचाकर ले आए उसके बाद राहत शिविरों में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतागिरी करने पहुंच गए। हमने हर परिवार को 40 कि0 आलू, चावल, माचिस, मोमबत्ती व अन्य चीजें उपलब्ध कराई। जो विजय शंकर पाण्डे के ट्रान्सफर की बात है इस सम्बन्ध में कहना है कि बाढ़ आने के बाद वह मौके पर नहीं गए फिर यह तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको कहां पर तैनात किया जाय। भाजपा और बसपा के लोगों को भी बाढ़ जैसी आपदा में तत्काल राहत कार्य में लगना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। समाज सेवी संस्थाओं और हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी जगह भोजनालय खुलवाकर लोगों के लिये खाने की व्यवस्था की। सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे अधिकारी गांव-गांव जाकर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं और यह लोग तो केवल राजनीतिक रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं।

श्री मुकुट विहारी वर्मा-

मान्यवर, बहराइच नेपाल से लगा हुआ जनपद है। नेपाल की नदियां यहां बाढ़ की तबाही मचाती हैं। बहराइच में गेरूआ, कौड़ियाला, राप्ती, घाघरा, सरयू नदियां हैं। मान्यवर, 1978 से लेकर आज तक प्रदेश में जितनी बार बाढ़ आई है बहराइच उसमें अछूता नहीं रहा है। जब 59 जिलों में बाढ़ आई थी तो उसमें बहराइच था और जब 9 जिलों में बाढ़ आई थी तो उसमे भी बहराइच था। इस प्रकार से बहराइच अनवरत बाढ़ग्रस्त जिला है। मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि भारत सरकार का समझौता होने के कारण नेपाल से जो पानी आता है वह 14 हजार क्यूसेक पानी जनपद बहराइच में आता है। यह पानी 9 फ्रीक्वेंसी में आने के लिये कहा गया है। हमने आग्रह किया है कि अगर यह पानी 9 फ्रीक्वेंसी में आयेगा तो आप बाढ़ की तबाही रोक नहीं पायेंगे इसलिये प्रशासन और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि आप उनसे इसको 16 फ्रीक्वेंसी में छोड़ने के लिये कहें और शायद यह बात मान ली गई है। मान्यवर, हालत यह है कि दो फ्रीक्वेंसी में ही इतना पानी आ गया है कि 12 गांव बह गये। मेरा आग्रह है सरकार से कि जब यह आपके संज्ञान में है कि इतना पानी नेपाल से आयेगा गेरूआ, राप्ती, काली, सरयू नदियां जो वहां से आकर यहां बहती हैं। इतना पानी हम बर्दाश्त करने के लिये सक्षम नहीं हैं, इससे बाढ़ आ जायेगी तो उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप पानी 3-5 फ्रीक्वेंसी में नहीं 15-20 फ्रीक्वेंसी में रूक-रूक कर छोड़िए जिससे हम बाढ़ से बच सकें। जब उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में बाढ़ आई थी तो बहराइच उसमें था। सरकार की तरफ से बाढ़ को रोकने के लिये कोई सक्षम तैयारी नहीं की गई है। यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण की जो संस्था है उसके जो अधिशासी अभियन्ता हैं उनको बहराइच में बैठना

चाहिए लेकिन उनका कार्यालय बहराइच से गोण्डा और गोण्डा से बहराइच स्थानान्तरित होता रहता है। कोई साल ऐसा नहीं बचता जब उनके कार्यालय के ट्रान्सफर की कुश्ती न लड़ी जाय। कुश्ती लड़कर यह करना क्या चाहते हैं ? बाढ़ रोकने के लिये, घाघरा कटान को रोकने के लिये जो पैसा जाता है वह कहां से नियंत्रित हो ? कौन से ठेकेदार को दिया जाय इसी चिन्ता में लगे रहते हैं। प्रदेश की गरीब जनता का, बहराइच के गरीब किसान जो मड़ई में रहता है, अपने जानवरों को चारा नहीं दे पाता, अपने बच्चों के लिये कुछ नहीं कर पाता, तड़प-तड़प कर मर जाता है, उसके लिये कुछ नहीं करते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए और कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो कि एक गम्भीर समस्या है. बाढ़ आने के बाद तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं और फिर पता चला कि स्वास्थ्य संस्थायें इन तमाम तरह की महामारियों से निपटने के लिये काम कर रही है और उसी बीच एक पर एक और बीमारी आ जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके लिये एक स्थायी व्यवस्था बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में होनी चाहिए। बाढ़ का क्षेत्र तो इंडीकेट है इसलिये वहां पर इस तरह की व्यवस्था युक्त संस्था होनी चाहिए जो बाढ़ के बाद की महामारियों जैसे-फाइलेरिया, मलेरिया, पीलिया, डायरिया जैसे रोगों की जांच के लिये जो उपयोगी उपकरण हैं, उनकी व्यवस्था करके रखें। कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाएं होती हैं लेकिन उनके पास इस तरह के उपकरण मौजूद नहीं। बौड़ी जो अभी बाढ़ से कटा है, जहां पर पुराना किला था, उसमें शिक्षण संस्थाएं थीं अभी हमारे कई मंत्रियों ने दौरा किया। तीन साल से बौड़ी अनवरत कट रही है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो बांध बनाए गए हैं वह ऐसे स्थान पर बनते हैं जब दूसरी बार बाढ़ आती है तो उनको काट डालती है। तो स्थायी बांध बनने चाहिए। सरकार को स्थायी रूप से इसका निदान सोचना चाहिए।

*डा0 धर्म सिंह सैनी-

धन्यवाद, आपने मुझे ऐसे गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र सरसावां में शिवाली पर्वत से यमुना नदी आती है जो तूफान मचा देती है। 1978 में उसने इसी तरह का तूफान मचाया था। बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई थी तब से आज तक फिर कुछ नहीं हुआ लेकिन पिछले दस दिन पहले इतनी बड़ी बाढ़ आई कि कई ट्रक, ट्रैक्टर बह गए। ताजीवाला से नीचे बांध बना है। सौंध्यवासं, गाजदीनपुर, छोटी भूड़, बड़ी भूड़ में बाढ़ आ रही है। मुझे सुबह नौ बजे टेलीफोन से मालूम हुआ तो मैंने जानकारी की, पता लगा फलां-फलां गांव में बाढ़ आई हुई है वहां कोई अधिकारी नहीं गया। मैंने एस0डी0एम0 से जानकारी की, तो पता लगा कि सिंचाई विभाग वालों को सूचित कर दिया गया है। आज 11.00 बजे तक 20 तारीख तक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। मान्यवर, वहां पर हरियाणा की सीमा में गांव पड़ते हैं जो क्षेत्र हरियाणा की सीमायें पड़ती हैं उस गांव में हरियाणा की सरकार राहत कार्य पहुंचा रही है। दस बारह गांव सरसावां में पड़ते हैं सभी इस बात से दुखी हैं कि हरियाणा की सरकार अपने गांवों के लोगों को बचाने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी आज तीन दिन हो गए आकर नहीं झांका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। आज सुबह 11 बजे तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि गरीब लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं। बीच में बड़ी जमुना पड़ती है जमुना पार करने में बहुत दिक्कत होती है वहीं राहत कार्य जो वहां हो रहे हैं वह स्थानीय लोगों के द्वारा कराये जा रहे हैं। शासन का कोई कर्मचारी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। ढिक्का, टपरी, हुसैनपुर, मधोर, टावर, नारायणपुर, नसरुल्लागढ़, रानीपुर, परसी की जमीन बह गई। धान की फसल बह गई। जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। उन लोगों के लिए इंदिरा आवास आदि मकान बनवाने का कार्य करें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शारदा नदी बाढ़ से सैकड़ों एकड़ जमीन कटती है। हजारों लोग बरवाद हो जाते हैं। विगत दिनों शारदा नदी की बाढ़ ने तबाही मचा दी है कई दिन आवागमन बन्द रहा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 7 परियोजनाएं बाढ़ से बचाव के लिए पूरनपुर निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत हुई थी, 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी हो गयी थी और नवम्बर में कार्य भी शुरू हो गया था। डेढ़ महीने पहले मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी और प्रमुख सचिव, सिंचाई को एक शिकायती-पत्र दिया था कि 18 करोड़ रुपये को पूरी तरीके से खाने-पीने की साजिश चल रही है इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए और उच्च स्तरीय कमेटी भेजकर जांच करायी जानी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने यह चिन्ता जताई थी कि वर्षा का पानी आने से पहले ही इस पर कार्यवाही हो अन्यथा सारे अधिकारी कह देंगे कि बाढ़ आई और सारी ठोकरें बह गयीं तथा सरकार की संवेदनहीनता के बारे में बताना चाहता हूं, डेढ़ महीने पहले मैंने शिकायत की थी, अभी 6 दिन पहले सिंचाई विभाग से मुझे एक पत्र मिला है कि आपने ही यह शिकायत की है या नहीं। शारदा में पानी आ गया है और सैकड़ों एकड़ जमीन कट गयी है तथा उस 18 करोड़ रुपये को खाने-पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है। उन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बारे में तत्काल कोई प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए और जो पत्र मुझे सम्परीक्षा की तरफ से गया था, एक सप्ताह पहले उसकी पुष्टि भी मैंने कर दी है कि मेरे हस्ताक्षर से ही शिकायत की गई है। वहां जो बेस देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है, जिनको एक-दूसरे से लिंक करना चाहिए था, उसे नहीं किया गया है, वह अलग-अलग पड़े हैं। जिस मानक के पत्थर पड़ने चाहिए थे, बड़े पत्थर पड़ने चाहिए थे, वह नहीं किया गया है बल्कि छोटे-छोटे पत्थर डाले गये हैं। यह सब खाने-पीने की व्यवस्था है, उस पर मेरा गम्भीर आरोप है और इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें जो अधिकारी दोषी हैं, उन सभी को तत्काल निलम्बित करके उनकी जांच कराई जाए और 18 करोड़ रुपया जो वहां के इंजीनियर, जे0ई0 और ठेकेदारों ने खाया है, मैं मांग करता हूं कि उसकी रिकवरी सम्बन्धित अधिकारियों से की जाए। यहां पर राजस्व मंत्री जी भी बैठे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीनें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस साल बाढ़ से कटी हैं या पिछले साल बाढ़ से कटी थी, उन लोगों के आवास की व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं जमीन आवंटित होनी चाहिए। मान्यवर, जो टांस का क्षेत्र है, 5 निर्वाचन क्षेत्रों से होकर वहां जाना पड़ता है, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जो स्टीमर बाढ़ से बचाव के लिए है, उसको जंग खा रहा है। सिंचाई विभाग का वह स्टीमर शारदा नदी में न होकर तहसील में पड़ा जंग खा रहा है, उसे ठीक करा कर वहां भेजा जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति आए तो उससे जानमाल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैंने जो बिन्दु उठाया है उनकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों से उस पैसे की रिकवरी हो। इसके साथ ही एक बार पुनः आपको धनयवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री घूरा राम-

मान्यवर, बलिया की जो भौगोलिक स्थिति है और पश्चिम से जो बाढ़ आती है।

श्री अधिष्ठाता-

एक बात सुनिए इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चर्चा में बोलने का अवसर मिला है तो इसमें व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो गया ?

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। मैंने पाल साहब से निवेदन किया और उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी। मान्यवर, मैं कानपुर महानगर तक सीमित रहूंगा। मान्यवर, कानपुर महानगर में जब गंगा बैराज बना तो उस समय उससे सम्बद्ध अधिकारियों, इंजीनियरों को इस बात की जानकारी थी और मुझे बताया गया कि जब गंगा मे पानी बढ़ेगा तो गंगा की धारा नए सिरे से बहेगी और पानी घाटों के ऊपर आ जाएगा और वहां पर किनारे बनी बस्तियां प्रभावित होंगी। उसके बाद भी उन बस्तियों में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं की गयी। स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि जिस रोज थोड़ा सा पानी बढ़ता और एक बस्ती बह जाती। फिर भी शासन की आंख नहीं खुली और शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। विभीषिका यहां तक बढ़ गयी कि सेना को बुलाना पड़ा, सेना की मदद लेनी पड़ी और सेना की मदद से कुछ लोगो को बाहर निकाला गया। सेना का काम समाप्त हो गया और वह अपने बैरकों में वापस चली गयी और प्रशासन भी अपने बैरकों में वापस चला गया। अगले दिन फिर थोड़ा पानी बढ़ा और फिर एक बस्ती बह गयी। माननीय मंत्री जी वहां गये और उन्होने अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की क्योंकि वह उनसे कुछ नाराज थे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह जिन अधिकारियों पर नाराज थे तो उन्होंने उनमें से कितने अधिकारियों पर कार्यवाही की और अगर कार्यवाही नहीं की तो या तो आपकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाराजगी गलत थी या उनका काम सही था। अगर आपके नाराज होने के बाद भी बाढ़ की विभीषिका वही बनी रहेगी तो मैं समझूंगा कि आप सरकार और वहां की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मै ज्यादा बोलना नहीं चाहता इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह वहां पर रहने वाले सैकड़ों प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करें अन्यथा और भी सैकड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जो लोग मंदिरों, धर्मशालाओं में रह रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। सामाजिक संस्थाएं तो मदद कर रही है लेकिन सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ताकि उनकी संवेदनशीलता से प्रभावित लोगों को कुछ लाभ हो। जो कुछ भी मैंने आज यहां कहा है इस पर अगर सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाकर कोई कदम उठाती है और प्रभावित लोगों को राहत देती है, जो कुछ भी होगा वह मैं 25 तारीख को बता दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सतीश महाना जी, कृपया सरकार का उत्तर भी तो सुनकर जाएं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार का उत्तर हर बार एक ही रहता है। उससे आप जितने संतुष्ट होते हैं उससे कम मैं नहीं संतुष्ट होता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यन्त संवेदनशील विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आपने आदरणीय सतीश महाना जी के लिए कहा कि वह जा रहे हैं। उन्होने कानपुर महानगर की समस्याओं का उल्लेख किया और अब यह माननीय मंत्री जी और सरकार का दायित्व है कि वह इसका समाधान करे और हमारा दायित्व यह है कि हम अपनी जनता की समस्याओं का उल्लेख करें। वैसे यह दायित्व हमारे सदन में इसे उठाने से पहले सरकार का होता है कि वह इसको दूर करे। मान्यवर, आप स्वयं भिज्ञ है कि जो भी बंधे होते हैं उन बंधों के रख-रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जो फील्ड में अभियन्ता हैं उनके द्वारा 15 जून तक बन्धों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जायेगा और उसका सर्टीफिकेट शासन में दे देंगे क्योंकि मान्यवर, 15 जून तक मानसून आ जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर इस अवधि तक बन्धों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया गया और पानी बरस गया तो बन्धों की कटान की स्थिति कभी भी हो सकती है। सौभाग्य से माननीय मंत्री जी फैजाबाद के ही हैं। मान्यवर, जो लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, गोहाटी मार्ग है जो आसाम तक जोड़ने वाला मार्ग है, उसमें कटान प्रारम्भ हो गई है, जिस समय यह डी0 डी0 बांध कट गया तो निश्चित तौर से लखनऊ से गोहाटी तक का रास्ता बन्द हो जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ स्वयं मंत्री जी वहां गये थे और इसको देखने के बाद उन्होंने स्वयं अधिकारियों को फटकार लगाई थी, इसका तात्पर्य यही है कि जो अधिकारियों का दायित्व है, उसका पालन उन्होंने नहीं किया। मान्यवर, यह कार्य उन्हें मार्च-अप्रैल और मई तक कर लेना चाहिये था, लेकिन नहीं हुआ। मान्यवर, उस कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इसका जवाब दे देंगे। मान्यवर, घाघरा और सरयू उफान पर है और बांध कटने की स्थिति में है, अगर इस समय वहां बोल्डर नहीं डाले गये तो निश्चित तौर से बांध कट जायेगा और वहां आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ जायेगी। अगर बाढ़ के समय बोल्डर डाले जायेंगे तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, हां उस समय यह अधिकारियों और अभियन्ताओं के पैसा कमाने और कमीशन खाने का जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन उससे बाढ़ रोकने के नाम पर कोई लाभ नहीं होगा। मान्यवर, कानपुर और पीलीभीत की स्थिति के बारे में पूर्व में उल्लेख किया ही गया गया है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा बहराइच, सिद्धार्थनगर और नेपाल के आस-पास का क्षेत्र प्रभावित है।

मान्यवर, नेपाल में करनाल नदी और जलकुण्डी नदी है, जहां इनमें पानी बढ़ जाता है, वह पानी छोड़ देते हैं, जिससे नेपाल के नजदीक के जो जिले हैं, उनमें बाढ़ की सम्भावना बढ़ जाती है। आज सिद्धार्थनगर जिला कट गया है। आज बांसी से नौगढ़ का रास्ता बन्द है, नौगढ़ से सोहास का रास्ता बन्द है। सिद्धार्थनगर की स्थिति बहुत खराब है। बांसी, पनघटिया, करछुरिया आदि की स्थिति बहुत बुरी है। आज बूंदी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिसे खुद जिलाधिकारी ने माना है, उन्होंने कहा है कि 25 गांव प्रभावित है, लेकिन कम से कम सैकड़ों गांव महरूम हैं उन्हें राहत कार्य के नाम से कुछ नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, प्रति वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण अरबों रुपये की फसल का नुकसान होता है और एक फसल तो हम लोगों की चली ही जाती है, तो इस समस्या के समाधान के लिये प्रदेश सरकार को पहल करनी है। इसके पूर्व हीं हम उल्लेख कर चुके हैं, अगर प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को लेकर नहीं जायेगी भारत सरकार या नेपाल सरकार के पास, अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो इन इलाकों के किसान बरबाद हो जायेंगे उनकी फसलें बाढ़ से प्रभावित होती रहेगी। आज सिद्धार्थनगर के जो गांव हैं, चाहे इटवा हो, बांसी हो भगौती पुरवा, ब्रह्मा पुरवा और गौरी गांव आदि सारे गांव महरूम हैं आज इन गांवों की स्थिति ऐसी बन गयी है कि शोहरतगढ़ बढ़नी मार्ग पर भी आवागमन बन्द है। आज सिद्धार्थनगर की जितनी प्रमुख सड़कें है। उन पर पानी बह रहा है वहां की जो नदियां हैं यह सारी नदियां खतरे की निशान से ऊपर बह रही हैं आज सिद्धार्थनगर की स्थिति बहुत खराब है। इस समय इसमें जो तत्काल कार्यवाई चलायी जानी चाहिये वह रिलीफ कार्यवाई नहीं हुई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं आज गोरखपुर में सौहगरवा में आपने मीटिंग ली वह भी बांध कटान के खतरे में हैं। गोरखपुर में भी कटान शुरु हो गया है। यह मैं केवल इसलिये उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ जायेगा और इनके विभाग के संज्ञान में आ जायेगा क्योंकि बंधे की कटान में बहुत गांव बच नहीं पायेंगे इसलिये समय रहते माननीय मंत्री जी निर्देश देंगे और उनके विभाग के विभागीय अधिकारी निरीक्षण पर जायेंगे। मान्यवर, मेरी भी सरकार थी उस समय बाढ़ आती थी तो मुख्य अभियन्ता कैम्प करते थे दिन में काम होता था, रात में काम होता था। आज कटान की स्थिति कई जनपदों में है, कानपुर में है, आपने देखा है कि पिछले दिनों कितने गांव खाली करा लिये गये। कानपुर का कटनी इलाका है, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर का इलाका है। जहां-जहां पर कटान शुरु हुई है और जहां-जहां बांधों पर खतरा उत्पन्न हो गया है उसमें समय रहते शीघ्र कार्यवाई करायें। गोरखपुर कटारा मार्ग पर कौन सी कार्यवाही करेंगे। खुद मंत्री जी देखकर आये हैं। समय रहते बांध की मरम्मत और रखरखाव

की जिम्मेदारी थी और नहीं की गयी तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, उसकी भी सदन में घोषणा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पहले तो मैं यह निवेदन कर लूं कि तीन बजने में पांच मिनट बाकी थी तब यह चर्चा शुरू हुई थी डेढ़ घंटे के लिये यह स्वीकृत है 4.30 बजे तक इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सब लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है इसलिये उतना समय छोड़कर अवसर देंगे और पहले जिनकी तरफ से चर्चा है उनको अवसर मिलेगा।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन्, माननीय सिंचाई मंत्री जी को और मुझे दोनों लोगों को सरकार की बात रखनी है और यह बात ध्यान में रखकर कि 4.30 बजे से हियरिंग है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मुझे भी जल्दी जाना है।

मान्यवर, इस पूरे प्रदेश में जो बाढ़ की विभीषिका है उससे पूरा प्रदेश चपेट में आ गया है और मुख्य रूप से केन नदी, गंगा नदी और साथ ही साथ घाघरा, राप्ती नदियों में पानी तेजी से बढ़ा है। मुख्य रूप से केन नदी से बांदा जिले को बहुत भारी नुकसान हुआ और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की एक टीम भी भेजी थी जिसमें दद्दू प्रसाद, बाबू लाल कुशवाहा, आर0 के0 सिंह पटेल जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं मौके का मुआयना करके आये थे। जो बाढ़ की विभीषिका से वहां त्रासदी आई है वह बहुत ही सोचनीय है और साथ ही साथ उसमें सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह बाढ़ अधिकारियों की गलती की वजह से आई। गंगऊ बांध, रनगवां बांध और बरियापुर बांध मध्य प्रदेश में स्थित हैं, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वहां पर न कोई अधिशासी अभियन्ता रहता है, न कोई सहायक अभियन्ता रहता है, केवल चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा यह संचालित होता है, इसीलिये हजारों क्यूसेक पानी छोड़ दिये जाने के कारण हजारों एकड़ क्षेत्र प्रभावित हो गया। मान्यवर, बांदा शहर के कंचनपुरवा, खुटला, निमनीपुर, रहुनियां, छोटी बाजार, मर्दननाका, शम्भूनगर, केवटरा, खांईपार, छावी तालाब, बलखंडी नाका, लोहार कलइया, लाला भईया का अखाड़ा, यह सब शहर के क्षेत्र प्रभावित हुये हैं। इसके अलावा बांदा जिले के जो गांव प्रभावित हुये हैं, उसमें निहालपुर, माधोपुर, गोविन्दपुर, रामौल, बरियारी, मऊ, खानपुर, कोलावलरायपुर, स्योढ़ा, गिरवां, काजीपुर, मड़इयन, मुरादपुर, कहला, गंछा, गोड़ीवावा, हटेटीपुरवा, भूरागढ़, कनवारा, भुरेंडी, त्रिवेनी, बोधीपुरवा, छोटापुरवा, अछरोड़, मोहनपुरवा, उजरेहटा, दरदा, पथरी, पचुल्ला, छेतरांव, पिपरी, अलोना, अमलोर, खपटिहा, पैलानी, पैलानीडेरा, गड़रिया, जसपुरा, रेहुंटा, सांड़ी, खेरई, डिंघवट, लुकतरा आदि है, यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब देहात के क्षेत्र हैं। इसी तरह से जनपद हमीरपुर का भी कुछ इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है। इसके गांवों में बकछा, छानी, कैथी, खैर, मरौली आदि हैं। यहां की बाढ़ से सब्जी की फसल पूरी तरह चौपट हो गयी है, कच्चे मकान ढह गये हैं, सैकड़ो लोग वह गये, अभी तक 20 लाशें बरामद हो चुकी हैं, इसके अलावा 200 जानवर बह गये। इस बाढ़ की त्रासदी का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है। इस समय मान्यवर, बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, तम्बू आदि की व्यवस्था नहीं की गयी है । जीवनरक्षक दवायें उपलब्ध न होने से महामारी फैल रही है । पेयजल संकट व्याप्त है। इसके बाद मान्यवर, कानपुर में गंगा नदी की बाढ़ से कल्लू का पुरवा और रानीघाट के सामने सरजूपुरवा में भारी तबाही हुयी है। यहां भी नरोरा बांध से 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था उसके बाद दुबारा 1.25 लाख क्यूसेक पानी 15-7-05 को छोड़ा गया था जिस कारण यह बाढ़ का तांडव देखने को मिला।

इसके अलावा जनपद बहराइच में घाघरा उफान पर है, कटाव से बचाने के लिये बने बेलहा-बेहरौली तटबंध के 49वें कि0मी0 पर बने स्पर को भी घाघरा ने अपने निशाने पर ले लिया है। बौंडी क्षेत्र के गोतागंज के उत्तरी छोर पर 40 एकड़ कृषि योग्य जमीन जलमग्न हो गयी है। इसी प्रकार श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी में अचानक बाढ़ आने से दर्जनों गांव जलमग्न हो गये हैं। इस कारण इन गांवों का जनपद से सम्पर्क कट गया है। बहराइच जमुनहा मार्ग पर 1 कि0मी0 सड़क जलमग्न हो गयी है और यातायात पूरी तरह डप है। वहां के कलेक्ट्रेट में ढाई मीटर पानी भरा हुआ है। जनपद बलरामपुर में हैगहा, गोरिया, खरझार, खैर, भांभर आदि पहाड़ी नालों के कारण उफान की स्थिति है। महराजगंज तराई-ललिया मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध है। इसके अलावा गोंडा में घाघरा और सरयू उफान पर हैं। अयोध्या में सरयू और कन्नौज में गंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है और बाढ़ का कहर जारी है। जनपद मऊ में घाघरा नदी की बाढ़ से दोहरी घाट बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसके अलावा रामजानकी मंदिर, दुर्गामंदिर, शाही मस्जिद, मई मन्दिर और धरोहरें कटान की चपेट में है मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्थाएं हैं, वह ठीक नहीं हैं। बाढ़ पीड़ितों की बदहाल हालत यह है कि वह लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए तम्बू-कनात की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। उन्हें जीवन-रक्षक दवाए उपलब्ध नहीं करायी गई हैं, उनके लिए तत्काल राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन वह नहीं की गई। उसके साथ ही साथ जो थोड़ा-बहुत सहायता कोष गया भी तो उसका भेदभावपूर्ण तरीके से बंटवारा किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि बाढ़-पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता,खाने-पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, मिट्टी के तेल की व्यवस्था, तम्बू-कनात की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। बाढ़-पीड़ितों को पुनर्वासित कराने के लिए ऊंचाई वाले स्थान पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराकर इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाएं। मेरी अगली मांग यह है कि बांदा नगर को बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारे पक्की पिचिंग व रिटेनिंग-वाल का निर्माण कराया जाए, महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं। इसके साथ ही साथ जहां पर मौतें हुई हैं वहां पर एक-एक मृतक आश्रित परिवार को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मेरी अगली मांग यह है कि हमारे बलिया के दो-दो माननीय मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बलिया की बात घूरराम जी को कह लेने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ठीक है,धन्यवाद।

श्री घूरा राम-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ जैसी समस्या पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम लोग आपकी पीठ से ही सीखते हैं, इसलिए अगर मुझसे कोई गलत बात निकल आये तो क्षमा कीजिएगा। मान्यवर, आज बाढ़ की बहुत भीषण परिस्थिति है। उत्तरांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से नदियां चल करके आती हैं और बलिया पहुंचती हैं। मान्यवर, बलिया की भौगोलिक स्थिति यह है कि वह तीन ओर से बड़ी-बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। गंगा, घाघरा और टोंस बड़ी नदियां है, इसके अलावा छोटी नदियां भी कई हैं। यह नदियां जब पश्चिम से, उत्तरांचल से, मध्य प्रदेश से चल करके आती है तो बलिया में आती है और बलिया के आठों विधान सभा क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। यहां पर प्रमुख सचिव भी बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया, दर्शक-दीर्घा का संज्ञान न लें।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, ठीक है। उत्तर से पश्चिम से यह नदियां आती हैं और जब लास्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया में पहुंचती हैं तो बड़ी तबाही मचा देती हैं, और सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। बलिया में बड़े-बड़े ताल हैं जहां पर भीषण बाढ़ें आती हैं और उनसे हजारों-हजारों किसानों तथा गरीब लोगों के घर डूब जाते हैं। मान्यवर, हमारे यहां रसड़ा में टोंस नदी का इतना कटान होता है कि सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। रतनपुरा ब्लाक में गाड़ा का ताल है, वहां पर इतनी बाढ़ आती है कि राधा बांध टूट जाता है। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने इसके लिये 4 करोड़ से ऊपर की धनराशि स्वीकृत करने का काम किया था लेकिन उस नाले को पक्का नहीं बनाया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इसे पक्का कराया जाये।

*श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बाढ़ जैसे ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिये मुझे आमंत्रित किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। बाढ़ पर सुबह से चर्चा लगी हुई थी, सभी माननीय सदस्यों को जानकारी थी कि बाढ़ जैसे गम्भीर मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन विपक्ष इस विषय पर कितना गम्भीर है उनकी संख्या देखकर पता लगता है।

श्री अधिष्ठता-

आप विपक्ष की बात न करें, सत्तापक्ष की भी गम्भीरता दिख रही है। रिजवी साहब आप अपने क्षेत्र की समस्या रखें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, बलिया जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तर में घाघरा नदी, दक्षिण में गंगा नदी है। अभी गंगा नदी में बाढ़ आयी थी लेकिन दो-तीन दिन के अन्दर ही बाढ़ थम गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बलिया बिल्कुल लास्ट का जिला पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश में जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तब भी बलिया में बाढ़ की विभीषिका चलती रहती है। अभी जब बलिया में बाढ़ आयी तो मैं आभारी हूं सिंचाई मंत्री जी और प्रमुख सचिव जी का कि तत्काल टेलीफोन करने के बाद आपने गोरखपुर में आजमगढ़ और गोरखपुर मण्डल के सारे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया और वहां पर विस्तार से चर्चा हुई और योजना भी बनायी गयी और बाढ़ को तुरन्त नियंत्रण में किया गया। मैं अपने इलाके की विशेष रूप से बात करना चाहता हूं और सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इलाका सिकन्दरपुर घाघरा नदी के किनारे है। बिहरा से लेकर लौकागांव सुल्तानपुर चक्की आदि तक कई गांव कटान की चपेट में आ गये हैं। हमारे क्षेत्र के ऐतिहासिक टी0 एस0 बंधे की स्थिति बहुत जर्जर है। अगर बधा कटता है तो बाबा बालखण्डी का भव्य मंदिर, मौनी बाबा का आश्रम जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां पर मेला लगने वाला है, वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वह भी प्रभावित हो जायेगा। इसी के साथ ही जंगली बाबा का आश्रम, खाकी बाबा का आश्रम ये सब उससे प्रभावित हो जायेंगे। इस समय उसकी जो स्थिति है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति भयावह हो जायेगी। बंधे के किनारे के गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गये हैं और उनमें भय व्याप्त है। मान्यवर, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कठौरा गांव, सुल्तानपुर गांव, नक्का गांव हैं ये सब जलमग्न हो जायेंगे। मैं सिंचाई मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि 10 लाख रुपया राज्य सेक्टर से दे दें तो कार्य हो जायेगा। उसमें अगर झांवा डाल दिया जाए और जाली बनायी जाए, जैसे बिहार में पड़ा हुआ है, तो कटान को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिस दिन से उन्होंने सिंचाई महकमे का कार्यभार ग्रहण किया है, वह महकमे को आगे ले जा रहे हैं, विभाग में अच्छा काम हो रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सिकन्दरपुर को कटान की स्थिति से बचाने के लिये विशेष धन दे करके कटान को रोका जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीर समस्या पर आज चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश में बाढ़ नीति नहीं थी। अभी पिछले महीने एक बाढ़ नीति बनी है। उससे पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं हैं, उसकी समीक्षा हो रही है। वर्ष 2005 तक पूरे प्रदेश को बाढ़ से बचाने की सरकार की नीति है हम लोगों ने अनुरोध किया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बैठक करके इसकी समय सीमा को घटाया जा सकता है। मान्यवर, बांदा में बाढ़ के बारे में बताया गया है। पहली बार कई वर्षों के बाद जुलाई में सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई। यह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये खुशी की बात है। जुलाई में 256.2 मिलीमीटर वर्षा के सापेक्ष 308.6 मिलीमीटर वर्षा हुई जो 20 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह से केन नदी में वहां पर गंगेऊ-बरियारपुर बांध है उसकी क्षमता 5 लाख क्यूसेक है। उसमें 5 लाख क्यूसेक पानी बह सकता है। अबकी जो वर्षा हुई उसमें 9 लाख क्यूसेक पानी इस बंधे से बहा इसीलिये बाढ़ आयी। जैसे ही मध्य प्रदेश से सूचना मिली हमारे विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि पानी आ रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन नदी का पानी यमुना में आता है और फिर इलाहाबाद से वलिया तक वह पानी जाता है इसलिये सारे जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया गया कि पानी आ रहा है जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, हमारे यहां जो बांध है वह जलाशय नहीं है। उसमें से पानी निकल कर बहता है और उस पानी से नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। उसके जरिये पानी को रोकने या छोड़ने का सवाल नहीं है। ऊपर से पानी आया, अगर पानी को पास न किया जाता तो बांध टूट जाता। वहां पर हम भी गये और राजस्व मंत्री जी भी गये और माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी लगातार थे। जिलाधिकारी को सूचना जब मिली तो उन्होंने पी0ए0सी0 लगायी। वहां के लोग अपने गांव को छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे बड़ी मुश्किल से लोगों ने गांव छोड़ा। केन नदी के बांध को जो नुकसान हुआ है उसकी हमारे पास फोटोग्राफी है और उसकी हमने समीक्षा की है। जैसा कि माननीय दद्दू प्रसाद जी ने कहा, जिलाधिकारी ने एक अधिकारी को इंगित किया और जनता ने भी उस अधिकारी को इंगित किया कि वह बाढ़ के समय मुख्यालय पर नहीं थे। उनसे जवाब मांगा गया और उन्होंने समुचित जवाब नहीं दिया इसलिये उनको अटैच किया गया और दूसरे अधिकारी की पोस्टिंग उनकी जगह पर की गयी। वहां पर नहर भी क्षतिग्रस्त हो गयी है उसके लिये स्टीमेट बना दिया गया है जिससे कि नहर की मरम्मत की जा सके और किसानों की फसलों को पानी मिल सके। बांदा को बचाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं और एक कार्ययोजना बनी है। वहां पर यह स्थिति थी कि जब हमारे जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने गांव छोड़ने के लिये कहा तो लोग तैयार नहीं हुए और यह कहा कि क्या 1992 से भी ज्यादा बाढ़ आयेगी। वहां हालत यह हुई कि वर्ष 1992 से साढ़े तीन मीटर ऊंची बाढ़ आयी। यह वर्ष 1992 में जो बाढ़ आई थी उस समय जो जल स्तर था उससे साढ़े तीन मीटर ज्यादा जल स्तर था। विभाग के अधिकारियों से सारा आगणन मंगा लिया गया है एक कार्य योजना बना रहे हैं। जिलाधिकारी के साथ भी बैठक की है उनसे भी अनुरोध किया है कि ऐसी कार्य योजना बनाइये जिससे शहर में पक्का निर्माण हो जिससे कम जमीन लगे। वहां पर जमीन महंगी होगी लेकिन बंधे को बचाने के लिये शहर को बचाने के लिये कार्य योजना बनाकर वह लाएं जिससे उस पर कार्यवाही हो सके। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने व श्री कुशवाहा जी ने केन नदी के बारे में कहा जबकि हमारे विजनौर के साथी भारतेन्द्र जी ने गंगा बैराज के बारे में कहा। वहां पर 23 तारीख को गंगा बैराज पर फाटक गिराकर मध्य गंगा में पानी देना था लेकिन वहां पर जो एक अधिकारी थे उन्होंने बार-बार निर्देश के बावजूद फाटक नहीं गिराया उन्होंने शाम तक फाटक नहीं गिराया तो मैंने निर्देश दिये प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये और मेरठ से एक अधिकारी ने जाकर फाटक गिराया और मध्य गंगा में 24 तारीख का पानी छोड़ा गया। जहां तक बंधे की बात है उसके लिये 7 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत हो गयी है। बिजनौर में हमारे मुख्य अभियन्ता और प्रमुख अभियन्ता दोनों लोग मौके पर गये और जिलाधिकारी के साथ गांव वालों को साथ बिठाया वहां पर अफवाह फैलाई गई थी कि गांव नहीं बचेगा लेकिन उन सारे लोगों को आश्वस्त किया कि हर कीमत पर बंधा बचेगा। किसी तरह से जन धन की हानि नहीं होगी। पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस अधिकारी ने लापरवाही किया उसको अटैच करके तुरन्त दूसरा अधिकारी लगा दिया गया। गंगा बैराज के पास पार्टी की रैली भी हुई सारे लोग बिजनौर गये। हमने लोगों को आश्वस्त किया कि कटान रुकेगी सरकार सजग है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी 4.05 बजे तक समाप्त कर दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

महाना साहब चले गये वह कानपुर के गंगा बैराज की बात कर रहे थे। उन्हें इस सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जो कार्य वर्षों से लम्बित था जो परियोजनाएं वर्ष 1976 से 1992 तक की लम्बित थी उनको पूरा करने का संकल्प लिया। ऐसी 33 बड़ी परियोजनाएं थीं जिसमें से गंगा बैराज पूरा हो गया है । वहां पर कुछ शिकायतें थीं पाल साहब बैठे हैं वह जानते होंगे दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह द्वाबा कहलाता है। वहां पर लोग बस जाते हैं ऐसी जगहों से लोगों को हटाना मुश्किल होता है। यहां पर जैसे ही पता चला कि पानी से कटान हो रहा है जिलाधिकारी महोदय पी0ए0सी0 के साथ मौके पर गये लेकिन लोग अपना घर छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे। लेकिन जब सेना भी बुलाई गई तब बड़ी मुश्किल से लोगों ने इस शर्त पर गांव छोड़ा कि हर घर में एक सदस्य रहेगा और जब घर डूबने लगेगा तभी वह अपना घर छोड़ेंगे। जिस बंधे की बात की जा रही थी उसमें दोषी वहां का अभियन्ता था। डाउन स्ट्रीम में वहां हमने एक अधिकारी को, जिसकी लापरवाही थी, हटाया और जो लेविल-1 के अधिकारी थे डी एन0 अग्रवाल उनको दिन रात के लिये तुरन्त तैनात किया। विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। पूरी तरह से गांव सुरक्षित है और सरकार पूरी तरह से जागरूक है और काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, अब बस करिये। राजस्व मंत्री जी को भी बोलना है और केवल 5 मिनट शेष हैं।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय विनोद तिवारी जी ने 7 बड़ी परियोजनाओं की बात कही जिसमें 18 करोड़ रुपये खर्च होने थे। उन्होंने उसकी शिकायत भी की थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शारदा नहर परियोजना के बारे में जनपद लखीमपुर के कामों के बारे में जांच के लिये एक कमेटी बनाई और उससे जांच करवाई गई इसमें एक ठेकेदार से वसूली भी की जा चुकी है। यह सब विवरण मैं आपको दे दूंगा। यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि फिर से इसका परीक्षण कराया जा रहा है यह हमारे सिंचाई विभाग में पारदर्शिता है। बड़े से बड़ा अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। हम किसी के प्रति नर्म नहीं हैं। मैं विनोद तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि शासन स्तर की कमेटी से जांच होकर आ गई है और उसका परीक्षण हो रहा है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जायेगा। आपकी शिकायत पर जांच हुई है और ठेकेदार से वसूली भी हुई। पाल साहब ने बी0डी0 बंधा की बात कही है। माननीय अधिष्ठाता जी मैं बी0डी0 बंधा को देखने भी गया था। वहां पर पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने बैठक करके एक निर्देश जारी किये हैं बाढ़ सुरक्षा के लिये। माननीय जनप्रतिनिधियों को भी पत्र भेजा था कि आप भी अपने सुझाव दें। जिलाधिकारियों को भी पत्र भेजा था कि अधिकारियों के साथ बैठक करके जो इलाके संवेदनशील हैं बाढ़ की दृष्टि से उन्हें चिन्हित कर लीजिये। सरकार ने निर्देश दिये थे कि 1 जून तक यह सारा काम कर लिया जाय और 15 जून तक उसका सत्यापन होगा।

श्री अधिष्ठाता-

एक मिनट शेष है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, बाढ़ जैसी समस्या है और पूरे प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है। मान्यवर, जहां तक वी0 डी0 बंधे की बात है वहां पर जरूर है कि जो निर्देश दिये गये थे उसमें कुछ कमी थी। लेकिन तत्काल वहां बाढ़ अधिकारी को वायरलेस सेट लगवा दिया, कैम्प लगवा दिया गया ताकि काम हो सके। कटान नहीं होने दिया जायेगा। इसी तरह से बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल की बाढ़ के लिये हम कितने चिन्तित हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

यह कोई बात नहीं हुई माननीय अधिष्ठता महोदय। अध्यक्ष जी का जनपद है, वह बैठे नहीं हैं इसका मतलब.....

श्री अम्बिका चौधरी-

आप सुन तो लीजिये। आप सुनेंगे तब ही तो कहूंगा। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि यह इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है और इसमें इतने सारे माननीय सदस्यों ने गम्भीरता से इतने बड़े सवाल उठाये हैं। माननीय मंत्री जी जो जानकारी रख रहे थे वह सदन में आना आवश्यक है। अगर हम इसको ऐसे ही समाप्त कर देंगे तो जो बात रखी जानी है वह नहीं आ पायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चर्चा का समय बढ़ा दें ताकि जो सूचनाएं माननीय मंत्री जी को और देनी है वह तब तक एकत्र हो जायेंगी। माननीय मंत्री जी, जो थोड़ी सी बात बची है, मंत्री जी अपनी बात रख देंगे लेकिन इसका समापन सोमवार को होगा। तब पूरी सूचना आ जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

सोमवार को पूरा करेंगे। यह चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 20 जुलाई, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुई पहली सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के ग्राम-राजेपुर स्थित गाटा संख्या 132 की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से संचालित ईट भट्ठे को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश में लगभग 30 लाख अस्तित्व खो चुके तालाबों को भू-जल संकट से बचाने हेतु पुनः उनको अस्तित्व में लाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर अन्तर्गत अरहेडिया, धुनाकोली को जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की प्रदेश में वैट प्राविधान लागू न होने के कारण अन्य प्रदेशों की तुलना में दवाओं पर अधिक टैक्स लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में अवैध रूप से वालू के खनन के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व की हो रही क्षति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के थाना रौजा अन्तर्गत श्री गौतम के घर पर पड़ी भीषण डकैती के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं श्री राम नरेश यादव की जनपद इलाहाबाद स्थित करेली गौस मेमोरियल बालिका इण्टर कालेज, एवं घनी आबादी के ऊपर से 33 के0वी0ए0 हाईटेंशन तार को हटाने हेतु 16 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद पीलीभीत की तहसील पुरनपुर में सिंचाई विभाग द्वारा ठोकरों के निर्माण में की गयी अनियमितता में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर महानगर स्थित धर्मशाला रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री रिजवान अहमद की मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान का निर्माण कार्य शुरू न होने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद गोण्डा के भरतपुरी आवास विकास कालोनी में अनियमित तरीके से नाली निर्माण के कारण हो रहे जलभराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री धर्मपाल सिंह,
2-श्री मसहूद खां,
3-श्री मोहन देव शंखवार,
4-डा0 सुशील चौधरी,
5-श्री कालीचरण राजभर,
6-श्री कौशल किशोर,

7-श्री राजेश कुमार,
8-श्री लालजी वर्मा,
9-श्री भगेलू राम,
10-डा0 धर्म सिंह सैनी,
11-श्री बाबू लाल कुशवाहा,
12-श्री आर0 एस0 कुशवाहा,
13-श्री सोमारू राम सरोज,
14-डा0 पूर्णमासी देहाती,
15-श्री बीजू पटनायक,
16-श्री राम मगन रावत,
17-श्री कल्याण सिंह दोहरे,
18-श्री रामकरन आर्य,
19-श्री विश्राम सिंह यादव,
20-श्री जियाउद्दीन रिजवी,
21-श्री मुकुल उपाध्याय,
22-श्री बैजनाथ दुबे,
23-श्री छोटेलाल वर्मा, डा0 राम बाबू हरित,
24-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह,
25-डा0 विनोद तिवारी,
26-श्री प्रागी लाल अहिरवार,
27-डा0 अरुण मेहरोत्रा,
28-श्री धर्मराज निषाद,
29-श्री शिव तपस्या पासवान,
30-श्री कपिलदेव यादव,
31-श्री नवाब सिंह नागर,
32-श्री मुंशी लाल गौतम,
33-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर,
34-श्री धूराराम,
35-श्री शमीमुल हक।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 30 मिनट पर सोमवार दिनांक 25 जुलाई, 2005 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 20 जुलाई, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0-30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के पहले बुधवार हेतु निर्धारित श्री अनिल कुमार वर्मा, मा0 सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-30 के उत्तर का संलग्नक।

वर्ष 2004-05

जूनियर हाईस्कूल के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भेजी गयी धनराशि का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
1	2	3
1	श्री शिवपाल सिंह जू0 हा0 स्कूल, कुतुबनगर	25,440.00
2	पं0 अवधेश कुमार चतुर्वेदी वि0 जू0 हा0 स्कूल, बलियापुर	11,520.00
3	गुरुदयाल जू0 हा0 स्कूल अमजदपुर	12,480.00
4	मिर्जा आइडियल पूर्व मा0 वि0, आंट	40,800.00
5	सरस्वती सी0 वे0 विद्यालय, ड्रिधिया	19,680.00
6	प्रेमी जू0 हा0 स्कूल, नीमसार	52,800.00
7	विकास शिक्षा निकेतन नीमसार	49,040.00
8	चाइल्ड हेराल्ड जू0 हा0 स्कूल, मिश्रिख	23,520.00
9	हरिनन्दन प्रसाद नीलकंठ पूर्व मा0 विद्यालय कटरा	23,520.00
10	कृषक जू0 हा0 स्कूल, बाबा गोधनदास कुटी डफरा पो0 उलरा	34,080.00
11	डा0 हामिद अली कृषक जू0 हा0 स्कूल, मारूछी	31,680.00
12	सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर, टिकरा	54,240.00
13	आदर्श श्री भगत सिंह जू0 हा0 स्कूल, सरैया (मिर्जापुर)	61,440.00
14	किसान जू0 हा0 स्कूल, भुडकुडी	24,000.00
15	डा0 चन्द्रभाल जू0 हा0 स्कूल, बन्नीखरैला	54,240.00
16	शान्ती देवी जू0 हा0 स्कूल, शुक्लापुर, पो0-उलरा	24,480.00
17	उमाशंकर जू0 हा0 स्कूल, मुझडेरी	14,880.00
18	महारानी अहिल्याबाई होल्कर जू0 हा0 स्कूल	14,880.00
19	डा0 हमीद अली कृषक जू0 हा0 स्कूल मरूछी	5,780.00
20	श्री ब्रह्मदेव कृषि मा0 विद्यालय मसेनामऊ	34,080.00
21	श्री चन्द्रनानक साही पूर्व मा0 विद्यालय विसवां	3,840.00
22	नेहरू पूर्व मा0 विद्यालय, कुन्दवापुर	12,000.00
23	श्री जनता विद्या मंदिर जू0 हा0 स्कूल देवपारा	16,320.00

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
24	सनातनीय मा0 विद्यालय, बीहटबीरम	24,960.00
25	श्री पुत्तूलाल मा0 विद्यालय नेवदिया	13,920.00
26	आर0 वी0 एस0 वी एस0 जू0 हा0 स्कूल, रामपुर	24,960.00
27		7,200.00
28	गजोधर प्रसाद पाण्डेय जू हा0 स्कूल, फतेहनगर	19,680.00
29	हनुमंत मा0 विद्यालय, गंगापुर	18,240.00
30	एल0 आर0 बी0 पब्लिक स्कूल संडीला	10,080.00
31	किसान मा0 विद्यालय धर्मापुर	13,440.00
32	जनता जू0 हा0 स्कूल, मोहोतेपुर	17,760.00
33	जनता जू0 हा0 स्कूल, कमलापुर	33,600.00
34	रघुबर दयाल स्मारक जू0 हा0 स्कूल मेंहदौली	11,520.00
25	अयोध्या बाल विद्या मंदिर पूर्व मा0 विद्यालय बिगहिया	44,160.00
26	राधा पुल्लू कन्या विद्या मंदिर जू0 हा0 स्कूल मधवापुर	7,680.00
37	रामेश्वरी त्रिपाठी वि0 मंदिर कमलापुर	35,520.00
38	डा0 वी0 आर0 अम्बेडकर उच्च मा0 विद्यालय कनकपुर	17,760.00
39	श्री ब्रह्मदेव जू0 हा0 स्कूल अलोईया बलोईया	21,120.00
40	श्री लक्ष्मन सिंह विद्या मंदिर, सुरैचा	50,400.00
41	स्वामी विवेकानन्द जू0 हा0 स्कूल फूलपुर	15,360.00
42	हरकचन्द्र जैन शिक्षा निकेतन, नेरी	12,960.00
43	भारतीय मा0 विद्यालय, महावीर नगर वजीरनगर	43,680.00
44	राष्ट्रीय मा0 विद्यालय पिसावां	44,640.00
45	स्वामी महेश गिरि जू0 हा0 स्कूल अनन्तापुर	56,160.00
46	विश्राम लाल जू0 हा0 स्कूल बाजनगर	31,200.00
47	श्री सुन्दर लाल श्रीवास्तव मा0 वि0 पाताबोझ	17,280.00
48	राजेन्द्र बहादुर उ0 मा0 वि0 बरगांवा	12,960.00
49	कात्यानी कृषक जू0 हा0 स्कूल, लिस्सीगौरा	15,840.00
50	सरस्वती मा0 विद्यालय, मल्लापुर हरगांव	5,280.00
51	कमला शिक्षा निकेतन, झरेखापुर	40,320.00
52	कृषक विद्यालय जू0 हा0 स्कूल, हरगांवतीर्थ	20,160.00
53	परागी लाल रामेन्द्र मा0 विद्यालय, हरगांव	19,680.00

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
54	स0 हरवंश सिंह स्मारक सि0 वे0 विद्यालय, हरगांव	14,400.00
55	जनता जू0 हा0 स्कूल, मुद्रासन	14,400.00
56	किसान जू0 हा0 स्कूल, बांसखेरा	33,600.00
57	वामन मा0 विद्यालय, बौनाभारी	41,280.00
58	नेशनल जू0हा0 स्कूल, सिधौली	11,520.00
59	सुबोध मान्टेसरी विद्यालय, सिधौली	9,600.00
60	पढ़ीस मा0 विद्यालय जू0 हा0 स्कूल, अम्बापुर	23,040.00
61	श्री गोकरन प्रसाद रामनाथ जू0 हा0 स्कूल, कसावां	16,800.00
62	नेहरू माध्यमिक विद्यालय, दातापुर	39,360.00
63	श्रीहरिओम जनता मा0 विद्यालय, इन्द्रौली	19,200.00
64	पटेल विद्या मंदिर भुडकुडा, उरदौली, महोली	25,920.00
65	आदर्श जनता मा0 विद्यालय, बसारा	36,480.00
66	शक्तिलर्निंग टेम्पिल पू0 मा0 विद्यालय,महोली	8,640.00
67	मदर एण्ड फादर माण्टेरी स्कूल महोली	21,600.00
68	चिल्ड्रेन माण्टेसरी स्कूल महोली	36,480.00
69	जय गुरुदेव ग्रामीण विद्यालय, कुसैला	29,760.00
70	जी0 आर0 मा0 विद्यालय, रिछाही	44,640.00
71	पवनसुत मा0 विद्यालय खेरवा	21,120.00
72	भारतीय सि0 वे0 विद्यालय महुआडाडा	33,120.00
73	श्री छोटे लाल वर्मा मा0 विद्यालय विरासी	15,840.00
74	चन्द्र बहादुर दास जनता पूर्व मा0 विद्यालय सरैयां शकरबक्स	31,680.00
75	जनता जू0 हा0 स्कूल, दुधुरा	19,200.00
76	जनकल्याण मा0 विद्यालय बिलौली बाजार	80,640.00
77	आदर्श जनता जू0 हा0, धौरहरा	23,360.00
78	पुत्तूलाल जू0हा0 मुसैदाबाद	42,720.00
79	श्री हरि प्रसाद कन्या मा0 विद्यालय कन्जाभारी	30,720.00
80	कृषक जू0 हा0 स्कूल मोहम्मदपुर कला	23,520.00
81	कृषक पूर्व मा0 विद्यालय बेहमा	42,240.00
82	जनता आदर्श शिक्षा निकेतन भगवन्तपुर रेवाली	9,600.00
83	श्री छोटे लाल आदर्श शिक्षा निकेतन मा0 विद्यालय सलोना बीबीपुर	2,400.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
84	किसान लघु मा0 विद्यालय जाफरपुर	10,560.00
85	बृजमोहन लाल बजरंग विद्यालय ऐलिया	31,200.00
86	राम बिहारी मा0 विद्यालय धौरेमऊ	28,800.00
87	जय दयाल जू0 हा0 स्कूल ढखिया ऐलिया	25,440.00
88	राहुल विद्या मंदिर, टिकराजार	35,040.00
89	जनता मा0 विद्यालय, सोनारी	35,040.00
90	रामदेव शिव नारायन लाल शुक्ल जू0 हा0 स्कूल शेरपुर, सरावां	6,720.00
91	गुरू गोविन्द सिंह उ0 प्रा0 विद्यालय, रिखौना	34,080.00
92	सरस्वती विद्या मंरि, शाहजलालपुर	36,960.00
93	तुरन्तनाथ मा0 विद्यालय परसेहरा	44,160.00
94	स्वामी विवेकानन्द विद्या मंदिर रामकोट	14,400.00
95	मानप्र विद्या मंदिर कन्या मा0 विद्यालय रामकोट	3,840.00
96	नियाजिया जू0 हा स्कूल खैराबाद	49,920.00
97	ब्राइट सर्किल जू0 हा0 स्कूल छतौरा, खैराबाद	31,200.00
98	भरद्वाज मा0 विद्यालय नेवादा, मन्सूरपुर	16,800.00
99	धरवल देवी मा0 विद्यालय धरौली	37,440.00
100	श्री शान्त विद्यालय, जौनपुर	3,840.00
101	श्री रामजानकी विद्या मंदिर जू0 हा0 स्कूल करखिला	40,800.00
102	स्वामी पूर्णानन्द स्कूल कैलाश आश्रम सोनारी	36,480.00
103	बुढेबाबा, मा0 विद्यालय सरैयाइसागंज	12,000.00
104	आदर्श कन्या जू0 हा0 स्कूल संदना	13,440.00
105	अटल मा0 विद्यालय सुसियाना	48,480.00
106	नेहरू जू0 हा0 स्कूल सकरन	30,240.00
107	किशोर जनता मा0 विद्यालय, खानपुर	36,960.00
108	नेशनल जू0 हा0 स्कूल, पक्का तालाब, महराजनगर	38,400.00
109	मुंशी रामसुख मा0 विद्यालय, मीरानगर	44,640.00
110	श्री बल्लभ भाई पटेल जू0 हा0 स्कूल चांदरपुर	1,12,320.00
111	नवजीवन जू0 हा0 स्कूल लोहियानगर	18,720.00
112	चौधरी परागीलाल कृषक जू0 हा0 स्कूल दुर्गापुरवा	10,560.00
113	तुलसी शिश ुमंदिर,स्वरूपनगर	22,080.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
114	जनता कन्या पाठशाला, मुन्नी चौराहा, सीतापुर	32,640.00
115	फात्मा माण्टेसरी जू0 हा0 स्कूल, शेखसरायं	26,400.00
116	प्रियाडे पब्लिक जू0 हा0 स्कूल, ऊंचाटोला	10,080.00
117	गिरधर गोपाल जू0 हा0 स्कूल हरदोई रोड सीतापुर	2,400.00
118	ग्रेस मारजन जू0 हा0 स्कूल, सिविल लाइन सीतापुर	32,160.00
119	गुरूनानक जू0 हा0 स्कूल, गुरूनानक कालोनी सीतापुर	11,520.00
120	ओम प्रकाश श्रीवास्तव जू0 हा0 स्कूल, अगैया	77,280.00
121	जनता जू0 हा0 स्कूल, बचाइन	14,400.00
122	अमर मा0 विद्यालय, बाबूपुर	21,600.00
123	आदर्शविद्या मंदिर जू0 हा0 स्कूल महमूदाबाद	93,120.00
124	सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल स्कूल महमूदाबाद	34,560.00
125	मानव सुधार शिशु विद्या मंदिर फुलवारीपुर, महमूदाबाद	8,160.00
126	प्रगतिशील जनता जूनियर हाईस्कूल सोहरिया	30,240.00
127	श्री रामचन्द्र वर्मा आदर्श विद्यालय, आदर्शनगर	19,200.00
128	पटेल एंग्लो हिन्दुस्तानी विद्यालय रसूलाबाद	40,800.00
129	रामलीला जू0 हा0 स्कूल, पैतेपुर	18,700.00
		35,38,960.00
	(योग-रुपया पैंतीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ साठ मात्र)	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अना0 प्र0 सं0-32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के पहले बुधवार हेतु निर्धारित श्री अनिल कुमार वर्मा, मा0 सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के उत्तर का संलग्नक

जूनियर हाईस्कूल के अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भेजी गयी धनराशि का विवरण

क्रम0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
1	2	3
1	श्री उमराव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिहटगौर	960 00
2	श्री राम अवतार बालिका इण्टर कालेज, पहाड़ापुर	2,31,120.00
3	जनता इण्टर कालेज, खालगांव	4,59,720.00
4	दीनानाथ सिंह इण्टर कालेज, सिधौली	80,640.00
5	प्रोदय इण्टर कालेज, बांसखेरा	1,95,840.00
6	कु0 भूषण सिंह स्मारक मा0 वि0 अलाईपुर	89,460.00
7	एल0 आर0 पी0 सरस्वती विद्या मंदिर, हाईस्कूल-संडीला	15,120.00
8	चाइल्ड हेराल्ड उ0 मा0 वि0 मिसांवां	5,040.00
9	जफर मेमोरियल कन्या उ0 मा0 वि0 सीतापुर	72,000.00
10	मुस्लिम निस्वां कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल, सीतापुर	74,160.00
11	बामन माध्यमिक विद्यालय, बौनाभारी	58,320.00
12	मुन्शी शिव प्रसाद मेमो0 इण्टर कालेज, बौनाभारी	18,720.00
13	पटेल उ0 मा0 वि0 हेमपुर	46,080.00
14	बिन्देश्वरी देवी उ0 मा0 वि0, ब्रह्मावली	8,640.00
15	आनन्दी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज, सीतापुर	52,560.00
16	जनता इण्टर कालेज, किशोरगंज	15,840.00
17	किशोर इण्टर कालेज, सेउता	87,840.00
18	पन्त इण्टर कालेज, बम्हौरा	92,880.00
19	कु0 शंकर सिंह उ0 मा0 वि0, देवकलिया	71,280.00
20	मालती प्रसाद शिव प्यारी बा0 उ0 मा0 वि0 उमलौरा	1,00,080.00
21	त्रिभुवन दत्त उ0 मा0 वि0 रेउसा	21,600.00
22	सीताबाल विद्या मंदिर इण्टर कालेज, महमूदाबाद	1,91,520.00
23	श्रीमती रामदेवी उ0 मा0 वि0 सरस्वती वि0 म0 महमूदाबाद	15,840.00
24	श्री जय नारायण द्विवेदी इण्टर कालेज, परसदा	62,640.00

1	2	3
25	श्री कु0 कृषक उ0 मा0 विद्यालय, मखुआपुर	23,760.00
26	शान्ति देवी उ0 मा0 वि0 शुक्लापुर, कटिया	79,920.00
27	स्वामी विवेकानन्द उ0 मा0 वि0 बल्देवनगर, मानपुर	79,200.00
28	सेठ मिश्रीलाल गुप्ता इण्टर कालेज, मछरेहटा	31,680.00
29	प्रबुद्ध अम्बेडकर कन्या उ0 मा0 वि0, गोंदलामऊ	95,040.00
30	रामबक्श सिंह कन्या इण्टर कालेज, रामनगर-खटकरी	24,480.00
31	मुस्लिम इण्टर कालेज, तम्बौर	88,560.00
32	बीरेन्द्र सिंह शकुन्तला देवी उ0 मा0 वि0, तम्बौर	2,10,960.00
33	सरदार पटेला हा0 से0 स्कूल, तम्बौर	1,28,880.00
34	सरस्वती वि0 म0 इ0 कालेज, केशवपुरी, महोली	73,440.00
35	उमाशंकर इण्टर कालेज, आफ साइन्स, महोली	51,120.00
36	इलाहीबक्श, इण्टरमीडिएट कालेज, इटारी	48,960.00
37	गन्ना उत्पादक औद्योगिक, हायर सेकेण्डरी, स्कूल-परसेण्डी	33,120.00
38	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेलूमऊ	50,400.00
39	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसेंहरामाल	80,640.00
40	गुरूदेव उ0 मा0 वि0, मेथरामाधव	60,480.00
41	राइन गर्ल्स इण्टर कालेज, लहरपुर	9,420.00
42	खेमकरन इण्टर कालेज, लहरपुर	1,42,560.00
43	जुगुल किशोर गोविन्द प्रसाद सरस्वती वि0 मा0 हा0 से0 स्कूल, लहरपुर	17,280.00
44	रानी पृथ्वीपाल कु0 सा0 वि0 म0 इण्टर कालेज, नवीनगर	37,440.00
45	श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, सिधौली	2,23,920.00
46	श्री राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, सिधौली	71,760.00
47	नेशनल माध्यमिक विद्यालय सिधौली	23,040.00
48	सर्वोदय वि0 म0 हाई स्कूल, सिधौली	44,640.00
49	जनता उ0 मा0 वि0 रामपुर कला	41,040.00
50	एच0 आर0 डी0 इ0 का0, बिसवां	1,15,920.00
51	कृष्णा देवी म्यु0 इ0 का0, बिसवां	2,11,680.00
52	इण्टर कालेज, कुतुबनगर	1,59,120.00
53	उमाशंकर मा0 वि0, मुडेरी	92,160.00
54	रामप्यारी मु0 वे0 स0 क0उ0 मा0 वि0 नीमसार	27,360.00

1	2	3
55	लाला रामनरायण सहगल इण्टर कालेज, नीमसार	79,200.00
56	महार्षि रविदास इण्टर कालेज, मिश्रिख	1,02,960.00
57	भगवन मेमोरियल हा0 से0 स्कूल, मिश्रिख	48,960.00
58	आर0 जी0 इण्टर कालेज, मिश्रिख	67,680.00
59	महार्षि दधीच एग्लो वैदिक उ0 मा0 वि0 मिश्रिख	44,640.00
60	जनता उ0 मा0 वि0 लालपुर बरेती-जलालपुर	66,240.00
61	बी0 एन0 इण्टर कालेज, सिंहनापुर	87,840.00
62	बेनीराम इण्टर कालेज, पैतेपुर	1,87,920.00
63	जनता इण्टर कालेज, कल्यानपुर	2,01,600.00
64	विडला विद्या मंदिर इण्टर कालेज, हरगांव	95,040.00
65	सेवाश्रम हा0 से0 स्कूल काजी कमालपुर	90,720.00
66	परशुराम उ0 मा0 वि0, परशुरामनगर, मरेली	87,440.00
67	श्री रामजानकी इण्टर कालेज, खरवालिया	47,520.00
68	द्वारिकाधीश उ0 मा0 वि0, पुरैना	36,000.00
69	सालिकराम शम्भूदयाल कृषक इण्टर कन्या कालेज, लौली	21,600.00
70	संजय गांधी मेमोरियल इण्टर कालेज, संदना	29,520.00
71	शम्भूदयाल कृषक उ0 मा0 वि0 लौली	66,240.00
72	पदमावती उ0 मा0 वि0, सेमरा	18,000.00
73	श्री गोपाल सरस्वती वि मं0 आश्रम, पहला-रामगढ़	54,720.00
74	छोटे लाल वा0 उ0 मा0 वि0, रामपुर मथुरा	1,25,280.00
75	स्वामी सदानन्द हाईस्कूल सपियांवा-गंगागंज, अटरिया	46,800.00
76	गुरू गोबिन्द सिंह वि0 मा0 उ0 मा0 वि0 रिखौलां	1,30,320.00
77	दिगम्बर जैन हाईस्कूल महमूदाबाद	51,840.00
78	किसान इण्टर कालेज, बड़ागांव	89,280.00
79	श्री कृपालदयाल म्यु0 इण्टर कालेज, बिसवां	1,01,840.00
80	रघुराज हाय0 से0 स्कूल, लोनियनपुरवा	20,160.00
81	सरस्वती वि0 मं0 बालिका हाईस्कूल, तरीनपुर	10,800.00
82	दयानन्द वि0 मं0 हाईस्कूल, गिरीगंज	83,520.00
83	भारत इण्टर कालेज, कोरौना	70,560.00
84	गोजर इण्टर कालेज, तम्बौर	85,680.00
85	किसान इण्टर कालेज, सरैया-राजासाहब	90,000.00

1	2	3
86	भारतीय वि0 मं0 उ0 मा0 विद्यालय, खमरिया	12,240.00
87	रा0 बा0 सा0 बा0 सिंह इण्टर कालेज, कमलापुर	1,38,960.00
88	सर्वोदय उ0 मा0 वि0 बम्हौरा	18,720.00
89	आदर्श कैलाशनाथ हाईस्कूल लहरपुर	59,760.00
90	पं0 दीनदयाल उपाध्याय मानव सेवा संस्थान बालिका उ0 मा0 वि0, शाहपुरसाण्डा	1,21,680.00
91	सेठ जय दयाल इण्टर कालेज, बिसवां	22,320.00
92	मायाराम रामपति शिक्षण संस्थान पोखराकलां	71,280.00
93	महर्षि दधीच इण्टर कालेज, मिश्रिख	74,880.00
94	जयदयाल बा0 उ0 मा0 वि0 दखिया	55,440.00
95	स्वामी महेशगिरी उ0 मा0 वि0, अनन्तापुर	1,60,560.00
96	कृष्ण इण्टर कालेज, महोली	4,14,720.00
97	राजा रघुबर दयाल इण्टर कालेज, सीतापुर	91,440.00
98	सन्तराम सावित्री देवी उ0 मा0 वि0, गामाबाग	1,16,40.00
99	आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर	1,19,520.00
100	म्यूनिस्पिल इण्टर कालेज, सीतापुर	45,360.00
101	कालिवन इण्टर कालेज, महमूदाबाद	1,46,880.00
102	आर0 एम0 पी0 इण्टर कालेज, सीतापुर	1,00,080.00
103	हिन्द कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर	87,120.00
104	एच0 एम0 एच0 इ0 का0, लहरपुर	2,57,760.00
105	जे0 एल0 एम0 डी0 जे0 इ0 का0 खैराबाद	1,74,240.00
106	श्री राम चम्पादेवी सं0 वि0 इण्टर कालेज, बिसवां	57,600.00
107	कमला शिक्षा निकेतन, झरेखापुर	13,680.00
108	पं0 सूर्यदत्त आनन्दी सहगल बा0 वि0 खेराबाद	28,800.00
109	शान्ति देवी कन्या उ0 मा0 वि0 शुक्लापुर कटिया	3,600.00
110	श्री कृष्णदयाल म्यू0 इ0 का0, बिसवां	25,920.00
111	सरस्वती इण्टर कालेज, जियनापुर	61,200.00
112	प्रगतिशील जनता उ0 मा0 वि0, सोहरिया	57,600.00
113	मिर्जा आइडियल हा0से0 आंट	7,200.00
114	भारतीय इण्टर कालेज, उमरिया	90,720.00
115	उ0 मा0 वि0 सिरकिड़ा	1,20,240,00

1	2	3
116	सेठ राम गुलाम पटेल मेमो0 हा0 स्कूल पटेलनगर, महमूदाबाद	55,440.00
117	इन्द्रेश वर्मा विद्यापीठ बा0 इ0 का0 महादेव अटरा	1,15,920.00
118	सुमति बा0 इं0 का0 लोनियनपुरवा	41,760.00
119	संजू प्रजापति स्मारक वि0 सेमरी चौराहा, महमूदाबाद	37,440.00
120	उजागरलाल इण्टर कालेज, सीतापुर	45,360.00
121	यूनाइटेड अवध मा0 हा0 से0 स्कूल महमूदाबाद	38,880.00
122	श्री शतचण्डी उ0से0 स्कूल कोनसर	1,02,240.00
123	सेठ बिलाल स्कूल, सीतापुर	4,320.00
124	ओ0 पी0 श्रीवास्तव मा0 वि0 संधाना	14,400.00
	योग-	रु0 1,00,81,720.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इण्टरमीडियेट (कक्षा-11, 12) कक्षाओं हेतु प्रेषित धनराशि का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
1	श्री रामजानकी विद्या मंदिर इण्टर कालेज, करखिला	33,600.00
2	ग्रामोदय इण्टर कालेज, बांसखेरा	1,78,080.00
3	दीनानाथ सिंह इण्टर कालेज, सिधौली	1,29,640.00
4	श्री राम औतार बालिका इण्टर कालेज, पहाड़ापुर	2,06,640.00
5	जनता इण्टर कालेज, खालगांव	2,28,560.00
6	रानी पृथ्वीपाल कु0 स0 वि0 मं0 इ0 का0 नवीनगर	31,920.00
7	लाला रामनरायन सहगल इ0 का0 नीमसार	87,360.00
8	जे0 एल0 एम0 डी0 जे0 इंटर कालेज, खैराबाद	2,83,920.00
9	महर्षि रविदास इण्टर कालेज, मिश्रिख	90,720.00
10	आर0 जी0 इ0 का0 मिश्रिख	1,21,240.00
11	मुस्लिम इंटर कालेज, तम्बौर	1,47,840.00
12	इलाही बख्श इंटर कालेज, इटारी	80,640.00
13	राइल गर्ल्स इण्टर कालेज लहरपुर	1,47,000.00
14	खेमकरन इण्टर कालेज, लहरपुर	84,000.00
15	एच0 आर0 डी0 इंटर कालेज, बिसवां	87,360.00
16	कृष्णादेवी म्युनि0 इंटर कालेज, बिसवां	3,31,520.00
17	गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, सिधौली	5,82,960.00
18	श्री राष्ट्रीय कन्या इंटर कालेज, सिधौली	70,560.00
19	इंटर कालेज, कुतुबनगर	63,000.00
20	बेनीराम इंटर कालेज, पैतेपुर	3,57,840.00
21	सालिगराम शम्भू दयाल कृषक कन्या इंटर कालेज लौली	52,08.00
22	संजय गांधी मेमो0 इंटर कालेज, संदना	63,200
23	जनता इंटर कालेज कल्यानपुर	1,68,000.00
24	बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कालेज, हरगांव	1,66,320.00
25	बी0 एन0 इंटर कालेज, सिंहनापुर	1,20,960.00
26	मुंशी शिव प्रसाद मेमोरियल इंटर कालेज, बौनाभारी	29,120.00
27	सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज केशवपुरी	78,120.00
28	जयनरायन द्विवेदी इंटर कालेज परसदा	70,360.00
29	सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कालेज, महमूदाबाद	5,08,200.00

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि
30	पन्त इंटर कालेज बम्बौरा	70,560.00
31	किशोर इंटर कालेज सेउता	1,12,560.00
32	जनता इंटर कालेज, किशोरगंज	10,080.00
33	श्री कृपा दयाल म्यु0 इं0 कालेज, बिसवां	92,400.00
34	रा0 ब0 सू0 ब0 सिंह, इ0 का0 कमलापुर	77,280.00
35	मायाराम रामपती शिक्षण संस्थान पोखर कलां	1,07,520.00
36	किसान इंटर कालेज, सरैया राजासाहब	1,99,920.00
37	गांजर इंटर कालेज, तम्बौर	3,79,680.00
38	भारत इंटर कालेज कोरौना	1,48,960.00
39	किसान इंटर कालेज बड़ागांव	84,000.00
40	हिन्दू कन्या इंटर कालेज, सीतापुर	2,16,720.00
41	महर्षि दधिची इंटर कालेज, मिश्रिख	1,93,200.00
42	सरस्वती इंटर कालेज जियनापुर	67,760.00
43	राजा रघुबर दयाल इंटर कालेज, सीतापुर	2,32,680.00
44	सेठ जयदयाल इंटर कालेज, बिसवां	1,29,360.00
45	म्यू0 इं0 का0, सीतापुर	36,120.00
46	कृषक इंटर कालेज, महौली	6,62,200.00
47	आर0 एम0 पी0 इं0 का0, सीतापुर	2,24,000.00
48	आर्य कन्या इंटर कालेज, सीतापुर	1,66,320.00
49	कल्यिन इंटर कालेज, महमूदाबाद	6,56,880.00
50	एच0 एम0 एच0 इ0 का0, लहरपुर	2,95,960.00
51	भारतीय इंटर कालेज उमरिया	1,00,800.00
52	इन्द्रेश वर्मा विद्यापीठ बालिका इंटर कालेज, महादेव, अटरा	37,800.00
53	उमाशंकर इं0 का0, आफ साइंस, महौली	60,200.00
54	आनन्दी देवी सरस्वती इं0 का0 नैपालापुर	1,03,600.00
55	उजागर लाल इंटर कालेज, सीतापुर	67,200.00
56	सुमति बालिका इंटर कालेज, लोनियनपुरवा	22,400.00
	योग-	रु0 91,57,200.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

जनपद सीतापुर में वर्ष 2004-05 मे संचालित अनुदानित विद्यालयों की सूची जिन्हें कक्षा 9-10 की अनु0 जाति की छात्रवृत्ति प्रेषित की गई

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
1	एच0 आर0 डी0 इ0 का0 बिसवां	30300.00	30240.00	42
2	एस0 जे0 डी0 इ0 कालेज बिसवां	15660.00	15120.00	21
3	कृपा दयाल इम्यू इ0 का0 बिसवां	29450.00	28880.00	40
4	कुंवर शंकर सिंह हा0 से0 स्कूल देवकलिया	29490.00	28800.00	40
5	एस0 डी0 हा0 से0 स्कूल मानपुर	61920.00	61920.00	86
6	कृष्णा देवी म्यु0 गर्ल्स इ0 का0 बिसवां	115210.00	115200.00	160
7	किशोर इ0 का0 सेउता	75420.00	74880.00	104
8	जनता इ0 का0 किशोरगंज	21690.00	21600.00	30
9	टी0 डी0 उ0 मा0 वि0 रेउसा	8820.00	8640.00	12
10	के0 के0 इ0 का0 लहरपुर	108900.00	108720.00	151
11	जनता इ0 का0 कल्यानपुर	104460.00	104400.00	145
12	इलाहीबक्श इ0 का0 इटारी	66810.00	66240.00	92
13	गन्ना उत्पादक हा0 से0 परसेंडी	75420.00	74880.00	104
14	गांजर इ0 का0 तम्बौर	82230.00	82080.00	114
15	सरदार पटेल हा0 स्कूल तम्बौर	54780.00	54720.00	76
16	जनता हा0 से0 बरेती जलालपुर	45450.00	45360.00	63
17	गांधी इ0 का0 सिधौली	182610.00	182160.00	253
18	राष्ट्रीय कन्या इ0 का0 सिधौली	14490.00	14400.00	20
19	आर0 बी0 एस0 बी0 इ0 का0 कमलापुर	71010.00	70560.00	98
20	सर्वोदय उ0 मा0 वि0 बम्भेरा	35370.00	35280.00	49
21	भारतीय आ0 उ0 मा0 वि0 खमरिया	43620.00	43200.00	60
22	काल्विन इ0 का0 महमूदाबाद	180180.00	180000.00	250
23	बेनीराम इ0 का0 पैंतेपुर	23400.00	23040.00	32
24	किसान इ0 का0 सरैया राजासाहब	40800.00	40320.00	56
25	गुरूदेव उ0 मा0 वि0 भेथरा माधौ	68140.00	67680.00	94

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
26	एम0 डी0 इ0 का0 मिश्रिख	69600.00	69120.00	96
27	एम0 आर0 इ0 का0 रामबाग मिश्रिख	176545.00	176400.00	245
28	इण्टर कालेज कुतुबनगर	109672.00	109440.00	152
29	लाला रामनरायन इ0 का0 नीमसार	82080.00	80640.00	112
30	रामप्यारी मु0 दे0 हा0 से0 नीमसार	5760.00	5760.00	8
31	कृषक इ0 का0 महोली	563430.00	563040.00	782
32	किसान इ0 का0 बड़ागांव	97650.00	97200.00	135
33	जे0 एन0 डी0 परसदा	114495.00	114480.00	159
34	शम्भू दयाल कृषक इ0 का0 लवली	155610.00	155520.00	216
35	भारत इ0 का0 कोरौना	238530.00	238320.00	331
36	आर0 आर0 डी0 इ0 का0 सीतापुर	49750.00	49680.00	69
37	उजागरलाल इ0 का0 सीतापुर	76160.00	75600.00	105
38	म्यु0 इ0 का0 सीतापुर	43440.00	43200.00	60
39	आर0 एम0 पी0 इ0 का0 सीतापुर	36000.00	36000.00	50
40	जे0 एल0 एम0 डी0 जे0 इ0 का0 खैराबाद	409860.00	409680.00	569
41	एच0 के0 पी0 इ0 का0 सीतापुर	73280.00	72720.00	101
42	आर्य कन्या इ0 का0 सीतापुर	114810.00	114480.00	159
43	डी0बी0एम0 हा0 से0 स्कूल घासमण्डी सीतापुर	10410.00	8640.00	12
44	रघुराज सिंह हा0 से0 लोनियनपुरवा सीतापुर	14790.00	14400.00	20
45	बिड़ला मंदिर इ0 का0 हरगाव	96990.00	96480.00	134
46	हाई स्कूल सेलूमऊ	186400.00	185760.00	258
47	आ0 उ0 मा0 वि0 परसेहरा माल	51120.00	51120.00	71
48	पन्त इ0 का0 बम्भौरा	64950.00	64800.00	90
49	सेवाश्रम हाईस्कूल काजी कमालपुर	75870.00	75600.00	105
50	पटेल हाई स्कूल हेमपुर	74000.00	73440.00	102
		[illegible]76832.00	4559760.00	6333

जनपद सीतापुर में सहायता प्राप्त/अनुदानित इण्टरमीडिएट कालेजों की वर्ष 2004-05 में दी गई धनराशि का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	भेजी गई धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
1	बिडला वि0 मं0 इ0 का0 हरगाम्ब	210300.00	196300.00	110
2	जनता इ0 का0 कल्यानपुर	38285.00	35485.00	18
3	स0 श0 द0 इ0 का0 लाली पैतेपुर	72900.00	65900.00	35
4	बेनीराम इ0 का0 पैतेपुर	36180.00	36180.00	31
5	इ0 का0 कुतुबनगर	55230.00	55230.00	30
6	भारत इ0 का0 कौरौना	194520.00	181900.00	100
7	भारतीय इ0 का0 उमरिया	68370.00	68370.00	40
8	इ0 का0 इटारी	48960.00	48960.00	27
9	उजागर लाल इ0 का0 सीतापुर	110460.00	104860.00	70
10	एच0 आर0 डी0 इ0 का0 बिसवां	40140.00	40140.00	23
11	खेमकरन इ0 का0 लहरपुर	42120.00	42120.00	24
12	कृषक इ0 का0 महोली	523320.00	509320.00	284
13	आर्य क0 इ0 का0 सीतापुर	220700.00	217700.00	120
14	काल्विन इ0 का0 महमूदाबाद	247080.00	207832.00	132
15	म्यूनिस्पल इ0 का0 सीतापुर	38940.00	38940.00	23
16	आर0 आर0 डी0 इ0 का0 सीतापुर	217640.00	210640.00	116
17	आर0 एम0 पी0 इ0 का0 सीतापुर	162480.00	162480.00	91
18	हिन्दू कन्या इ0 का0 सीतापुर	52920.00	45920.00	82
19	म0 द0 इ0 का0 मिश्रिख	47520.00	47620.00	24
20	गूंजर इ0 का0 तम्बौर	172400.00	165400.00	94
21	आर0 बी0 एस0 बी0 इ0 का0 कमलापुर	88080.00	88080.00	51
22	किसान इ0 का0 सरैंया राजासाहब	55980.00	55980.00	31
23	पन्त इ0 का0 बम्भौरा	61380.00	61380.00	31
24	जे0 एल0 एम0 डी0 इ0 का0 खैराबाद	330000.00	316000.00	134
25	जनता इण्टर कालेज किशोरगंज	11880.00	11880.00	06
26	किशोर इ0 का0 सेउता	68640.00	68640.00	38
27	जय नरायन द्विवेदी इ0 का0 परसदा	99203.00	99203.00	54

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	भेजी गई धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
28	कृष्णा देवी गर्ल्स इ0 का0 बिसवां	113760.00	113760.00	29
29	कृपा दयाल म्यू0 इ0 का0 बिसवां	5940.00	5940.00	34
30	एस0 जे0 डी0 इ0 का0 बिसवां	17840.00	17840.00	09
31	किसान इ0 का0 बड़ागांव	58800.00	58100.00	30
32	ला0 रामनरायन इ0 का0 नैमीषारण्य	66540.00	66540.00	38
	योग धनराशि	3578508	3444640	1959

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

जनपद सीतापुर में सहायता प्राप्त पूर्व मा0 विद्यालयों को वर्ष 2004-05 में दी गई धनराशि का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	वर्ष 2004-05 में भेजी गई धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
1	दुर्गा मा0 विद्यालय नेहरवल	13440.00	13440.00	28
2	पार्वती विद्या मन्दिर कसमण्डा	9600.00	9600.00	20
3	जू0 हा0 स्कूल सिरकिढ़ा	81600.00	81600.00	170
4	स्वामी पूर्णानन्द जू0 हा0 स्कूल सोनारी	12480.00	12480.00	26
5	प्रेमी जू0 हा0 स्कूल नैमिषारण्य	121440.00	121440.00	253
	योग-	238560.00	2,38,560.00	497

जनपद सीतापुर में मान्यता प्राप्त पूर्व मा0 विद्यालयों को वर्ष 2004-05 में दी गई धनराशि का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	वर्ष 2004-05 में भेजी गई धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
1	शिवपाल सिंह जू0 हा0 स्कूल कुतुबनगर	12480.00	12480.00	26
2	किशोर जनता मा0 वि0 मानपुर सकरन	7200.00	7200.00	15
3	भारतीय कन्या पू0 मा0 वि0 उमरियास0 इ0 द0 इ0 का0 पैलेपुर	24000.00	24000.00	50
4	राधा मुल्लू कन्या वि0 मंदिर जू0 हा0 [illegible]पुर	37920.00	37920.00	79
5	कमला शिक्षा निकेतन झरेखापुर	23520.00	23520.00	49
6	गजोधर प्रसाद पान्डे जू0 हा0 स्कूल फतेह नगर	7680.00	7680.00	16
7	पवनसुत मा0 विद्यालय खेरवा	39840.00	39840.00	83
8	जनता जू0 हा0 स्कूल [illegible]पुर	44160.00	44160.00	92
9	पद्मावती जू0 हा0 स्कूल सेमरा	64800.00	64800.00	135
10	छोटे लाल आदर्श शिक्षा निकेतन सलोना	3840.00	3840.00	08
11	राम औतार पू0 मा0 वि0 पहाड़पुर	48480.00	48480.00	101
12	भारतीय सीनियर बेसिक विद्या महुवाडाड़ा	6240.00	6240.00	13
13	सीनियर शिशु शिक्षा निकेतन केसरीगंज	17760.00	17760.00	37

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	वर्ष 2004-05 में भेजी गई धनराशि	वितरित धन0	छात्र सं0
14	रामदेवी शिव नारायण जू0 हा0 स्कूल शेरपुर सराय	19680.00	19680.00	41
15	रामलीला जू0 हा0 स्कूल पैतेपुर	8160.00	8160.00	17
16	विकास शिक्षा निकेतन जू0 हा0 स्कूल नीमसार	24960.00	24960.00	52
17	मानस विद्या मन्दिर कन्या मा0 वि0 रामकोट	3840.00	3840.00	08
18	जसकरन लाल जू0 हा0 स्कूल महमूदाबाद	36960.00	36960.00	77
19	श्री राम चन्द्र वर्मा आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर सिधौली	7680.00	7680.00	16
20	एल0 आर0 पी0 पब्लिक स्कूल सड़िला	9120.00	9120.00	19
21	प्रगतिशील जनता जू0 हा0 स्कूल सोहरिया	19680.00	19680.00	41
22	कृषक पू0 मा0 विद्यालय बेहमा	29760.00	29760.00	62
23	जय गुरुदेव ग्रामीण विद्यालय कुसैला	7200.00	7200.00	15
24	आदर्श कन्या जू0 हा0 स्कूल संदना	24480.00	24480.00	51
25	मिर्जा आईडियल पू0 मा0 वि0 आंट	18240.00	18240.00	38
26	नेहरू पू0 मा0 विद्यालय कन्दुवापुर	55680.00	55680.00	116
		603360.00	603360.00	1257

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय